



विनियोग लेखे

2019-20



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



छत्तीसगढ़ शासन

विनियोग लेखे

2019–20

छत्तीसगढ़ शासन

विषय—सूची

पृष्ठ संख्या

प्रस्तावना	1		
विनियोग लेखे का सार	2–17		
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	19–21		
विनियोग लेखे			
अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम		
		व्याज की अदायगी और ऋण सेवा (भारित विनियोग)	23–26
		लोक ऋण (भारित विनियोग)	27–28
01	सामान्य प्रशासन		29–34
02	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय		35–36
03	पुलिस		37–41
04	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय		42–44
05	जेल		45–46
06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय		47–50
07	वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय		51–54
08	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन		55–59
09	राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय		60–61
10	वन		62–70
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय		71–74
12	ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय		75–77
13	कृषि		78–86
14	पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय		87–91
15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		92–94
16	मछली पालन		95–96
17	सहकारिता		97–99

18	श्रम	100—102
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	103—109
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	110—116
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	117—120
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय	121
23	जल संसाधन विभाग	122—131
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	132—138
25	खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय	139—140
26	संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय	141—143
27	स्कूल शिक्षा	144—151
28	राज्य विधान मंडल	152—153
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	154—159
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	160—165
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय	166—167
32	जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय	168—170
33	आदिम जाति कल्याण	171—174
34	समाज कल्याण	175—177
35	पुनर्वास	178
36	परिवहन	179—180
37	पर्यटन	181
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	182—184
40	आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय	185—186
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	187—227
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	228—230
43	खेल और युवा कल्याण	231—233
44	उच्च शिक्षा	234—236

45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	237—239
46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	240—241
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	242—247
49	अनुसूचित जाति कल्याण	248
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	249
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	250—251
53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	252—253
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	254—255
55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	256—262
56	ग्रामोद्योग	263—266
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	267—273
60	जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	274
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	275—301
65	विमानन विभाग	302—303
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	304—307
67	लोक निर्माण कार्य—भवन	308—318
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	319—321
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	322—323
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	324—327
75	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	328—331
76	लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	332—333
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	334—341
80	त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	342—346
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	347—351
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	352—355
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	356—357

परिशिष्ट

पृष्ठ संख्या

परिशिष्ट—I	अनुमानों का अनुदान वार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियाँ	361—363
परिशिष्ट—II	2019—20 के दौरान आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों का व्यय जो वर्ष के दौरान प्रतिपूरित किया गया।	364

प्रस्तावना

वर्ष 2019–20 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे का संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखाओं में—

- मूल** मूल अनुदान या विनियोग का घोतक है।
- पूरक** पूरक अनुदान या विनियोग का घोतक है।
- पुनर्वि.** सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का घोतक है।
- प्रभारित** विनियोग और व्यय को तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे में टिप्पणी हेतु संयुक्त मध्य प्रदेश विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित निम्न मापदण्डों को अपनाया गया है।

बचत

- (1) कुल प्रावधान का 2% से अधिक बचत हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी (मूल एवं अनुपूरक)।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों के लिए ₹ 5 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के अनुदानों के बीच के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 10 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्ष हेतु ₹ 20 लाख से अधिक बचतों हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

आधिक्य

सभी अधिक व्ययों का विधानसभा का नियमितिकरण की आवश्यकता होगी।

- (1) सभी प्रकरणों में जहां अनुदानों में पूर्ण आधिक्य है कुछ राशि प्रावधान पर आधिक्य व्यय का नियमितिकरण हेतु सामान्य टिप्पणीकी आवश्यकता होगी।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्ष ₹ 5 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ तथा ₹ 30 करोड़ के मध्य अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्ष ₹ 10 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 20 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	

ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा (प्रभारित विनियोग)	प्रभारित	4,86,52,366	00
लोक ऋण (प्रभारित विनियोग)	प्रभारित	00	2,90,65,048
01 सामान्य प्रशासन			
दत्तमत		33,74,064	5,06,999
प्रभारित		3,58,335	00
02 सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	दत्तमत	3,27,860	00
03 पुलिस	दत्तमत	4,60,08,655	6,63,950
	प्रभारित	16,663	00
04 गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	दत्तमत	8,38,053	57,700
05 जेल	दत्तमत	18,37,471	5,000
	प्रभारित	10	00
06 वित्त विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	दत्तमत	8,87,64,500	4,600
	प्रभारित	1,041	00
07 वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय	दत्तमत	35,63,418	17,510
	प्रभारित	6,00,635	00
08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	दत्तमत	90,96,730	9,16,150
	प्रभारित	1,526	00
09 राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय	दत्तमत	2,16,260	5,000
	प्रभारित	10	00
10 वन	दत्तमत	1,56,24,879	2,25,680
	प्रभारित	51,88,237	00

का सार

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना					
	बचत		आधिक्य			
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

5,11,33,309	00	00	00	24,80,943	00
				(2,48,09,42,942)	
00	8,69,50,320	00	00	00	5,78,85,272
					(57,88,52,71,564)
23,47,840	1,66,048	10,26,224	3,40,951	00	00
2,36,117	00	1,22,218	00	00	00
1,52,027	00	1,75,833	00	00	00
4,29,92,757	4,30,160	30,15,898	2,33,790	00	00
13,472	00	3,191	00	00	00
5,00,763	7,057	3,37,290	50,643	00	00
15,60,432	00	2,77,039	5,000	00	00
00	00	10	00	00	00
9,45,90,362	2,885	00	1,715	58,25,862	00
				(5,82,58,61,690)	
4,573	00	00	00	3,532	00
				(35,31,656)	
28,88,824	11,866	6,74,594	5,644	00	00
6,00,000	00	635	00	00	00
70,95,263	7,49,064	20,01,467	1,67,086	00	00
535	00	991	00	00	00
1,28,664	00	87,596	5,000	00	00
00	00	10	00	00	00
1,36,12,424	1,47,256	20,12,455	78,424	00	00
1,33,092	00	50,55,145	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	29,37,171	6,41,710
प्रभारित	785	500
12 उर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	2,68,73,920	41,04,411
प्रभारित	23,00,000	00
13 कृषि		
दत्तमत	4,69,30,044	1,38,310
प्रभारित	3,286	00
14 पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	51,97,314	2,86,800
प्रभारित	720	00
15 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	24,20,747	4,20,000
16 मछली पालन		
दत्तमत	6,90,329	24,430
प्रभारित	20	00
17 सहकारिता		
दत्तमत	1,68,15,609	1,98,002
प्रभारित	15	00
18 श्रम		
दत्तमत	20,47,270	00
प्रभारित	20	00
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
दत्तमत	2,10,49,380	6,88,400
प्रभारित	6,050	00
20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		
दत्तमत	36,23,191	30,25,960
प्रभारित	1,500	00
21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	19,95,320	37,12,310
22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय		
दत्तमत	2,27,840	00
प्रभारित	5	00

का सार-जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना					
	बचत		आधिक्य			
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

17,94,014	72,330	11,43,157	5,69,380	00	00
770	00	15	500	00	00
2,61,56,948	33,76,680	7,16,972	7,27,731	00	00
23,00,000	00	00	00	00	00
1,56,13,224	66,965	3,13,16,820	71,345	00	00
2,456	00	830	00	00	00
41,35,726	67,755	10,61,588	2,19,045	00	00
761	00	00	00	41	00
			(40,777)		
19,97,702	4,20,000	4,23,045	00	00	00
5,81,689	24,427	1,08,640	3	00	00
00	00	20	00	00	00
1,58,80,112	2,988	9,35,497	1,95,014	00	00
00	00	15	00	00	00
14,08,330	00	6,38,940	00	00	00
00	00	20	00	00	00
1,92,28,098	6,08,841	18,21,282	79,559	00	00
5,890	00	160	00	00	00
25,92,434	14,73,256	10,30,757	15,52,704	00	00
1,116	00	384	00	00	00
13,89,775	19,37,364	6,05,545	17,74,946	00	00
1,67,134	00	60,706	00	00	00
00	00	5	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	

23 जल संसाधन विभाग		
दत्तमत	60,82,045	47,00,859
प्रभारित	110	5,500
24 लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	1,33,26,710	1,43,48,402
प्रभारित	00	4,86,063
25 खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	34,67,160	37,88,342
प्रभारित	500	00
26 संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	4,64,404	15,000
27 स्कूल शिक्षा		
दत्तमत	4,52,56,104	5,68,140
प्रभारित	500	00
28 राज्य विधान मण्डल		
दत्तमत	6,92,061	00
प्रभारित	8,200	00
29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन		
दत्तमत	59,89,968	1,48,069
प्रभारित	8,35,720	10,200
30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	2,94,70,822	98,17,300
प्रभारित	200	00
31 योजना, आर्थिक तथा सांस्कृतिकी विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	4,22,580	00
प्रभारित	40	00
32 जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	24,78,145	500
प्रभारित	10	00
33 आदिम जाति कल्याण		
दत्तमत	4,07,32,126	3,300
प्रभारित	3,200	00

का सार-जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना					
	बचत		आधिक्य			
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		

49,74,793	28,73,681	11,07,252	18,27,178	00	00	
00	1,479	110	4,021	00	00	
67,72,341	1,09,07,681	65,54,369	34,40,721	00	00	
00	4,37,853	00	48,210	00	00	
3,83,158	4,57,234	30,84,002	33,31,108	00	00	
64	00	436	00	00	00	
3,67,722	00	96,682	15,000	00	00	
4,41,72,312	3,08,104	10,83,793	2,60,036	00	00	
238	00	262	00	00	00	
4,54,296	00	2,37,765	00	00	00	
2,230	00	5,970	00	00	00	
49,96,149	53,777	9,93,819	94,292	00	00	
6,30,364	2,792	2,05,356	7,408	00	00	
1,90,61,060	82,51,729	1,04,09,762	15,65,571	00	00	
00	00	200	00	00	00	
2,94,549	00	1,28,031	00	00	00	
00	00	40	00	00	00	
23,34,390	476	1,43,755	24	00	00	
00	00	10	00	00	00	
4,13,34,444	00	00	3,300	6,02,318	00	
3,200	00	00	00	(60,23,18,378)	00	
					00	

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
34 समाज कल्याण		
दत्तमत	9,92,929	1,000
प्रभारित	40	00
35 पुनर्वास		
दत्तमत	23,584	00
36 परिवहन		
दत्तमत	6,93,726	62,800
प्रभारित	2,050	00
37 पर्यटन		
दत्तमत	2,63,000	3,27,000
39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	2,92,16,180	71,460
प्रभारित	50	00
40 आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	43,739	11,75,200
41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना		
दत्तमत	17,03,42,111	3,12,21,499
प्रभारित	10	1,500
42 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	00	99,87,256
प्रभारित	00	87,000
43 खेल और युवा कल्याण		
दत्तमत	5,08,850	25,000
प्रभारित	30	00
44 उच्च शिक्षा		
दत्तमत	74,25,580	1,24,300
प्रभारित	70	00
45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य		
दत्तमत	8,17,662	35,55,100
46 विज्ञान और टेक्नालॉजी		
दत्तमत	2,01,000	20,000

का सार—जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना					
	बचत			आधिक्य		
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

7,43,094	684	2,49,835	316	00	00
00	00	40	00	00	00
14,011	00	9,573	00	00	00
4,53,120	60,030	2,40,606	2,770	00	00
00	00	2,050	00	00	00
2,19,900	1,36,800	43,100	1,90,200	00	00
2,82,11,227	57,847	10,04,953	13,613	00	00
00	00	50	00	00	00
20,740	15,184	22,999	11,60,016	00	00
13,02,06,665	2,06,97,454	4,01,35,446	1,05,24,045	00	00
00	500	10	1,000	00	00
00	98,39,770	00	1,47,485	00	00
00	22,351	00	64,649	00	00
1,30,536	643	3,78,314	24,357	00	00
00	00	30	00	00	00
74,54,040	1,124	00	1,23,176	28,460 (2,84,60,074)	00
00	00	70	00	00	00
7,21,511	23,16,625	96,151	12,38,475	00	00
74,375	00	1,26,625	20,000	00	00

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
47 तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग		
दत्तमत	37,24,370	3,69,950
प्रभारित	20	00
49 अनुसूचित जाति कल्याण		
दत्तमत	60,594	00
50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	32,685	00
51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व		
दत्तमत	1,12,450	32,000
53 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	2,01,547	3,60,642
54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	14,45,000	2,70,000
55 महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	1,17,87,370	2,48,610
प्रभारित	10	00
56 ग्रामोद्योग		
दत्तमत	11,44,118	26,000
58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय		
दत्तमत	63,66,213	2,000
60 जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	8,000	10,40,000
64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
दत्तमत	5,80,59,200	1,21,60,797
प्रभारित	10	00

का सार—जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना					
	बचत		आधिक्य			
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

25,07,681 00	36,443 00	12,16,689 20	3,33,507 00	00	00
48,854	00	11,740	00	00	00
26,763	00	5,922	00	00	00
55,991	14,144	56,459	17,856	00	00
1,66,347	3,60,642	35,200	00	00	00
14,00,750	1,79,200	44,250	90,800	00	00
76,05,743 472	1,29,315 00	41,81,627 00	1,19,295 00 <i>462 (4,62,061)</i>	00	00
9,11,304	16,198	2,32,814	9,802	00	00
59,68,194	00	3,98,019	2,000	00	00
2,750	10,16,064	5,250	23,936	00	00
4,41,97,927 00	62,07,179 00	1,38,61,273 10	59,53,618 00	00	00

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	

65 विमानन विभाग			
दत्तमत	5,08,940	7,00,500	
प्रभारित	10	00	
66 पिछड़ा वर्ग कल्याण			
दत्तमत	24,59,059	2,47,300	
67 लोक निर्माण कार्य—भवन			
दत्तमत	66,37,197	67,55,822	
प्रभारित	4,600	00	
68 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित			
लोक निर्माण कार्य—भवन			
दत्तमत	00	13,22,724	
69 नगरीय प्रशासन एवं विकास			
विभाग—नगरीय कल्याण			
दत्तमत	1,16,28,377	00	
71 सूचना प्रौद्योगिकी एवं			
जैव—प्रौद्योगिकी			
दत्तमत	12,92,797	15,78,301	
75 जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबाड़			
से सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
दत्तमत	00	70,00,000	
76 लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों			
से सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
दत्तमत	00	61,09,200	
79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से			
सम्बंधित व्यय			
दत्तमत	72,21,158	25,64,420	
प्रभारित	420	00	
80 त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं			
को वित्तीय सहायता			
दत्तमत	3,85,98,959	12,50,000	
81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता			
दत्तमत	2,00,84,960	41,97,054	
प्रभारित	7,13,450	00	

का सार-जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना					
	बचत		आधिक्य			
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	

4,18,647	00	90,293	7,00,500	00	00	
00	00	10	00	00	00	
15,32,118	33,800	9,26,941	2,13,500	00	00	
57,62,287	26,77,330	8,74,910	40,78,492	00	00	
2,745	00	1,855	00	00	00	
00	5,34,440	00	7,88,284	00	00	
38,71,354	00	77,57,023	00	00	00	
7,13,850	15,00,000	5,78,947	78,301	00	00	
00	20,11,181	00	49,88,819	00	00	
00	30,69,918	00	30,39,282	00	00	
53,98,808	7,55,916	18,22,350	18,08,504	00	00	
00	00	420	00	00	00	
3,45,70,999	12,43,729	40,27,960	6,271	00	00	
1,79,22,364	40,27,054	21,62,596	1,70,000	00	00	
7,13,450	00	00	00	00	00	

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
82 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता दत्तमत	63,15,688	10,50,000
83 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता दत्तमत	4,77,105	3,53,100
योग दत्तमत :	83,75,36,300	14,32,41,870
योग प्रभारित :	5,87,00,474	2,96,55,811
महायोग :	89,62,36,774	17,28,97,681

का सार—जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना				
	बचत	आधिक्य			
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)
49,11,540	10,50,000	14,04,148	00	00	00
4,50,561	3,53,100	26,544	00	00	00
68,86,53,807	9,07,59,441	15,53,39,133	5,24,82,429	64,56,640	00
5,57,84,854	8,74,15,295	54,00,597	1,25,788	24,84,977	5,78,85,272
74,44,38,661	17,81,74,736	16,07,39,730	5,26,08,217	89,41,617	5,78,85,272

विनियोग लेखे का सार—जारी

निम्नलिखित प्रकरणों में दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय हुआ। अधिक व्यय का विनियमन आवश्यक है :—

अनुदान संख्या और नाम—		अनुभाग
दत्तमत—अनुदान		
06 वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय		राजस्व
33 अदिम जाति कल्याण		राजस्व
44 उच्च शिक्षा		राजस्व

प्रभारित—विनियोग

(.) ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	राजस्व
(..) लोक ऋण	पूँजीगत
06 वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व
14 पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व
55 महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	राजस्व

वर्ष 2019–20 के दौरान विनियोग लेखे के सार में दर्शाये गये व्यय में आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अप्रिमों से किये गये ₹ 89,490 हजार का व्यय किया गया। जो वर्ष के दौरान प्रतिपूरित किया गया सम्मिलित है, जिसे परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशियों के लिए है जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शमिल नहीं की जाती हैं, जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2019–20 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दर्शाया गया है।

	राजस्व		पूँजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
(₹ हजार में)				

विनियोग लेखे के अनुसार

कुल व्यय	68,86,53,807	5,57,84,854	9,07,59,441	8,74,15,295
----------	--------------	-------------	-------------	-------------

घटाइये—वसूलियों का जोड़	95,87,685	77,850	49,98,965	00
-------------------------	-----------	--------	-----------	----

वित्त लेखे के विवरण संख्या 11— में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	67,90,66,122	5,57,07,004	8,57,60,476	8,74,15,295
-----------------------------------------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक व्यय निम्नांकित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुआ :—

(क) दत्तमत अनुदानः—

राजस्वः— निरंक

पूंजीगतः— निरंक

(ख) प्रभारित विनियोग :—

राजस्व :— अनुदान संख्या— 06 एवं 55

पूंजीगतः— अनुदान संख्या— लोक ऋण

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक बचत निम्नांकित दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुईः—

(क) दत्तमत अनुदानः—

(i) राजस्व :—अनुदान संख्या— 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 79, 80, 81 एवं 82

(ii) पूंजीगत :—अनुदान संख्या— 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 76, एवं 79

(ख) प्रभारित विनियोग :—

(i) राजस्व :—अनुदान संख्या— 01, 03, 05, 08, 09, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 44, 47, 64, 65, 67 एवं 79

(ii) पूंजीगतः—अनुदान संख्या— 11, 23, 29, 41 एवं 42

लोक लेखा समिति द्वारा उपशीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा ₹ 5.00 लाख निर्धारित किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के विनियोग लेखे समाहित है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक् संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाऊचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ—साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से सम्बंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतन्त्र संस्थायें हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक् उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढॉचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त है, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखा परीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सम्बंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जॉच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम स्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

मामलों का ध्यानाकर्षण—

मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों जो इन लेखों की शुद्धता, पारदर्शिता और सम्पूर्णता तथा लोक वित्त पर विधायी वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ :

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान तीन अनुदानों और तीन विनियोगों के अंतर्गत राज्य विधान सभा द्वारा प्राधिकृत राशि के अतिरिक्त ₹ 6,682.69 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया। वर्ष 2000–01 से 2018–19 तक अधिक संवितरण किए गए ₹ 3,261.83 करोड़ को राज्य विधान सभा द्वारा नियमित किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद– 204 एवं 205 का उल्लंघन है, जिसमें यह विनिर्दिष्ट है कि राज्य के समेकित निधि से राज्य विधान सभा द्वारा विनियोग के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अतिरिक्त कोई भी राशि आहरित नहीं की जायेगी। यह बजटीय प्रणाली तथा वित्तीय नियंत्रण को प्रभावित करती है एवं सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितता को प्रोत्साहित करती है।

उपरोक्त मामले पर लेखापरीक्षा टिप्पणी 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के “राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” में विस्तृत रूप से दिया गया है।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

दिनांक : 3 जून 2021

स्थान : नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

(प्रभारित विनियोग)

कुल
विनियोग

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(-)

मुख्य शीर्ष –

2048–ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन

2049–ब्याज अदायगियां

राजस्व:

मूल	4,75,39,953			
पूरक	11,12,413	4,86,52,366	5,11,33,309	+24,80,943
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

- (i) भारित विनियोग पर हुए ₹ 2,48,09,42,942 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।
- (ii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(-)
	विनियोग	व्यय	
		(₹ लाख में)	

(1) 2049–01–101–2199–नया

बाजार ऋण—

मूल	25,000.00			
पुनर्वि.	(–)25,000.00	0.00	0.00	0.00

₹ 25,000.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2005–06 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2049–01–101–7923–8.11 प्रतिशत छत्तीसगढ़

राज्य विकास ऋण 2028	8,921.00	0.00	(–)8,921.00
---------------------	----------	------	-------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(3) 2049–01–123–4854–केन्द्रीय सरकार की

राष्ट्रीय अल्प बचत

निधि पर ब्याज—

मूल	55,000.00			
पुनर्वि.	(–)8,963.44	46,036.56	46,036.56	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग से ₹ 8,963.44 लाख की कमी बजट प्रावधान के विरुद्ध कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2049–01–200–3087–भारतीय जीवन बीमा निगम

से लिए गए ऋणों पर ब्याज—

मूल	500.00			
पुनर्वि.	(–)500.00	0.00	0.00	0.00

₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2005–06 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2049–01–305–2205–नये ऋणों के प्रचालन

सम्बन्धी व्यय—

मूल	150.00			
पुनर्वि.	(–)57.05	92.95	92.95	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग से ₹ 57.05 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(6) 2049—04—101—6721—बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार समेकित ऋणों पर ब्याज—			
मूल 5,842.41			
पुनर्वि. (-)3,097.22	2,745.19	2,745.19	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग से ₹ 3,097.22 लाख की कमी बजट प्रावधान के विरुद्ध कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2049—60—701—4192—शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना— (बीमा निधि पर ब्याज)—			
मूल 2,500.00			
पुनर्वि. (-)591.81	1,908.19	1,908.19	0.00
(8) 2049—60—701—4198—शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना— (बचत निधि पर ब्याज)—			
मूल 7,000.00			
पुनर्वि. (-)2,258.92	4,741.08	4,741.08	0.00
(9) 2049—60—701—4209—शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज—			
मूल 600.00			
पुनर्वि. (-)288.23	311.77	311.77	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में क्रमशः ₹ 591.81 लाख, ₹ 2,258.92 एवं ₹ 288.23 लाख की कमी अनुमानित व्यय के विरुद्ध कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2011—12 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (8) एवं 2012—13 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-			
शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(1) 2049—01—101—6341—8.18 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2025—			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00
(2) 2049—01—101—6342—7.48 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2022—			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00
(3) 2049—01—101—6344—7.43 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2022—			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 5,572.50	5,572.50	5,572.50	0.00

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—जारी

	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)		
(4) 2049—01—101—6345—7.68 प्रतिशत छत्तीसगढ़				
राज्य विकास ऋण 2024—				
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00
(5) 2049—01—101—6347—8.04 प्रतिशत छत्तीसगढ़				
राज्य विकास ऋण 2026—				
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	5,628.00	5,628.00	5,628.00	0.00
(6) 2049—01—101—6348—7.7 प्रतिशत छत्तीसगढ़				
राज्य विकास ऋण 2023—				
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	5,299.00	5,299.00	5,299.00	0.00
(7) 2049—01—101—6349—7.69 प्रतिशत छत्तीसगढ़				
राज्य विकास ऋण 2024—				
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	3,845.00	3,845.00	3,845.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में क्रमशः ₹ 8,180.00 लाख, ₹ 5,610.00, ₹ 5,572.50 लाख, ₹ 3,840.00 लाख, ₹ 5,628.00 लाख, ₹ 5,299.00 लाख, एवं ₹ 3,845.00 लाख का आवर्धन बजट प्रावधान से अधिक उपयोग किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।				
(8) 2049—01—101—7758—उदय योजनान्तर्गत				
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण				
कम्पनी को अनुदान—				
मूल	10,000.00			
पुनर्वि.	(−)2,569.18	7,430.82	16,351.82	+8,921.00
पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग से ₹ 2,569.18 लाख की कमी बजट प्रावधान के विरुद्ध कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।				
(9) 2049—01—101—7940—8.07 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य				
विकास ऋण 2028—				
मूल	403.50			
पुनर्वि.	3,631.50	4,035.00	4,035.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में ₹ 3,631.50 लाख का आवर्धन बजट प्रावधान के विरुद्ध अधिक उपयोग किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।				
(10) 2049—01—101—7996—8.14 प्रतिशत छत्तीसगढ़				
राज्य विकास ऋण 2025—				
पूरक	सांकेतिक			
		8,140.00	8,140.00	+8,140.00
(11) 2049—01—101—7997—7.93 प्रतिशत छत्तीसगढ़				
राज्य विकास ऋण 2024—				
पूरक	सांकेतिक			
		7,930.00	7,930.00	+7,930.00
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।				
(12) 2049—01—200—3089—भा.रि.बैंक से अर्थोपाय				
पेशगियों और कैश बैलेन्स की कमी की				
पूर्ति हेतु लिये गये				
अग्रिमों पर ब्याज—				
मूल	80.00			
पुनर्वि.	(−)43.86	36.14	733.35	+697.21

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग से ₹ 43.86 लाख की कमी बजट प्रावधान के अनुसार कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
(13) 2049-01-200-3732-राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गये ऋणों पर ब्याज—			
मूल	26,000.00		
पुनर्वि.	1,833.94	27,833.94	28,830.53 +996.59
पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में ₹ 1,833.94 लाख का आवर्धन बजट प्रावधान से अधिक उपयोग किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(14) 2049-01-305-2624-पुराने ऋणों का प्रबंध	400.00	863.78	+463.78
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज—			
मूल	1,318.36		
पूरक	(-)422.78	1,741.14	4,163.17 +2,422.03
(16) 2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज—			
मूल	43,312.80		
पूरक	3,546.34	46,859.14	48,313.85 +1,454.71
(17) 2049-04-101-3707-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज—	9,578.15	11,408.98	+1,830.83
(18) 2049-60-701-5413-संचित शोधन निधि के प्रबंधन संबंधी व्यय	0.40	874.67	+874.27

उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (18) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014-15 से 2018-19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं 2018-19 के दौरान क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत भी आधिक्य हुआ था।

लोक ऋण
(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
--	----------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष –**6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण****6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम**

पूँजीगत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	2,90,65,048	8,69,50,320	+5,78,85,272
-------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत :

(i) भारित विनियोग पर ₹ 57,88,52,71,564 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 5,78,852.72 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 62,903.06 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
--	----------------	---------------------------------	-------------------

(1) 6003—110—637—उपाय तथा

साधन अग्रिम—

मूल	66,000.00	0.00	(—) 26,078.74
पुनर्वि.	(—)39,921.26	26,078.74	

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,976.67 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 35,944.59 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 39,921.26 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2007—08 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 6003—110—779—कमियों की पूर्ति

के लिए अग्रिम—

मूल	26,451.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(—)26,451.00		

₹ 26,451.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 6003—111—5670—केन्द्रीय सरकार की

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को

जारी विशेष प्रतिभूतियां—

मूल	46,000.00	45,587.53	0.00
पुनर्वि.	(—)412.47		

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 412.47 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 6004—01—800—9484—सेन्ट्रल पूल बटालियन—

मूल	53.30	0.00	0.00
पुनर्वि.	(—)53.30		

₹ 53.30 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

लोक ऋण— समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 6003–105–3731—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण

विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से कर्जे	66,001.80	66,480.10	+478.30
--------------------------------------------------	-----------	-----------	---------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(2) 6003–112–91 दिवस के जमा पर

विशेष आहरण सुविधा पर ब्याज	0.00	6,65,868.00	+6,65,868.00
-------------------------------	------	-------------	--------------

व्यय के रूप में दर्शित अधिक राशि विशेष आहरण सुविधा के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को संपारशिक अग्रिम के रूप में दिए गए अस्थायी आहरण की प्रतिपूर्ति है, जो कोषालय देयकों में निवेश के विरुद्ध रोकड़ शेष को बनाये रखने के लिए है।

(3) 6004–02–101–3052—ब्लाक कर्जे—

मूल	6,759.71			
पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में ₹ 2,455.56 लाख के आवधन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।	2,455.56	9,215.27	9,215.27	

(4) 6004–02–101–6718—बारहवें वित्त आयोग की

सिफारिश अनुसार समेकित ऋण—				
मूल	9,326.13			

पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में ₹ 1,042.81 लाख के आवधन के प्रर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।	पुनर्विनियोजन में विनियोग में दर्शित अधिक्य के आवधन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।	1,042.81	10,368.94	10,368.94	0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	-----------	------

(5) 6004–09–101–3052—ब्लाक कर्जे

0.00	1,966.52	+1,966.52
------	----------	-----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

मुख्य शीर्ष—	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)	

2012—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

2013—मंत्री परिषद

2015—निर्वाचन

2051—लोक सेवा आयोग

2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं

2055—पुलिस

2059—लोक निर्माण कार्य

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं

3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं

4059—लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय

7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	32,20,513			
पूरक	1,53,551	33,74,064	23,47,840	(—)10,26,224
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,43,998
(31 मार्च 2020)				

प्रभारित—

मूल	3,56,635			
पूरक	1,700	3,58,335	2,36,117	(—)1,22,218
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,22,933
(31 मार्च 2020)				

पूँजीगत:

दत्तमत—

मूल	5,00,700			
पूरक	6,299	5,06,999	1,66,048	(—)3,40,951
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,42,203
(31 मार्च 2020)				

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत हुए व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 11,796 हजार (₹ 4,350 हजार 04.06.2019 को स्वीकृत एवं जून 2019 में आहरित, ₹ 3,750 हजार 04.06.2019 को स्वीकृत एवं अगस्त 2019 में आहरित तथा ₹ 3,696 हजार की राशि 05.10.2019 को स्वीकृत एवं अक्टूबर 2019 में आहरित) की राशि सम्मिलित है जिसकी प्रतिपूर्ति मार्च 2020 में की गई।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 869.55 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 665.96 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,535.51 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या 01—जारी

(ii) ₹ 10,262.24 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 9,439.98 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 2013–101–3282—मंत्रियों का वेतन—			
मूल	134.30		
पुनर्वि.	(-)78.57	55.73	65.68
			+9.95
(2) 2013–102–3282—मंत्रियों का वेतन—			
मूल	288.00		
पुनर्वि	(-)134.12	153.88	159.24
			+5.36
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 78.57 लाख एवं ₹ 134.12 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय एवं प्रस्तुत बिलों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2013–14 से 2018–19 तक क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 2013–105–9064—मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान—			
मूल	3,570.00		
पूरक	230.00		
पुनर्वि.	(-)586.06	3,213.94	3,213.94
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 586.06 लाख की कमी मंत्रियों से प्राप्त देयकों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013–14 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2013–800–3282—मंत्रियों का वेतन—			
मूल	262.00		
पुनर्वि	(-)138.33	123.67	123.67
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 138.33 लाख की कमी मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत देयकों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(5) 2015–101–6262—राज्य निर्वाचन आयोग—			
मूल	10,894.10		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)5,952.90	4,941.20	4,941.98
			+0.78
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,952.90 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने, अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निधियों की मांग नहीं किए जाने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निर्वाचन में मितव्ययी उपायों को अपनाने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के प्राप्त नहीं होने एवं दूरभाष की दरें कम होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013–14 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2052–090–4327—सचिवालय—			
मूल	6,700.88		
पूरक	690.05		
पुनर्वि.	(-)672.63	6,718.30	6,734.48
			+16.18
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 90.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 762.63 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 672.63 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(7) 2052—090—5062—राष्ट्रीय पर्व हेतु अनुदान—			
मूल	32.00		
पूरक.	44.00	76.00	14.76
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			(—)61.24
(8) 2052—090—7708—प्रशासनिक आयोग—			
मूल	110.45		
पुनर्वि.	(—)110.42	0.03	0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.42 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			0.00
(9) 2052—091—458—आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली का कार्यालय—			
मूल	1,124.00		
पूरक	122.00		
पुनर्वि.	(—)268.66	977.34	975.69
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 268.66 लाख की कमी कार्यालय के लिए मशीन के क्रय नहीं किए जाने, आगंतुकों का कम आगमन होने तथा छत्तीसगढ़ भवन में मरम्मत कार्य कम होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।		(—)1.65	
(10) 2055—101—4544—सी.आई.डी. (इकॉनामिक अफेन्सेस)—			
मूल	996.50		
पूरक	271.50	1,268.00	1,001.63
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 266.37 लाख की कमी कार्यालय के लिए मशीन के क्रय नहीं किए जाने, आगंतुकों का कम आगमन होने तथा छत्तीसगढ़ भवन में मरम्मत कार्य कम होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।		(—)266.37	
(11) 2055—101—5461—एन्टी करप्शन ब्यूरो—			
मूल	1,101.90		
पूरक	10.00	1,111.90	665.50
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2009—10 से 2018—19 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।		(—)446.40	
(12) 2070—003—5435—प्रशासन अकादमी—			
मूल	905.90		
पूरक	107.00		
पुनर्वि.	(—)151.63	861.27	861.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 151.63 लाख की कमी कोविड—19 के कारण प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जाने, कोषालयों द्वारा देयक स्वीकार नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।		(—)0.22	
(13) 2070—800—5405—लोक आयोग—			
मूल	457.55		
पूरक	18.00		
पुनर्वि.	(—)170.60	304.95	312.41
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 170.60 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के करण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			+7.46

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2070-800-5460—विशेष अन्वेषण स्थापना (एस.आई.ई.)	148.78	96.22	(-)52.56

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(15) 2251-090-4329—सचिवालय— मूल 2,055.40 पुनर्वि. (-)531.84	1,523.56	1,522.23	(-)1.33
-------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 90.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 441.84 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 531.84 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014-15 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2251-091-7271—छत्तीसगढ़ लोक प्रशासन फोरम का गठन— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 3451-090-4327—सचिवालय— मूल 2,051.00 पुनर्वि. (-)385.28	1,665.72	1,663.94	(-)1.78
-------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 385.28 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011-12 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम रहा, मार्च 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 17.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(v) ₹ 1,222.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 1,229.33 लाख का समर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2012-03-090-4330—सचिवालय— मूल 601.88 पुनर्वि. (-)142.73	459.15	461.88	+2.73

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 142.73 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कम यात्रा कार्यक्रम होने, डाक पर कम व्यय किए जाने, विधिक सेवा की आवश्यकता नहीं होने एवं ई.पी.ए.बी.एक्स. कनेक्शन का निष्कासन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2012-03-102-9060—विवेकानुदान— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)59.75	40.25	40.25	0.00
----------------------------------------------------------------------	-------	-------	------

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 59.75 लाख की कमी आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(3) 2012-03-103-9059-घरेलू कर्मचारी—	मूल 458.47 पुनर्वि. (-)107.44	351.03	351.17	+0.14
-----------------------------------------	----------------------------------	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 107.44 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, राजभवन में एल.ई.डी. बल्ब का उपयोग किए जाने से विद्युत प्रभार में कमी होने एवं विभिन्न अन्य मदों में कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2012-03-104-4372-समचुअरी	भत्ता—			
	मूल 0.50			
	पूरक 17.00			
	पुनर्वि. (-)17.50	0.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9.00 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 8.50 लाख की अन्य कमी कला एवं संगीत के कम आयोजन होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 17.50 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(5) 2012-03-108-3609-अन्य व्यय—	मूल 15.00 पुनर्वि. (-)8.85	6.14	6.14	0.00
---------------------------------	-------------------------------	------	------	------

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 8.85 लाख की कमी जुलाई 2019 तक नियमित राज्यपाल की अनुपस्थिति से व्यय में कमी के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2012-03-800-3609-अन्य व्यय—	मूल 16.60 पुनर्वि. (-)12.60	4.00	3.98	(-)0.02
---------------------------------	--------------------------------	------	------	---------

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 12.60 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग—	मूल 2,296.50 पुनर्वि. (-)850.16	1,446.34	1,450.92	+4.58
-------------------------------------------	------------------------------------	----------	----------	-------

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 850.16 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2008-09 से 2018-19 के दौरान इस निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 10.00 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 52.99 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 62.99 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(viii) ₹ 3,409.51 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 2,422.03 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 01—समाप्त

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)	बचत(—)

4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7862—मुख्यमंत्री धोषणाओं

की पूर्तियाँ—

मूल 5,000.00

पुनर्वि. (-)2,421.12

2,578.88

1,601.40

(-)977.48

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,421.12 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं

2053—जिला प्रशासन

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2250—अन्य सामाजिक सेवाएं

राजस्व:

मूल	3,05,835			
पूरक	22,025	3,27,860	1,52,027	(-)1,75,833
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				57,310
(31 मार्च 2020)				

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत हुए व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 4,100 हजार (₹ 2,300 हजार 04.06.2019 को स्वीकृत एवं जून 2019 में आहरित, ₹ 1,300 हजार 04.06.2019 को स्वीकृत एवं जुलाई 2019 में आहरित तथा ₹ 250 हजार 04.06.2019 को स्वीकृत एवं सितम्बर 2019 में आहरित एवं ₹ 250 हजार 04.06.2019 को स्वीकृत एवं नवम्बर 2019) की राशि सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति मार्च 2020 में की गई।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 158.25 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 62.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 220.25 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,758.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 573.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2052—092—6705—राज्य सूचना

आयोग—

मूल	699.90			
पुनर्वि.	(-)283.97	415.93	415.73	(-)0.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 283.97 लाख की कमी नियमित कर्मचारियों की कमी एवं अधिकांश कर्मचारी संविदा तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य करने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2070—800—5079—विशेष जांच

आयोग—

मूल	130.25			
पुनर्वि.	(-)9.00	121.25	82.91	(-)38.34

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2235—60—107—4674—स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों

को भत्ते तथा उपादान—

मूल	360.00			
पुनर्वि.	(-)184.94	175.06	1.71	(-)173.35

अनुदान संख्या 02—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 184.94 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2006–07 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(4) 2235—60—800—1982—दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा धायलों को वित्तीय सहायता	1,390.00	369.70	(–)1,020.30
-----------------------------------------------------------------------------	----------	--------	-------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2250—800—6358—लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि—	मूल पुनर्वि.	30.00 (–)30.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------	-----------------	-------------------	------	------	------

₹ 30.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान आयोग के अध्यक्ष के मानदेय का निर्धारण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 03—पुलिस

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2049—ब्याज अदायगियां

2055—पुलिस

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

4055—पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल 4,43,80,745

पूरक 16,27,910

4,60,08,655

4,29,92,757

(—)30,15,898

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

24,62,427

(31 मार्च 2020)

प्रभारित—

मूल 6,600

पूरक 10,063

16,663

13,472

(—)3,191

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

3,191

(31 मार्च 2020)

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल 6,63,850

पूरक 100

6,63,950

4,30,160

(—)2,33,790

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

2,24,441

(31 मार्च 2020)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 4,549.10 लाख), दिसम्बर 2019 (₹ 1,212.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 10,518.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 16,279.10 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 30,158.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 24,624.27 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 2049—01—200—2629—पुलिस—

मूल 5,000.00				
पुनर्वि. (—)170.00	4,830.00	4,830.00	0.00	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 170.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(2) 2055-001-3680—राज्य

मुख्यालय—

मूल	9,472.70	7,873.24	7,843.01	(—)30.23
पुनर्वि.	(—)1,599.46			

समर्पण द्वारा ₹ 1,529.46 लाख की कमी मितव्यी उपायों को अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,599.46 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014-15 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2055-001-7012—पुलिस जवाबदेही

प्राधिकरण—

मूल	181.20	84.72	84.60	(—)0.12
पुनर्वि.	(—)96.48			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.48 लाख की कमी मितव्यी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 2055-001-7811—डायल

100 / 112—

मूल	6,000.00	3,523.04	3,523.04	0.00
पुनर्वि.	(—)2,476.96			

समर्पण द्वारा ₹ 1,076.96 लाख की कमी मितव्यी उपायों को अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,400.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,476.96 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2055-003-195—अन्य पुलिस

प्रशिक्षण शालाएं—

मूल	5,477.10	4,651.37	4,610.78	(—)40.59
पूरक	120.00			
पुनर्वि.	(—)945.73			

समर्पण द्वारा ₹ 965.73 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 945.73 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2055-101-279—अभियोजन

संचालनालय—

मूल	3,263.21	2,171.20	2,173.00	+1.80
पुनर्वि.	(—)1,092.01			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,092.01 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2055-104-4492—सामान्य व्यय

(विशेष पुलिस)—

मूल	1,26,581.60	1,31,616.73	1,29,892.20	(—)1,724.53
पूरक	8,976.00			
पुनर्वि.	(—)3,940.87			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,940.87 लाख की कमी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(8) 2055—104—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7936—विशेष अधोसंरचना योजना—सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण के साथ— पूरक 2,000.00 पुनर्वि. (—)539.97	1,460.03	1,460.03	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 539.97 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2055—108—5067—विधि चिकित्सा विज्ञान— मूल 1,324.24 पुनर्वि. (—)311.34	1,012.90	1,010.03	(—)2.88
-----------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 311.34 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010—11 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2055—109—121—केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती— मूल 243.00 पूरक 542.00 पुनर्वि. (—)753.66	31.34	31.34	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 753.66 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(11) 2055—109—4491—सामान्य व्यय— (जिला स्थापना)— मूल 2,07,765.90 पूरक 1,712.00 पुनर्वि. (—)7,314.87	2,02,163.03	2,00,937.90	(—)1,225.13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------

समर्पण द्वारा ₹ 8,664.87 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,350.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 7,314.87 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2055—109—6717—प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय— मूल 17,197.50 पूरक 4,900.00 पुनर्वि. (—)2,914.20	19,183.30	20,602.74	+1,419.44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

समर्पण द्वारा ₹ 3,014.20 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,914.20 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2055—109—8333—सड़क सुरक्षा निधि से व्यय— मूल 1,400.00 पुनर्वि. (—)12.33	1,387.67	0.00	(—)1,387.67
---------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	-------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12.33 लाख की कमी मितव्ययी उपायों अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2055—109—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7660—महिला अपराध अनुसंधान इकाई— मूल 350.64 पुनर्वि. (-)350.64	0.00	0.00	0.00
₹ 350.64 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2055—111—2531—पर्यवेक्षक कर्मचारी वर्ग (रेलवे पुलिस—पूर्वी विभाग)— मूल 3,783.35 पुनर्वि. (-)689.99	3,093.36	3,070.15	(-)23.21
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 689.99 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(16) 2055—113—7494—छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)175.00	325.00	325.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2055—114—4155—बेतार केन्द्र रायपुर— मूल 5,250.60 पुनर्वि. (-)1,084.83	4,165.77	4,131.98	(-)33.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,084.83 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2070—107—2710—प्रधान सेनानी कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय— मूल 2,203.66 पूरक. सांकेतिक 2,203.66		1,721.54	(-)482.12
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2007—08 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(19) 2070—107—492—आवाहन पर होने वाला व्यय 14,581.00		12,575.32	(-)2,005.68
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013—14 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

प्रभारित—

(iv) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2019 (₹ 0.63 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 50.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक विनियोग अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2020 (₹ 50.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक विनियोग आधिक्यपूर्ण था। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 03—समाप्त

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
<i>2055—109—4491—सामान्य व्यय (जिला स्थापना)—</i>			
मूल	60.00		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(-)31.91	128.09	128.09
			0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 31.91 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 1.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 2,337.90 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 2,244.41 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
<i>(1) 4055—207—3680—राज्य मुख्यालय—</i>			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)748.57	251.43	251.43
			0.00
<i>(2) 4055—207—4491—सामान्य व्यय (जिला स्थापना)—</i>			
मूल	2,263.20		
पुनर्वि.	(-)1,179.68	1,083.52	990.02
			93.50
<i>(3) 4055—208—4492—सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)—</i>			
मूल	140.00		
पुनर्वि.	(-)117.83	22.37	22.37
			0.00
<i>(4) 4055—208—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—</i>			
2629—पुलिस—			
मूल	3,175.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	3,025.00	3,025.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 748.57 लाख, ₹ 1,179.68 लाख, ₹ 117.83 लाख एवं ₹ 150.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपयोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007—08 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ हजार में)
---------------	------------------	-----------------------------------

मुख्य शीर्ष—

2013—मंत्री परिषद्

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2216—आवास

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

मूल	5,34,748			
पूरक	3,03,305	8,38,053	5,00,763	(—)3,37,290
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,90,514
(31 मार्च 2020)				

पूँजीगत:

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	57,700	7,057	(—)50,643
(31 मार्च 2020)			50,643

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 1,814.31 लाख), दिसम्बर 2019 (₹ 290.78 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 927.96 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,033.05 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 3,372.90 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 1,905.14 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(1) 2070—106—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

7465—रिवेम्पिंग ऑफ

सिविल डिफेंस—

मूल	70.55			
पुनर्वि.	(—)70.55	0.00	0.00	0.00

₹ 70.55 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2011–12 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2070—108—7714—राज्य मुख्यालय, अग्निशमन एवं

आपातकालीन

सेवाएं—

मूल	159.80			
पुनर्वि.	(—)97.52	62.28	73.82	+11.54

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 97.52 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 04—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
(3) 2070-108-7715-नियंत्रण कक्ष, आग नियंत्रण				
एवं आपातकालीन सेवाएं—				
मूल 86.17				
पुनर्वि. (−)70.13	16.04	16.08		+0.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70.13 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं अग्नि शामक यंत्र के उपलब्ध नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(4) 2070-108-7716-क्षेत्र कार्यालय, आग नियंत्रण				
एवं आपातकालीन सेवाएं—				
मूल 1,877.20				
पुनर्वि. (−)971.73	905.47	916.62		+11.15
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 971.73 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(5) 2070-108-7717-प्रशिक्षण केन्द्र, आग नियंत्रण				
एवं आपातकालीन सेवाएं—				
मूल 168.30				
पूरक 139.00				
पुनर्वि. (−)251.87	55.43	58.52		+3.09
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 251.87 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं शासन द्वारा मशीन और उपकरणों के क्रय किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(6) 2070-108-7718-आपातकालीन				
सेवाएं—				
मूल 718.22				
पुनर्वि. (−)307.78	410.44	424.92		+14.48
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 307.78 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं वाहनों की उपलब्धता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(7) 2235-60-200-6704-जनजागरण अभियान	100.00	0.00		(−)100.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।				
(8) 2235-60-200-7495-अपराध पीड़ितों के				
लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति	500.00	439.75		(−)60.25
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।				
(9) 2235-60-200-9262-जिला सैनिक				
बोर्ड—				
मूल 601.96				
पूरक 2.16				
पुनर्वि. (−)75.63	528.49	527.58		(−)0.91
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.63 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं हितग्राहियों की मृत्यु होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

अनुदान संख्या 04—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(10) 2235—60—200—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7934—केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना पूरक	1,428.31	41.00	(—)1,387.31
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 3454—01—800—6399—जनगणना कार्य	781.00	663.38	(—)117.62
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(12) 3454—01—800—7586—वर्ष 2011 का जनगणना कार्य— मूल 10.74 पूरक 247.00	257.74	0.00	(—)257.74
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2013—800—9261—अन्य व्यय— मूल 308.00 पूरक 435.58	743.58	881.16	+137.58
(2) 2235—60—200—2653—पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान, सहायता अनुदान	500.00	772.10	+272.10
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
पूँजीगत :			
(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
4070—800—7716—मैदानी कार्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं— मूल 500.00 पुनर्वि. (—)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान छत्तीसगढ़ शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 05—जेल

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2056—जेल

4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	18,31,245	18,37,471	15,60,432	(—)2,77,039
पूरक	6,226			2,76,324

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2020)

प्रभारित	10	00	(—)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			10

पूँजीगत:

दत्तमत—	5,000	00	(—)5,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			5,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 62.26 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 2,770.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 2,763.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(1) 2056—001—2272—निर्देशन और

प्रशासन—

मूल	430.45	313.71	313.88	+0.17
पुनर्वि.	(—)116.74			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 116.74 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2056—101—938—केन्द्रीय एवं

जिला जेलें—

मूल	17,132.00	14,754.77	14,747.46	(—)7.31
पूरक	62.26			

पुनर्वि.

(—)2,439.49

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,439.49 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, 13 परिसरों में सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित नहीं किए जाने एवं वीडियो कान्फ्रॉन्सिंग सिस्टम एवं सुरक्षा सिस्टम क्रय किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2006—07 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 05—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	------------------	-------------	-------------------

(3) 2056—102—1524—जेल उत्पादन—

मूल	750.00			0.00
पुनर्वि.	(-)207.01	542.99	542.99	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 207.01 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2018—19 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	------------------	-------------	-------------------

4070—800—938—केन्द्रीय एवं

जिला जेलें—

मूल	50.00			0.00
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00	0.00

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सोलर लाईट लगाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

- 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं
- 2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन
- 2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2435—अन्य कृषि कार्यक्रम
- 2885—उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय
- 7810—अन्तर्राज्यीय निपटारा

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	8,57,62,500			
पूरक	30,02,000	8,87,64,500	9,45,90,362	+58,25,862
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				8,04,592
(31 मार्च 2020)				
प्रभारित		1,041	4,573	+3,532
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				41
(31 मार्च 2020)				

पूंजीगतः

दत्तमत—

मूल	4,000			
पूरक	600	4,600	2,885	(-)1,715
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
(31 मार्च 2020)				1,193

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 5,82,58,61,690 के आधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।
- (ii) ₹ 9,45,903.62 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2019 (₹ 20.00 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 30,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 30,020.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था।
- (iii) ₹ 58,258.62 लाख के अधिक व्यय के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 8,045.92 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2052—091—4296—संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था	219.90	135.65	(-)84.25
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2052—091—7836—अल्प बचत—			
मूल	121.45		
पुनर्वि.	(-)46.08	75.37	75.15
			(-)0.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 46.08 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2052-095-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	50.00	2.15	(-)47.85
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(4) 2054-095-2274—निर्देशन और प्रशासन— मूल 2,315.10 पूरक. 20.00 पुनर्वि. (-)570.58	1,764.52	1,764.47	(-)0.05
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.50 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 563.08 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 570.58 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011-12 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2054-095-4307—संभागीय स्थापना— मूल 901.00 पुनर्वि. (-)251.10	649.90	645.22	(-)4.68
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 251.10 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2008-09 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2054-095-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना— मूल 650.00 पुनर्वि. (-)650.00	0.00	0.00	0.00
₹ 650.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2054-097-1026—खजाना स्थापना— मूल 4,614.80 पुनर्वि. (-)1,190.55	3,424.25	3,437.72	+13.47
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,190.55 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010-11 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2054-098-4361—स्थानीय निधि लेखा— मूल 2,333.10 पुनर्वि. (-)841.86	1,491.24	1,481.59	(-)9.65
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 841.86 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्यी उपायों को अपनाने, देयकों के प्राप्त नहीं होने, व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रशिक्षण, सीधी भर्ती परीक्षा एवं सम्मेलन आयोजित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010-11 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2054-098-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

अनुदान संख्या 06—जारी

	शीर्ष का अंशादान—	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(10) 2071–01–117–6801—राज्य शासन				
	मूल 80,000.00			
	पूरक 30,000.00			
	पुनर्विं. (–)4,279.04	1,05,720.96	1,05,720.96	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,279.04 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।				
(11) 2435–60–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
	5628—कृषक ऋण ब्याज दर			
	युक्तियुक्तकरण हेतु			
	ब्याज अनुदान 2,200.00		899.79	(–)1,300.21
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010–11 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(12) 2435–60–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
	7973—सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के			
	लिए गये अल्पकालीन			
	कृषि ऋण माफी			
	योजना—			
	मूल 3,50,000.00			
	पुनर्विं. (–)65,412.62	2,84,587.38	2,02,224.89	(–)82,362.49
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 65,412.62 लाख की कमी के कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010–11 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

	शीर्ष भोगियों को देय	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2071–01–101–2413—सेवानिवृत वेतन				
	रूपान्तरित मूल्य का भुगतान 1,000.00	2,66,000.00	3,49,350.36	+83,350.36
(2) 2071–01–102–3080—भारत में पेंशनों का				
	रूपान्तरित मूल्य का भुगतान 45,000.00	1,000.00	3,316.10	+2,316.10
(3) 2071–01–104–4590—सेवा एवं मूल्य				
	निवृत्ति पुरस्कार 77,500.00	45,000.00	67,033.96	+22,033.96
(4) 2071–01–105–2514—परिवार पेंशन				
	विधायकों को पेंशन 600.00	77,500.00	1,08,776.97	+31,276.97
(5) 2071–01–111–4010—विधायकों को पेंशन				
	अवकाश नगदीकरण 20,000.00	600.00	1,505.72	+905.72
(6) 2071–01–115–5438—अवकाश नगदीकरण				
		20,000.00	25,295.20	+5,295.20

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013–14 से 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2), 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (3), 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (4) एवं 2016–17 से 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 06—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2235—60—200—7000—पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति—			
मूल 0.10 पुनर्वि. (-)0.10	0.00	520.42	+520.42

₹ 0.10 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(8) 2435—60—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8671—लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना—			
मूल 0.01 पुनर्वि. 65,412.62	65,412.63	69,804.78	+4,392.15

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 65,412.62 लाख के आवर्धन के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

प्रभारित—

(vi) प्रभारित विनियोग से हुए ₹ 35,31,656 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vii) ₹ 35.32 लाख के अधिक व्यय के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 0.41 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) विनियोग में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2071—01—106—600—उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को देय	10.00	45.73	+35.73

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(ix) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 6.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(x) ₹ 17.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 11.93 लाख का समर्पण किया गया। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

- 2030—स्टाम्प तथा पंजीकरण
- 2039—राज्य उत्पाद शुल्क
- 2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर
- 2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण
- 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 6075—विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	27,49,023			
पूरक	8,14,395	35,63,418	28,88,824	(—)6,74,594
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				7,56,111
(31 मार्च 2020)				

प्रभारित	6,00,635	6,00,000	(—)635
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			635
(31 मार्च 2020)			

पूंजीगत

दत्तमत—	17,510	11,866	(—)5,644
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			5,070
(31 मार्च 2020)			

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व :**

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, दिसम्बर 2019 (₹ 8,035.45 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 108.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,143.95 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 6,745.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 7,561.11 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2030—01—001—6003—मुख्यालय स्थापना—

मूल	283.30		
पुनर्वि.	(—)97.59	185.71	174.79

(—)10.92

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 97.59 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, फर्नीचर क्रय नहीं किए जाने एवं यात्रा भत्तों के दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2030—03—001—1480—जिला प्रभार—

मूल	2,785.30		
पुनर्वि.	(—)1,435.66	1,349.64	1,366.05

+16.41

अनुदान संख्या 07—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 788.44 लाख की कमी (₹ 288.44 लाख की कमी पंजीयन कार्यालय का नवीनीकरण नवीन प्रावधान से अलग किया गया) एवं समर्पण द्वारा ₹ 647.22 लाख की अन्य कमी प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जाने एवं निधि का उपयोग नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,435.66 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015–16 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(3) 2039–001–122—अधीक्षण—

मूल	4,128.10			
पुनर्वि.	(-)1,577.63	2,550.47	2,549.12	(-)1.35

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,577.63 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने एवं देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2039–001–1470—जिला कार्यपालिक

स्थापना—

मूल	6,965.00			
पुनर्वि.	(-)2,138.48	4,826.52	4,824.36	(-)2.16

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,138.48 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010–11 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2039–102–8629—नये सिनेमाघर / मल्टीप्लेक्स

सिनेमाघरों को प्रोत्साहन—

मूल	300.00			
पुनर्वि.	(-)186.43	113.57	113.57	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 186.43 लाख की कमी पात्र आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2040–001–3569—मुख्यालय

स्थापना व्यय—

मूल	2,002.60			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(-)790.86	1,211.74	1,218.36	+6.62

समर्पण द्वारा ₹ 640.86 लाख की कमी विभागीय यात्राओं में कमी, जी.एस.टी.एन. अंशदान की मांग प्राप्त नहीं होने एवं प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जाने तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 790.86 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2012–13 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2040–101–1509—जिला स्थापना—

मूल	7,684.16			
पुनर्वि.	(-)2,029.01	5,655.15	5,640.19	(-)14.96

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,029.01 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने, रायपुर संभागीय कार्यालय वाणिज्य कर कार्यालय में स्थानांतरित होने एवं यात्रायें आयोजित नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013–14 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 07—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2030—01—101—4612—स्टाम्पों की लागत—

मूल	1.00		
पुनर्वि.	45.97	46.97	+245.66

समर्पण द्वारा ₹ 18.74 लाख की कमी स्टाम्पों की बिक्री में कमी होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 64.71 लाख की वृद्धि स्टाम्पों के मुद्रण हेतु व्यय किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 45.97 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2030—01—102—4611—स्टाम्पों की

बिक्री पर व्यय—			
मूल	35.00		
पुनर्वि.	(-)8.80	26.20	+215.70

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8.80 लाख की कमी स्टाम्पों की कम बिक्री के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2030—02—101—2456—न्यायिकेतर

स्टॉम्प की लागत—			
मूल	50.00		
पूरक	108.50		
पुनर्वि.	722.21	880.71	+239.97

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 723.73 लाख की वृद्धि स्टाम्पों का मुद्रण हेतु व्यय किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1.52 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 722.21 लाख आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	----------------	---------------------------------	-------------------

2039—001—1470—जिला कार्यपालिक

रथापना—			
मूल	5.00		
पुनर्वि.	(-)5.00	0.00	0.00

₹ 5.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 56.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 50.70 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 07—समाप्त

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(₹ लाख में)			
(1) 4059—80—052—122—अधीक्षण			
मूल	30.00		
पुनर्वि.	(-)24.26	5.74	0.00
			(-)5.74

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 24.26 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(2) 4059—80—052—1470—जिला कार्यपालिक

रथापना—

मूल	144.00			
पुनर्वि.	(-)25.34	118.66	118.66	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 25.34 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2029—भू—राजस्व

2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं

2053—जिला प्रशासन

2216—आवास

3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन

4059—लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

5054—सड़क तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय

6401—फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	90,18,805		
पूरक	77,925	90,96,730	70,95,263
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)20,01,467
(31 मार्च 2020)			25,99,682

प्रभारित			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		1,526	535
(31 मार्च 2020)			(—)991
			991

पूँजीगत:

दत्तमत—

मूल	9,14,750		
पूरक	1,400	9,16,150	7,49,064
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)1,67,086
(31 मार्च 2020)			3,04,198

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत हुए व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 14,000 हजार की राशि सम्मिलित है जो दिनांक 30.01.2020 को स्वीकृत की गई एवं फरवरी 2020 में आहरित की गई जिसकी प्रतिपूर्ति मार्च 2020 एवं जून 2020 (13 वें लेखे) में की गई।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 653.25 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 126.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 779.25 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 20,014.67 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 25,996.82 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2029—001—456—आयुक्त, भू—अभिलेख तथा बंदोबस्त का कार्यालय— मूल 551.00 पुनर्वि. (—)35.78	515.22	489.45	(—)25.77
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 35.78 लाख की कमी कर्मचारियों द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं प्रशिक्षण पर व्यय अद्योसंरचना आबंटन में से किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(2) 2029—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7787—इ—धरती— मूल 7,794.00 पुनर्वि. (—)6,820.00	974.00	784.01	(—)189.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,820.00 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2029—103—1472—जिला प्रभार— मूल 30,504.50 पुनर्वि. (—)1,384.86	29,119.64	28,895.47	(—)224.17
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 108.24 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा कम व्यय किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,276.62 लाख की अन्य कमी देयकों के प्राप्त नहीं होने, बी—01 फार्म एवं खसरा की छायाप्रति पटवारियों को वितरित नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, प्रशिक्षणों की संख्या में कमी होने एवं मशीनों के अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,384.86 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2029—103—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 908—कृषि संगणना— मूल 248.00 पुनर्वि. (—)135.32	112.68	93.56	(—)19.12
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 135.32 लाख की कमी भारत सरकार से निधि के प्राप्त नहीं होने एवं कर्मचारियों द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2029—103—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 9981—लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकर्षिक व्यय— मूल 193.20 पुनर्वि. (—)145.80	47.40	45.53	(—)1.87
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 145.80 लाख की कमी कर्मचारियों द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं भारत सरकार से निधि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2029—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7797—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— पूरक 425.00 पुनर्वि. (—)157.98	267.02	235.52	(—)31.50

अनुदान संख्या 08—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 157.98 लाख की कमी राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(–)
(7) 2029–797–6753—पर्यावरण निधि को अंतरण—			
मूल	5,782.00		
पुनर्वि.	(-)5,782.00	0.00	0.00
₹ 5,782.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2029–797–6754—अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण—			
मूल	7,540.00		
पुनर्वि.	(-)7,540.00	0.00	7,338.57
₹ 7,338.57 लाख का व्यय अधोसंरचना विकास निधि में प्राप्त की गई निधि का स्थानांतरण विकास एवं कल्याण निधि में किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया। ₹ 7,540.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।		+7,338.57	
(9) 2029–800–0510—अधोसंरचना विकास निधि— 7860—अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि—			
मूल	2,718.00		
पुनर्वि.	(-)2,708.00	10.00	9.98
पुनर्वि.	(-)319.38	368.64	(-)0.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,708.00 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2052–099–3657—राजस्व बोर्ड—			
मूल	614.75		
पूरक	73.27		
पुनर्वि.	(-)319.38	368.64	(-)0.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 319.38 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, देयक प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपयोगों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010–11 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2053–093–1510—जिला स्थापना—			
मूल	30,530.80		
पूरक	126.00		
पुनर्वि.	(-)829.38	29,827.42	29,147.48
पुनर्वि.	(-)829.38	29,827.42	(-)679.94
समर्पण द्वारा ₹ 829.38 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा देयक प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपयोगों को अपनाने एवं जिलाधीशों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010–11 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2053–101–452—आयुक्त संभागीय कार्यालय—			
मूल	1,121.20		
पुनर्वि.	(-)108.94	1,012.26	964.41
पुनर्वि.	(-)108.94	1,012.26	(-)47.85

अनुदान संख्या 08—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 108.94 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं आयुक्त संभागीय कार्यालय से निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
(₹ लाख में)			
(13) 2053–800–7769—भूमि अधिग्रहण पुर्नवास एवं पुनर्स्थापना प्राधिकार—			
मूल	118.00		
पुनर्वि.	(–)58.28	59.72	47.14
			(–)12.58

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 58.28 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं कार्यालय प्रारंभिक अवस्था में होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
(₹ लाख में)			
2053–093–1510—जिला रस्थापना—			

मूल	15.00		
पुनर्वि.	(–)9.65	5.35	5.35

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 9.65 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2020 मे प्राप्त किया गया ₹ 14.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) ₹ 1,670.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 3,041.98 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
(₹ लाख में)			
(1) 4059–80–051–0510—अधोसंरचना विकास निधि—			

7860—अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि—			
मूल	5,434.00		
पुनर्वि.	(–)2,632.80	2,801.20	2,690.28
			(–)110.92

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 51.60 लाख की कमी जिला कलेक्टरों द्वारा निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,581.20 लाख की अन्य कमी शासन द्वारा जारी की गई स्वीकृति के अनुसार व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,632.80 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4059–80–052–1510—जिला रस्थापना—

मूल	360.00		
पूरक	14.00		
पुनर्वि.	(–)296.00	78.00	77.88

(–)0.12

अनुदान संख्या 08—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 296.00 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(3) 4059–80–052–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7787—इं—धरती—

मूल	125.50		
पुनर्वि.	(-)125.50	0.00	0.00

₹ 125.50 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

5054–05–337–0510—अधोसंरचना विकास निधि—

7860—अधोसंरचना एवं

पर्यावरण निधि—

मूल	3,170.00		
पुनर्वि.	51.32	3,221.32	4,703.70 +1,482.38

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 51.60 लाख की वृद्धि जिलाधीशों द्वारा निधि की मांग किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.28 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 51.32 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण

4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत	2,16,260	1,28,664	(—)87,596
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			85,140

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	10	00	(—)10 10
-------------------------------------------------	----	----	-------------

पूंजीगत:

दत्तमत	5,000	00	(—)5,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			5,000

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व :****दत्तमत—**

(i) ₹ 875.96 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 851.40 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2058—001—2286—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा

लेखन सामग्री का कार्यालय—

मूल	141.10		
पुनर्वि.	(—)78.85	62.25	62.22

(—)0.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 78.85 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ता नहीं मिलने, मकान किराए में वृद्धि नहीं होने, कर्मचारी/अधिकारियों से चिकित्सा दावे प्राप्त नहीं होने, कर्मचारी/अधिकारियों के स्थानांतरण नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं वाहन की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2058—102—2820—फार्म का मुद्रण,

भण्डारण और वितरण—

मूल	1,272.00		
पुनर्वि.	(—)311.41	960.59	960.40

(—)0.19

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 311.41 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ता नहीं मिलने, मकान किराए में वृद्धि नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, कार्यभारित स्थापना के पद स्वीकृत नहीं होने, मुद्रणालय में प्रशिक्षकों की उपलब्धता नहीं होने, मशीन तथा उपकरणों की मरम्मत की आवश्यकता नहीं होने, आवश्यकतानुसार मुद्रण सामग्री क्रय किए जाने एवं नवीन मशीन क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005—06 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 09—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(3) 2058—102—5659—शासकीय प्रेस, रायपुर—			
मूल 468.10 पुनर्वि. (—)378.00	90.10	89.68	(—)0.42

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 378.00 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ता नहीं मिलने, मकान किराए में वृद्धि नहीं होने, कार्यालय का दूसर्भाष उचित तरीके से कार्य नहीं करने, फर्नीचर एवं कागज की आवश्यकता नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, कागज की मांग के लिए फर्म द्वारा तकनीकी शर्तों की पूर्ति नहीं किए जाने, मुद्रण सामग्री की आवश्यकता नहीं होने एवं मशीनों के क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005—06 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2058—104—301—अशासकीय मुद्रणालयों
में मुद्रण कार्य—

मूल 150.00 पुनर्वि. (—)74.24	75.76	50.76	(—)25.00
---------------------------------	-------	-------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 74.24 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया। 2013—14 से 2018—19 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
4058—103—3427— मशीनों और उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद—			
मूल 50.00 पुनर्वि. (—)50.00	0.00	0.00	0.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10-वन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष-

2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी

4406-वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत-

मूल	1,06,24,879			
पूरक	50,00,000	1,56,24,879	1,36,12,424	(—)20,12,455
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				19,90,979
(31 मार्च 2020)				

प्रभारित-

मूल	1,08,110			
पूरक	50,80,127	51,88,237	1,33,092	(—)50,55,145
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				86,040
(31 मार्च 2020)				

पूँजीगत :

दत्तमत	2,25,680	1,47,256	(—)78,424
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			82,411
(31 मार्च 2020)			

टीका एवं टिप्पणियां

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 30,894 हजार (₹ 30,111 हजार 27.03.2019 को स्वीकृत एवं अप्रैल 2019 में आहरित एवं ₹ 783 हजार 25.10.2019 को स्वीकृत एवं जनवरी 2020 में आहरित किया गया) सम्मिलित है एवं जिसको फरवरी 2020 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व :

दत्तमत-

(i) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 50,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्य पूर्ण सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 20,124.55 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 19,909.79 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 2406-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

2723-प्रशासन का

सुदृढ़ीकरण-

मूल	101.70		
पुनर्वि.	(—)69.13	32.57	33.76

+1.19

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.13 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 2406—01—003—4462—वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन—			
मूल	428.90		
पुनर्वि.	(—)116.16	312.74	312.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 116.16 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2406—01—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1859—राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना—			
मूल	428.96		
पुनर्वि.	(—)118.13	310.83	308.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 118.13 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2406—01—070—4349—सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरुस्ती—			
मूल	950.00		
पुनर्वि.	(—)51.06	898.94	898.92
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13.85 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 37.21 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 51.06 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2406—01—101—2786—प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत्)—			
मूल	1,507.00		
पुनर्वि.	(—)241.46	1,265.54	1,275.77
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 241.46 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2009—10 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2406—01—101—3836—उत्पादन वन मण्डल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर एवं बांस—			
मूल	3,097.70		
पुनर्वि.	(—)513.66	2,584.04	2,566.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 513.66 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010—11 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2406—01—101—3877—क्षेत्रीय वनमण्डल—			
मूल	42,212.40		
पुनर्वि.	(—)3,273.83	38,938.57	38,579.30
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17.60 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,256.23 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,273.83 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010—11 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2406—01—101—7888—कार्य आयोजना पुनरीक्षण हेतु विशेषज्ञ अमला— मूल 156.00 पुनर्वि. (-)156.00	0.00	0.00	0.00
₹ 156.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2406—01—101—812—कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना— मूल 1,150.00 पुनर्वि. (-)235.18	914.82	910.36	(-)4.46
(10) 2406—01—101—813—कार्यकारी योजनाएं तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्य— मूल 487.90 पुनर्वि. (-)134.36	353.54	354.27	+0.73
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 235.18 लाख एवं ₹ 134.36 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2010—11 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत हुई है।			
(11) 2406—01—101—7959—विभागीय नर्सरी में पौध की तैयारी— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 2,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वन वृतों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(12) 2406—01—102—3531—प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण— मूल 1,855.88 पुनर्वि. (-)91.70	1,764.18	1,635.76	(-)128.42
(13) 2406—01—102—4475—सामाजिक वानिकी— मूल 1,432.30 पुनर्वि. (-)191.24	1,241.06	1,136.06	(-)105.00
उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 91.70 लाख एवं ₹ 191.24 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2406—01—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7732—छत्तीसगढ़ स्टेट एक्शन प्लान आन कलाईमेट योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00 0.00 0.00 0.00 ₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2406—01—102—0430—वन विकास निधि— 6699—वन विकास उपकर निधि से व्यय— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (—)562.80 437.20 427.20 (—)10.00 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 562.80 लाख की कमी शासन द्वारा कम निधि के जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2406—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1004—नदीतट वृक्षारोपण योजना— मूल 328.00 पुनर्वि. (—)85.90 242.10 242.72 +0.62 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 85.90 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2406—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1902—तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित— मूल 1,027.00 पुनर्वि. (—)86.96 940.04 940.05 +0.01 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 86.96 लाख की कमी अधीनस्थ वृतों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2406—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2533—हरियाली प्रसार योजना— मूल 620.00 पुनर्वि. (—)429.71 190.29 190.30 +0.01 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 429.71 लाख की कमी अधीनस्थ वृतों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2406—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5420—राज्य औषध वनस्पति मंडल की स्थापना— मूल 880.00 पुनर्वि. (—)528.00 352.00 352.00 0.00 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 528.00 लाख की कमी शासन द्वारा कम निधि के जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(20) 2406—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6724—बांस वनों का पुनरुद्धार— मूल 1,159.00 पुनर्वि. (—)71.41 1,087.59 1,097.01 +9.41			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 71.41 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2406—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7930—मुख्यमंत्री बांस विकास योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (—)570.61 29.39 30.49 +1.10			
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी वन वृत्तों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 470.61 लाख की अन्य कमी अधीनस्थ वृत्तों से मांग प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 570.61 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(22) 2406—01—105—252—अन्य व्यय अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता— मूल 1,400.00 पुनर्वि. (—)1,400.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 1,400.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2406—01—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6792—लघु वनोपज संग्राहक सामूहिक बीमा योजना— मूल 550.00 पुनर्वि. (—)550.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 550.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(24) 2406—01—203—535—इमारती लकड़ी— मूल 8,336.00 पुनर्वि. (—)2,309.04 6,026.96 6,032.36 +5.40			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,309.04 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013—14 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(25) 2406—01—203—5641—वन प्रबंधन समितियां— मूल 3,531.00 पुनर्वि. (—)3,531.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 3,531.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 2406—01—204—2901—बांस— मूल 1,478.00 पुनर्वि. (—)609.00 869.00 868.97 (—)0.03			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 609.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(27) 2406—02—204—5641—वन प्रबंधन समितियाँ—			
मूल	882.00		
पुनर्वि.	(-)882.00	0.00	0.00
₹ 882.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2406—02—110—3896—वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति—			
मूल	3,500.00		
पुनर्वि.	(-)874.99	2,625.01	2,624.66
2,624.66	(-)0.34		
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 874.99 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2007—08 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(29) 2406—02—110—6885—प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना—			
मूल	623.90		
पुनर्वि.	(-)258.78	365.12	373.69
373.69	+8.56		
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 258.78 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(30) 2406—02—110—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5502—प्रोजेक्ट एलीफेन्ट—			
मूल	236.65		
पुनर्वि.	(-)146.02	90.63	90.63
90.63	0.00		
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 146.02 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013—14 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(31) 2406—02—110—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास—			
मूल	673.30		
पुनर्वि.	(-)353.21	320.09	332.18
332.18	+12.09		
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99.00 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश के आहरण किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 254.21 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 353.21 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(32) 2406—02—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3943—वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास—			
मूल	880.00		
पुनर्वि.	(-)60.19	819.81	827.72
827.72	+7.91		

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(33) 2406—02—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7887—हाथी प्रभावित क्षेत्रों में चलित हाथी सुरक्षा दस्ता का गठन— मूल 265.50 पुनर्वि. (-)197.52	67.98	73.68	+5.70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------

उपरोक्त क्रम संख्या (32) एवं (33) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 60.19 लाख एवं ₹ 197.52 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(34) 2406—02—111—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6540—चिड़ियाघरों का विकास व उन्नयन— मूल 1,692.90 पुनर्वि. (-)67.79	1,625.11	1,631.31	+6.20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99.00 लाख की वृद्धि आकस्मिक मजदूरी का भुगतान किए जाने एवं वन्य प्राणियों के आहार की व्यवस्था किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 166.79 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 67.79 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(35) 2406—04—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7261—राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम— मूल 1,785.00 पुनर्वि. (-)415.94	1,369.06	1,369.06	0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 415.94 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2406—01—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 792—कर्मचारी कल्याण योजनाएँ— मूल 140.00 पुनर्वि. 95.56	235.56	235.55	(-)0.01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 4.44 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 95.56 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(2) 2406—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2965—बिंगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित— मूल 3,900.00 पुनर्वि. 1,425.55	5,325.55	5,318.66	(-)6.89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,764.23 लाख की वृद्धि धमतरी, बस्तर, कोरिया एवं दक्षिण कोण्डागांव वनमण्डल के लिए नवीन कार्य योजना की स्वीकृति होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 338.68 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,425.55 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2406-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6827-भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य—			
मूल	2,030.00		
पुनर्वि.	209.12	2,239.12	2,238.62
			(-)0.50

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 235.77 लाख की वृद्धि धमतरी, बस्तर, कोरिया एवं दक्षिण कोण्डागांव वनमण्डल के लिए नवीन कार्य योजना स्वीकृति होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 26.65 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए जाने (अगस्त 2020) के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 209.12 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(4) 2406-02-110-2900-अभ्यारण्य क्षेत्र—

मूल	3,113.40			
पुनर्वि.	(-)78.39	3,035.01	3,205.08	+170.07

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 78.39 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2019 (₹ 50,793.44 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 7.83 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 50,801.27 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) ₹ 50,551.45 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 860.40 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन विनियोग पर कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)

(1) 2406-01-001-3555-मुख्यालय—

मूल	80.30			
पूरक	492.33			
पुनर्वि.	(-)71.92	500.71	500.71	+0.01

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 71.92 लाख की कमी न्यायिक प्रकरण प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2406-01-797-3885-वन विकास

निधि में अंतरण—

मूल	1,000.00			
पुनर्वि.	(-)478.74	521.26	521.27	+0.01

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 478.74 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2406-04-103-7992-छत्तीसगढ़ प्रतिकारात्मक

वनरोपण निधि में अंतरण

पूरक	50,000.00	50,000.00	0.00	(-)50,000.00
------	-----------	-----------	------	--------------

₹ 50,000.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(viii) ₹ 784.24 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 824.11 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर कमज़ोर प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 10—समाप्त

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4406—01—070—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1859—राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना— मूल 75.00 पुनर्वि. (—)75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

₹ 75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4406—01—070—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4342—सड़कें तथा भवन निर्माण कार्य— मूल 397.00 पुनर्वि. (—)101.60	295.40	295.41	+0.01
---------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 101.60 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4406—01—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित आयोजना (सामान्य)—

5538—एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (—)268.51	231.49	242.54	+11.05
--------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 268.51 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधि के जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011—12 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 4406—02—111—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6540—चिड़ियाघरों का विकास व उन्नयन— पूरक 1,200.00 पुनर्वि. (—)325.90	874.11	874.11	0.00
-------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 325.90 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 11—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास

2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग

2852—उद्योग

3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

6851—ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	27,72,171			
पूरक	1,65,000	29,37,171	17,94,014	(—)11,43,157
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				11,43,410
(31 मार्च 2020)				

प्रभारित—

मूल	25			
पूरक	760	785	770	(—)15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				15
(31 मार्च 2020)				

पूंजीगतः

दत्तमत—	6,41,710	72,330	(—)5,69,380
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			5,69,380
(31 मार्च 2020)			

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	500	00	(—)500
(31 मार्च 2020)			500

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2019 (₹ 150.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 1,500.00 लाख) मे प्राप्त किया गया ₹ 1,650.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 11,431.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 11,434.10 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2230—01—102—8034—स्टीम बाईलरों

का निरीक्षण—

मूल	185.50			
पुनर्वि.	(—)73.96	111.54	111.54	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 73.96 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों से मांग प्राप्त नहीं होने, दैनिक वेतन कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने, यात्रा, टेलीफोन, डाक, फर्नीचर, पुस्तकें, स्टेशनरी, गणवेश, भवन किराया, बिजली एवं मानदेय इत्यादि पर कम खर्च किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 11—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 2851—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7825—स्टार्टअप छत्तीसगढ़— मूल 500.00 पुनर्वि. (—)431.54	68.46	68.46	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 431.54 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2851—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1464—जिला उद्योग केन्द्र— मूल 2,531.80 पुनर्वि. (—)216.31	2,315.49	2,314.87	(—)0.62
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 216.31 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(4) 2852—80—001—3370—संचालनालय उद्योग— मूल 1,129.10 पूरक 100.00 पुनर्वि. (—)359.90	869.19	870.63	+1.44
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 359.90 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2852—80—003—7957—छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास संस्थान— मूल 300.00 पुनर्वि. (—)300.00	0.00	0.00	0.00
(6) 2852—80—102—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7952—इंडिया एग्रो फूड प्रोसेसिंग एण्ड एडिशन प्रोग्राम— मूल 200.00 पुनर्वि. (—)200.00	0.00	0.00	0.00
(7) 2852—80—102—0701—केन्द्र प्रवर्तीत योजनायें (सामान्य)— 7952—इंडिया एग्रो फूड प्रोसेसिंग एण्ड एडिशन प्रोग्राम— मूल 200.00 पुनर्वि. (—)200.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 300.00 लाख, ₹ 200.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(8) 2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5385—नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना— मूल 3,500.00 पुनर्वि. (—)3,250.48	249.52	249.52	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,250.48 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 11—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(9) 2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7784—निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों के लिए— अधोसंरचना अनुदान— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00

₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7785—पूँजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8890—खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान— मूल 6,400.00 पुनर्वि. (-)5,643.22	756.78	756.78	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,643.22 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2852—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8237—अंतराष्ट्रीय व्यापर मेले के लिए अनुदान— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)78.00	72.00	72.00	0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 78.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9068—औद्योगिक इकाइयों को लागत पूँजी अनुदान— मूल 6,400.00 पूरक 1,500.00 पुनर्वि. 1,000.00	8,900.00	8,900.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,000.00 लाख का आवर्धन जिलों द्वारा निधि की मांग किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया।			

अनुदान संख्या 11—समाप्त

पूँजीगत :
दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6742—ओद्योगिक पार्कों के लिए अनुदान— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)800.00	0.00	0.00	0.00
(2) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7480—जिला उद्योग कार्यालय भवन की स्थापना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
(3) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7909—26 आद्योगिक केन्द्रों का जीर्णोद्धार— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 800.00 लाख, ₹ 200.00 लाख एवं ₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(4) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8983—ओद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक उन्नयन कार्य— मूल 3,986.00 पुनर्वि. (-)3,262.70	723.30	723.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,262.70 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9219—भू—अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान— मूल 910.00 पुनर्वि. (-)910.00	0.00	0.00	0.00
₹ 910.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

प्रभारित—

(vi) ₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 से 2018—19 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
मुख्य शीर्ष—			

2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

2801—बिजली

2810—नवीन तथा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा

4801—बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

4810—ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूँजी परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	1,93,65,770			
पूरक	75,08,150	2,68,73,920	2,61,56,948	(—)7,16,972
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				7,17,669
(31 मार्च 2020)				

प्रभारित		23,00,000	23,00,000	(—)00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				00

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	37,04,411			
पूरक	4,00,000	41,04,411	33,76,680	(—)7,27,731
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				7,27,120
(31 मार्च 2020)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2019 (₹ 5,900.00 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 60,321.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था जबकि मार्च 2020 (₹ 8,860.50 लाख) में प्राप्त किया का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था।

(ii) ₹ 7,169.72 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 7,176.69 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2045—103—4281—संग्रह प्रभार— बिजली शुल्क—			

मूल	1,094.90			
पुनर्वि.	(—)199.94	894.96	902.93	+7.97

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 199.94 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010—11 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2801—80—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7758—उदय योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य— विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान—				
मूल	5,000.00			

पुनर्वि.	(—)1,034.25	3,965.75	3,965.75	0.00
----------	-------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,034.25 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 12—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	------------------	-------------	-------------------

(3) 2801—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7898—नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन—

मूल 3,280.00

पुनर्वि. (—)3,280.00

0.00

0.00

0.00

₹ 3,280.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2801—80—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8914—विद्युत कम्पनियों

को सहायता—

मूल 2,558.00

पुनर्वि. (—)2,558.00

0.00

0.00

0.00

₹ 2,558.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(5) 2810—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7694—सौर ऊर्जा आधारित

योजनाओं हेतु अनुदान—

मूल 1,150.00

पुनर्वि. (—)55.00

1,095.00

1,095.00

0.00

(6) 2810—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7696—सौर ऊर्जा के अतिरिक्त

अन्य गैर पारंपरिक स्रोत के

प्रोत्साहन हेतु अनुदान—

मूल 82.50

पुनर्वि. (—)49.50

33.00

33.00

0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 55.00 लाख एवं ₹ 49.50 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 2,250.00 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 1,750.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(v) ₹ 7,277.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 7,271.20 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	------------------	-------------	-------------------

(1) 4801—02—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7498—पूंजीगत व्यय विद्युत पारेषण /

उत्पादन / वितरण—

मूल 4,770.00

पुनर्वि. (—)4,770.00

0.00

0.00

0.00

₹ 4,770.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 12—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(2) 4801—06—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7899—पम्प फिलर

सेप्रेशन स्कीम—

मूल	1,000.00
पुनर्वि.	(-)1,000.00

0.00

0.00

0.00

₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा कम निधि जारी किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4801—80—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8548—मुख्य मंत्री शहरी

विद्युतिकरण योजना—

मूल	2,000.00
पुनर्वि.	(-)1,400.00

600.00

600.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,400.00 लाख की कमी भारत सरकार से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 4810—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7897—प्रधान मंत्री सहज बिजली

हर घर योजना (सौभाग्य योजना)—

मूल	1.00
पूरक	1,750.00
पुनर्वि.	(-)94.40

1,656.60

1,655.60

(-)1.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.40 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि के कम जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(vii) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि :—

ऊर्जा विकास निधि का गठन ऊर्जा विकास उपकर से किया गया जो उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया गया जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), रिसर्च एवं विकास योजनाओं में विद्युत उत्पादन, क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वे एवं ऊर्जा कन्जर्वेशन कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर ‘राजस्व शीर्ष 0043—विद्युत पर कर एवं शुल्क—800—अन्य प्राप्तियों’ में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के “मुख्य शीर्ष 2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क—797—संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क—3218—उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि का अन्तरण” को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष ₹ 2,898.72 लाख जमा था। वर्ष के दौरान ₹ 23,000.00 लाख की राशि निधि में इस अनुदान के अन्तर्गत “मुख्य शीर्ष—2045—797 संचय तिथि से/में स्थानांतरण—3218 उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण” को नामे कर जमा की गई तथा निधि से वर्ष के दौरान ₹ 20,111.20 लाख का व्यय किया गया। 31 मार्च 2020 को ₹ 5,787.52 लाख की शेष राशि निधि में जमा थी।

इस निधि के लेन—देन “मुख्य शीर्ष—8229—विकास एवं कल्याण निधि—110—ऊर्जा विकास निधि” में सम्मिलित है जिसका विस्तृत लेखा वित्त लेखे 2019—20 के विवरण क्रमांक—21 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 13—कृषि

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

- 2401—फसल कृषि—कर्म
2402—मृदा तथा जल संरक्षण
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान
4401—फसल कृषि—कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	3,97,21,044	4,69,30,044	1,56,13,224	(—)3,13,16,820
पूरक	72,09,000			3,13,56,180

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2020)

प्रभारित—

मूल	1,750	3,286	2,456	(—)830
पूरक	1,536			1,039

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2020)

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	99,610	1,38,310	66,965	(—)71,345
पूरक	38,700			71,346

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2020)

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 28,700 हजार 28,12,2019 को स्वीकृत एवं जनवरी 2020 में आहरित एवं जिसको मार्च 2020 में प्रतिपूरित किया गया।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 47,650.00 लाख), दिसम्बर 2019 (₹ 11,440.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 13,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 72,090.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 3,13,168.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 3,13,561.80 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 2401—001—119—अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द—(जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)—			
मूल	32,739.40		
पुनर्वि.	(—)3,975.80	28,763.60	28,776.50
			+12.90
(2) 2401—001—124—अधीक्षण (संभागीय स्तर का अमला)—			
मूल	773.80		
पुनर्वि.	(—)108.93	664.87	662.41
			(—)2.46

अनुदान संख्या 13—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,975.80 लाख एवं ₹ 108.93 लाख की कमी स्वीकृत अमले के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015–16 से 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2016–17 से 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
(3) 2401–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीड़स एण्ड ऑईलपॉम— मूल 467.50 पुनर्वि. (–)255.59 211.91 211.91 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 255.59 लाख की कमी शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2401–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6366—कृषक सहायता— पूरक 100.00 पुनर्वि. (–)100.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2401–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8936—ज्वाईट लायबिलिटी ग्रुप को ऋण अनुदान— मूल 60.00 पुनर्वि. (–)58.96 1.04 1.04 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 58.96 लाख की कमी उपलब्ध प्रकरणों के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2401–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8972—धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना— मूल 2,50,000.00 पूरक 57,550.00 पुनर्वि. (–)2,88,797.23 18,752.77 18,752.77 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,88,797.23 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2401–105–1060—खाद गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना— मूल 231.52 पुनर्वि. (–)63.28 168.24 166.22 (–)2.02			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 63.28 लाख की कमी स्वीकृत अमले के विरुद्ध वास्तविक अमले के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2401–105–7283—छत्तीसगढ़ राज्य विपणनसंघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता— मूल 500.00 पुनर्वि. (–)500.00 0.00 0.00 0.00			

अनुदान संख्या 13—जारी

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017–18 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(9) 2401–105–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7768—जैविक प्रमाणीकरण

संस्था—

मूल 600.00

पुनर्वि. (–)600.00

0.00

0.00

0.00

₹ 600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(10) 2401–108–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7242—राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना (सामान्य)—

मूल 6,900.00

पुनर्वि. (–)3,264.77

3,635.23

3,635.23

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,264.77 लाख की कमी शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2401–108–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना(सामान्य)—

7266—एन.एम.एस.ए. रेनफेड एरिया

डेवलपमेंट स्कीम—

मूल 1,230.00

पुनर्वि. (–)727.88

502.12

501.70

(–)0.42

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 727.88 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कार्य आयोजना का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2401–108–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7267—एन.एम.एस.ए. स्वार्डल हेल्थ

मेनेजमेंट योजना—

मूल 852.00

पुनर्वि. (–)332.32

519.68

521.04

+1.36

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 332.32 लाख की कमी बीज निगम द्वारा निर्धारित समय में सामाग्री का मूल निर्धारण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2401–108–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7684—प्रधानमंत्री कृषि

सिंचाई योजना—

मूल 1,500.00

पुनर्वि. (–)95.17

1,404.83

1,404.83

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 95.17 लाख की कमी शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2401–108–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7830—परम्परागत कृषि

विकास योजना—

मूल 1,740.00

पुनर्वि. (–)754.58

985.42

985.42

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 754.58 लाख की कमी शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(15) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7832—टारगेटेड राईस फेलो एरिया

(टी.आर.एफ.ए.)—

मूल 4,778.00

पुनर्वि. (-)1,703.84

3,074.16

3,074.16

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,703.84 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निधि की अपेक्षा कम निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7833—रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाईल

(आर.पी.एस.)—

मूल 400.00

पुनर्वि. (-)259.18

140.82

140.82

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 259.18 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निधि की अपेक्षा कम निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7945—प्रधान मंत्री अन्नदाता आय

संरक्षण अभियान—

मूल 250.00

पुनर्वि. (-)250.00

0.00

0.00

0.00

₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(18) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

(हरित क्रांति)—

मूल 8,000.00

पुनर्वि. (-)2,974.49

5,025.51

5,025.51

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,974.49 लाख की कमी भारत सरकार से द्वितीय किश्त वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 2401-108-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7946—सोयाबीन उत्पादन पर

प्रोत्साहन योजना—

मूल 500.00

पुनर्वि. (-)500.00

0.00

0.00

0.00

समर्पण द्वारा ₹ 336.93 लाख की कमी शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 163.07 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(20) 2401-109-867—कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों

की स्थापना—

मूल 307.70

पुनर्वि. (-)53.40

254.30

253.78

(-)0.52

(21) 2401-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7829—नेशनल ई गर्वनेस प्लान

एग्रीकल्चर—

मूल 400.00

पुनर्वि. (-)255.94

144.06

144.06

0.00

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(22) 2401-113-7017—कृषि यंत्री

कार्यालय—

मूल	928.55		
पुनर्वि.	(-)95.40	833.15	786.65

(—)46.51

उपरोक्त क्रम संख्या (20) से (22) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 53.40 लाख, ₹ 255.94 लाख एवं ₹ 95.40 लाख की की कमी सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। उपरोक्त क्रम संख्या (22) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान क्रम संख्या (21) एवं 2018-19 के दौरान क्रम संख्या (22) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(23) 2401-113-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन

अंतर्गत कृषि यंत्रों

पर अनुदान—

मूल	3,315.01			
पुनर्वि.	(-)305.89	3,009.12	3,009.12	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 305.89 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्ण लॉकडाउन होने से देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(24) 2401-119-2013—नए उद्यानों तथा

पौध शालाओं की

स्थापना—

मूल	2,853.75			
पुनर्वि.	(-)515.24	2,338.51	2,333.80	(—)4.71

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 515.24 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं जिलों से निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(25) 2401-119-6788—संचालनालय

उद्यानिकी—

मूल	347.55			
पुनर्वि.	(-)73.81	273.74	273.42	(—)0.32

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 73.81 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(26) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7242—राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना (सामान्य)—

मूल	3,416.00			
पुनर्वि.	(-)1,935.63	1,480.37	1,480.37	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,935.63 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(27) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7258—नेशनल मिशन ऑन

आईलसीडस एण्ड

आईलपॉम—

मूल	784.00			
पुनर्वि.	(-)648.57	135.43	135.43	0.00

अनुदान संख्या 13—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 648.57 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(28) 2401–119–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7705—एकीकृत बागबानी विकास मिशन—

मूल	1,0250.00		
पुनर्वि.	(-)1,909.96	8,340.04	8,343.46

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,909.96 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(29) 2401–119–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7874—एन.एम.एस.ए. नेशलन मिशन

ऑन एग्रोफारेस्ट्री—

मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)460.41	139.59	139.59

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 460.41 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(30) 2401–119–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7947—एन.एम.एस.ए. अन्तर्गत पुनर्गठित

राष्ट्रीय बांस मिशन—

मूल	200.00		
पूरक	240.00		
पुनर्वि.	(-)82.96	357.04	357.04

(31) 2401–119–0311—नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

7854—नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर

प्रबंधन योजना—

मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)450.00	250.00	250.00

उपरोक्त क्रम संख्या (30) एवं (31) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 82.96 लाख एवं ₹ 450.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 से 2018–19 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(32) 2401–119–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7837—उद्यानिकी फसलों का

बेसलाईन सर्वे—

मूल	120.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	0.00	0.00

₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरकार से निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(33) 2401–119–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8638—राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना—

मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)628.16	71.84	71.84

समर्पण द्वारा ₹ 14.37 लाख की कमी चेम्स से प्राप्त देयकों के अनुसार भुगतान किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 613.79 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 628.16 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(34) 2401—800—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

6353—चिराग योजना—

मूल	700.00
पुनर्वि.	(—)700.00

0.00 0.00 0.00

₹ 700.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(35) 2401—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)—

7853—नाबार्ड पोषित सूक्ष्म

सिंचाई योजना—

मूल	500.00
पुनर्वि.	(—)500.00

0.00 0.00 0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(36) 2402—102—3143—भूमि संरक्षण कटावरोधक

बंधान की योजना—

मूल	3,477.00
पुनर्वि.	(—)66.12

3,410.88 3,247.95 (—)162.93

(37) 2402—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7350—एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन

कार्यक्रम—

मूल	10,000.00
पुनर्वि.	(—)436.00

9,564.00 9,564.00 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से उपरोक्त क्रम संख्या (36) एवं (37) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 66.12 लाख एवं ₹ 436.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (36) एवं 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (37) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(38) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7713—जैव प्रौद्योगिकी प्रोन्नत

सोसायटी की स्थापना—

मूल	310.00
पूरक	सांकेतिक
पुनर्वि.	(—)302.00

8.00 8.00 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 302.00 लाख की कमी सरकार द्वारा विमुक्त राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2401—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7264—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन

सीड एण्ड प्लानिंग

मटेरियल योजना—

मूल	560.00
पुनर्वि.	535.09

1,095.09 1,095.09 0.00

अनुदान संख्या 13—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 897.93 लाख की वृद्धि बीज प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना एवं बीज भण्डारण हेतु गोदाम के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने तथा समर्पण द्वारा ₹ 362.84 लाख की कमी किसानों द्वारा कम बीज क्रय किए जाने एवं बीज गोदाम के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 535.09 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

शीष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)	बचत(–)

(2) 2401–109–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7264—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन

एग्रीकल्चर एक्सटेंशन—

मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	516.19	2,516.19	2,516.19

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 540.66 लाख की वृद्धि सामान्य कोटि के हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने तथा समर्पण द्वारा ₹ 24.47 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 516.19 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(3) 2401–110–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7797—प्रधान मंत्री फसल

बीमा योजना—

मूल	15,960.00		
पूरक	13,000.00		
पुनर्वि.	778.24	29,738.24	29,738.24

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,063.79 लाख की वृद्धि केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश का आहरण किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 285.55 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 778.24 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(4) 2401–119–9188—उद्यान विकास योजना—

मूल	5,976.40		
पुनर्वि.	(-)322.43	5,653.97	6,041.19

+387.22

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 322.43 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने एवं शासन द्वारा नई योजना के लिए निधियां जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

प्रभारित—

(v) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 15.36 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 8.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 10.39 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
विनियोग	व्यय	(₹ लाख में)	बचत(–)

2401–001–4288—संचालनालय

(मुख्यालय स्तर का अमला)—

मूल	5.00		
पुनर्वि.	(-)5.00	0.00	0.00

0.00

₹ 5.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 13—समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत—

(viii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2019 (₹ 100.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 287.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 387.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता है।

(ix) ₹ 713.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 713.46 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकर्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(1) 4401—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2981—बीज संवर्धन तथा

वितरण—

मूल	100.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(-)100.00			

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7267—एन. एम. एस. ए. मृदा

स्वास्थ्य प्रबधन योजना—

मूल	200.00	27.68	27.69	+0.01
पुनर्वि.	(-)172.32			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 172.32 लाख कमी बीज निगम द्वारा दरों का अनुमोदन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4401—119—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7970—प्लग टाईप यूनिट की स्थापना—

मूल	200.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(-)200.00			

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार से राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(4) 4401—800—4288—संचालनालय

(मुख्यालय स्तर का अमला)—

मूल	100.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(-)100.00			

(5) 5425—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7713—जैव प्रौद्योगिकी प्रोन्नत

सोसायटी की स्थपना—

मूल	100.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(-)100.00			

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
मुख्य शीर्ष—			
2403—पशुपालन			
4403—पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	51,20,614		
पूरक	76,700	51,97,314	41,35,726
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)10,61,588
(31 मार्च 2020)			10,57,236
प्रभारित—			
मूल	20		
पूरक	700	720	761
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			20
(31 मार्च 2020)			
पूँजीगत :			
दत्तमत		2,86,800	67,755
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)2,19,045
(31 मार्च 2020)			2,19,045
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2020 में ₹ 767.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।			
(ii) ₹ 10,615.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 10,572.36 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2403—001—1468—जिला एवं संभागीय स्तर—			
मूल	4,050.10		
पुनर्वि.	(—)1,054.19	2,995.91	2,989.59
			(—)6.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,054.19 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2009—10 से 2018—19 के दौरान इस शीषान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2403—001—4297—संचालनालय			
स्तर—			
मूल	559.55		
पुनर्वि.	(—)82.71	476.84	476.87
			+0.03
(3) 2403—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3786—रोगानुज्ञा			
मूल	640.05		
पुनर्वि.	(—)116.41	523.64	523.04
			(—)0.60

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(4) 2403—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5620—पशुरोग नियंत्रण— मूल 1,313.00 पुनर्वि. (—)392.04	920.96	920.96	0.00
(5) 2403—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7826—बकरी रोग नियंत्रण (पीपीआर सीपी)— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)74.68	25.32	25.32	0.00
(6) 2403—101—0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 7471—नाबार्ड योजनात्तर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान— मूल 300.00 पुनर्वि. (—)285.21	14.79	14.79	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 82.71 लाख, ₹ 116.41 लाख, ₹ 392.04 लाख, ₹ 74.68 लाख, एवं ₹ 285.21 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (2), 2014—15 से 2017—18 के दौरान क्रम संख्या (4), 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (5) एवं 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(7) 2403—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय— मूल 21,839.10 पुनर्वि. (—)3,034.10	18,805.00	18,791.96	(—)13.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,034.10 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(8) 2403—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7911—पशु संवेदना एक्सप्रेस— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2403—102—1108—गहन पशु विकास परियोजना— मूल 5,959.90 पुनर्वि. (—)1,332.55	4,627.35	4,573.65	(—)53.70
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,332.55 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2403—102—2567—पशु प्रजनन प्रक्षेत्र— मूल 1,131.40 पुनर्वि. (—)194.35	937.05	936.92	(—)0.14
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 119.35 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 194.35 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
(₹ लाख में)			
(11) 2403—102—5535—छत्तीसगढ़ गौ—सेवा एवं ग्रामीण विकास आयोग को अनुदान—			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)620.00	80.00	80.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 620.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2403—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7257—राष्ट्रीय गौवंशीय, भैंस वंशीय परियोजना तथा पशुधन बीमा योजना—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	100.00	0.00
			(-)100.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2403—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7621—नेशनल लाइवस्टॉक मिशन—			
मूल	1,250.00		
पुनर्वि.	(-)1,150.00	100.00	0.00
			(-)100.0
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,250.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2403—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3578—मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर—			
मूल	1,828.95		
पुनर्वि.	(-)280.93	1,548.02	1,545.57
			(-)2.45
(15) 2403—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5027—बकरी पालन प्रक्षेत्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण—			
मूल	404.43		
पुनर्वि.	(-)159.16	245.27	245.20
			(-)0.07
(16) 2403—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6784—शूकर विकास प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण—			
मूल	449.25		
पुनर्वि.	(-)113.81	335.45	335.23
			(-)0.22

उपरोक्त क्रम संख्या (14) से (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 280.93 लाख, ₹ 159.16 लाख एवं ₹ 113.81 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020) 2018—19 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(17) 2403—113—3784—रोग अनुसंधान—

मूल	1,022.85	778.20	776.60	(—)1.60
पुनर्वि.	(—)244.65			

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 239.65 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 244.65 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 2403—113—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

5505—पशु संगणना कार्यक्रम—				
मूल	500.00			
पुनर्वि.	(—)110.87	389.13	389.13	0.00

(19) 2403—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8703—दुर्ग्राध उत्पादन एवं अधोसंरचना—				
मूल	1,462.97			
पूरक	767.00			
पुनर्वि.	(—)848.41	1,381.56	1,380.36	(—)1.20

उपरोक्त क्रम संख्या (18) से (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 110.87 लाख एवं ₹ 848.41 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2403—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8898—राज्य पोषित डेयरी डिमिता विकास योजना—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	99.55	1,099.55	1,099.55

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.45 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 99.55 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। उभय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(2) 2403—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8544—प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधारण कार्यकर्ता योजना—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(—)2.49	97.51	197.51

+100.00

(3) 2403—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—			
मूल	2,032.22		
पुनर्वि.	(—)83.73	1,948.49	2,084.49

+136.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2.49 लाख एवं ₹ 83.73 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 14—समाप्त

पूँजीगत:
दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
(1) 4403—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3578—मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
(2) 4403—109—0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 7403—कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय— मूल 466.00 पुनर्वि. (-)466.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत ₹ 200.00 लाख एवं ₹ 466.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4403—109—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7403—कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,381.29	618.71	618.71	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,381.29 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

**अनुदान संख्या 15—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2405—मछली पालन

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2853—लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

राजस्व	24,20,747	19,97,702	(—)4,23,045
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			4,23,040
(31 मार्च 2020)			

पूंजीगत	4,20,000	4,20,000	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 4,230.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 4,230.40 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2202—01—789—197—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

2952—बालिकाओं को

गणवेश—

मूल	350.00	33.24	33.24	0.00
पुनर्वि.	(—)316.76			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 316.76 लाख की कमी छात्राओं की दर्ज संख्या के अनुपात में व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202—01—789—197—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

327—अस्वच्छ धन्धे में लगे

लोगों के बच्चोंके लिए

आश्रम छात्रवृत्ति—

मूल	250.00	222.24	222.24	0.00
पुनर्वि.	(—)27.76			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 27.76 लाख की कमी हित ग्राहियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2202—01—789—197—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन

के लिये अनुदान मूलभूत

न्यूनतम सेवाओं के लिये—

मूल

पुनर्वि.

6,275.00	5,880.53	5,880.53	0.00
(—)394.47			

अनुदान संख्या 15—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 394.47 लाख की कमी जिला/जनपद पंचायतों द्वारा व्यय नहीं किए (₹ 369.47 लाख) जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 25.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2020)। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान		व्यय (₹ लाख में)	बचत(–)

(4) 2202–02–789–196–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन

के लिये अनुदान मूलभूत

न्यूनतम सेवाओं के लिये—

मूल 5,680.00

पुनर्वि. (–)328.13

5,351.87

5,351.87

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 328.13 लाख की कमी जिला/जनपद पंचायतों द्वारा व्यय नहीं किए (₹ 298.13 लाख) जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 30.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2235–60–789–198–1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

5397—राष्ट्रीय परिवार

सहायता योजना—

मूल 100.00

पुनर्वि. (–)42.20

57.80

57.80

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 42.20 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(6) 2405–789–101–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7242—राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना (सामान्य)—

मूल 250.00

पुनर्वि. (–)0.11

249.89

94.89

(–)155.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.11 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2405–789–101–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

3319—मत्स्य पालन

प्रसार—

मूल 117.70

पुनर्वि. (–)52.52

65.18

65.18

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 52.52 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(8) 2515–789–198–1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7687—मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण

विकास योजना—

मूल 48.50

पुनर्वि. (–)48.50

0.00

0.00

0.00

₹ 48.50 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 15—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(9) 2515—789—198—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान— मूल 480.00 पुनर्वि. (-)272.85	207.15	207.15	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 272.85 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने एवं भारत सरकार से निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2853—02—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 6,127.00 पुनर्वि. (-)2,699.95	3,427.05	3,427.05	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,699.95 लाख की कमी पंचायतों की निर्धारित समयावधि में शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुइः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
2405—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7814—नीलकांति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 450.00 पुनर्वि. 154.98	604.98	604.98	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 155.00 लाख की वृद्धि केन्द्रांश योजना की प्रतिपूर्ति किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.02 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 154.98 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

अनुदान संख्या 16—मछली पालन

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिकय+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2405—मछली पालन

2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	6,85,329		
-----	----------	--	--

पूरक	5,000	6,90,3.29	5,81,689
------	-------	-----------	----------

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)1,08,640
------------------------------	--	--	-------------

(31 मार्च 2020)			1,08,604
-----------------	--	--	----------

प्रभारित	20	00	(—)20
----------	----	----	-------

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			20
------------------------------	--	--	----

(31 मार्च 2020)			
-----------------	--	--	--

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	7,500		
-----	-------	--	--

पूरक	16,930	24,430	24,427
------	--------	--------	--------

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)3
------------------------------	--	--	------

(31 मार्च 2020)			3
-----------------	--	--	---

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,086.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 1,086.04 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2405—001—2280—निदेशन और प्रशासन—

मूल	427.86		
पुनर्वि.	(—)87.99	339.87	339.40
			(—)0.47

(2) 2405—101—162—अंतर्रेशीय मत्स्य पालन

के लिए जिला स्तर			
कर्मचारी—			
मूल	3,689.30		
पुनर्वि.	(—)525.15	3,164.15	3,165.31
			+1.16

(3) 2405—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7242—राष्ट्रीय कृषि विकास			
योजना—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(—)0.05	399.95	259.95
			(—)140.00

अनुदान संख्या 16—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 2405—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7434—मत्स्य महाविद्यालय, कवर्धा को अनुदान— मूल 385.84 पुनर्वि. (—)280.84	105.00	105.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से कमशः ₹ 87.99 लाख, ₹ 525.15 लाख, ₹ 0.05 लाख एवं ₹ 280.84 लाख की कमी के कारणों के साथ क्रम संख्या (3) के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) तथा 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
2405—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7814—चौलक्रांति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 1,150.00 पुनर्वि. (—)0.40	1,149.60	1,288.80	+139.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.40 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा। 2013—14 से 2018—19 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2425—सहकारिता

4425—सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

6425—सहकारिता के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	91,35,409			
पूरक	76,80,200	1,68,15,609	1,58,80,112	(—)9,35,497
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,34,196
(31 मार्च 2020)				

प्रभारित

15 00 (—)15 15

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2020)

पूँजीगत:

दत्तमत—

मूल	1,88,002			
पूरक	10,000	1,98,002	2,988	(—)1,95,014
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,95,014
(31 मार्च 2020)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,58,801.12 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 76,802.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्य पूर्ण सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 9,354.97 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 9,341.96 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 2425—001—123—अधीक्षण—

मूल	4,777.35		
पुनर्वि.	(—)609.08	4,168.27	4,162.02

(-)6.25

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 623.45 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14.38 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में 609.08 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013–14 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2425—003—6786—राज्य सहकारी

संघ को अनुदान—

मूल	129.81		
पुनर्वि.	(—)64.91	64.91	64.91

0.00

अनुदान संख्या 17—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 64.91 लाख की कभी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(3) 2425—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7889—प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण—			
मूल 200.00			
पुनर्वि. (—)200.00	0.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2425—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7942—अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना—			
मूल 75,000.00			
पूरक 76,800.00			
पुनर्वि. (—)7,780.00	1,44,020.00	1,44,020.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,780.00 लाख का आहरण ऋण माफी के वास्तविक आकलन के अनुसार किए गए हितग्राहियों के संख्या के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2425—108—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7943—मूल्य समर्थन योजना में दलहन एवं तिलहन खरीदी—			
मूल 712.00			
पुनर्वि. (—)712.00	0.00	0.00	0.00

₹ 712.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार वर्ष 2019—20 के बाजार मूल्य के समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
2425—001—2282—निर्देशन—			
मूल 640.01			
पुनर्वि. 69.31	709.32	708.65	(—)0.67

समर्पण द्वारा ₹ 37.30 लाख की कभी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 106.61 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधन में ₹ 69.31 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

प्रभारित—

(v) वर्ष के दौरान ₹ 0.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया। 2013—14 से 2018—19 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 29.88 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 100.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या 17—समाप्त

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्षक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4425—108—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7678—सहकारी संस्थाओं के लिए अंशपूंजी— मूल 500.00 पूरक. 100.00 पुनर्वि. (—)600.00	0.00	0.00	0.00
₹ 600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 6425—108—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5055—सहकारी शक्कर कारखाना— मूल 1,300.00 पुनर्वि. (—)1,300.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(3) 6425—108—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8970—विपणन सहकारी समितियाँ का सुदृढ़ीकरण— मूल 50.00 पुनर्वि. (—)50.00	0.00	0.00	0.00
₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान उचित प्रस्ताव के प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 18—श्रम

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
राजस्व :			
दत्तमत—	20,47,270	14,08,330	(—)6,38,940
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			6,36,706
प्रभारित	20	00	(—)20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			20
राजस्व :			
दत्तमत			
(i) ₹ 6,389.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 6,367.06 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(1) 2210—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
3676—राज्य बीमा			
अस्पताल—			
मूल 4,686.70			
पुनर्वि. (—)370.41	4,316.29	4,299.11	(—)17.18
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 370.41 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, (₹ 144.30 लाख), मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी नहीं किए जाने (₹ 48.05 लाख) एवं नई डिसपेंसरी नहीं खोले जाने (₹ 85.69 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 92.37 लाख की शेष कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2007—08 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2210—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
791—कर्मचारी राज्य बीमा			
चिकित्सालय—			
मूल 4,990.90			
पुनर्वि. (—)1,434.81	3,556.09	3,553.31	(—)2.78
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,434.81 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 608.03 लाख) एवं मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी नहीं किए जाने (₹ 59.26 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 767.52 लाख की शेष कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2008—09 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 2230—01—001—4268—श्रम			
आयुक्त—			
मूल 608.70			
पुनर्वि. (—)126.29	482.41	481.85	(—)0.56
(4) 2230—01—101—4271—श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला—			
मूल 1,475.10			
पुनर्वि. (—)323.28	1,151.82	1,150.00	(—)1.82

अनुदान संख्या 18—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से कमशः ₹ 126.29 लाख तथा ₹ 323.28 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2013–14 से 2018–19 के दौरान कम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत हुई है।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	
(5) 2230–01–101–4272—श्रम न्यायालय—			
मूल	637.40		
पुनर्वि.	(–)161.62	475.78	476.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 161.62 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(6) 2230–01–101–712—औद्योगिक न्यायालय—			
मूल	246.80		
पुनर्वि.	(–)81.08	165.72	165.56
(–)0.16			
(7) 2230–01–102–5810—औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा—			
मूल	545.60		
पुनर्वि.	(–)204.65	340.95	340.73
(–)0.22			
उपरोक्त कम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से कमशः ₹ 81.08 लाख तथा ₹ 204.65 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2006–07 से 2018–19 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत हुई है।			
(8) 2230–01–103–4270—श्रम कल्याण निधि की स्थापना—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(–)67.86	432.14	432.14
0.00			
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 36.00 लाख की कमी व्यय में कमी होने तथा समर्पण द्वारा ₹ 31.86 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 67.86 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2230–01–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7435—असंगठित श्रमिक सुरक्षा			
एवं कल्याण मण्डल—			
मूल	3,850.00		
पुनर्वि.	(–)2,108.04	1,741.96	1,741.96
0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,108.04 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011–12 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत हुई है।			
(10) 2230–01–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
8977—असंगठित सफाई कर्मकार			
कल्याण मण्डल—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(–)595.58	404.42	404.42
0.00			
(11) 2230–01–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
8989—ठेका मजदूर घरेलू कामकाजी			
महिला एवं हमाल			
कल्याण मण्डल—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(–)725.14	774.86	774.86
0.00			

अनुदान संख्या 18—समाप्त

उपरोक्त कम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से कमशः ₹ 595.58 लाख तथा ₹ 725.14 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014–15 से 2018–19 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (10) एवं 2015–16 से 2018–19 के दौरान कम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान		व्यय	बचत(–)
	(₹ लाख में)		
(12) 2230–01–112–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2837—बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना— मूल 140.00 पुनर्वि. (–)76.65	63.35	63.35	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 76.65 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011–12 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित :

(iii) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया। 2010–11 से 2018–19 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

- 2071—पेशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211—परिवार कल्याण
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	1,93,74,880			
पूरक	16,74,500	2,10,49,380	1,92,28,098	(—)18,21,282
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				21,50,882
(31 मार्च 2020)				

प्रभारित—

मूल	1,650			
पूरक	4,400	6,050	5,890	(—)160
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				159
(31 मार्च 2020)				

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	6,74,400			
पूरक	14,000	6,88,400	6,08,841	(—)79,559
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,11,925
(31 मार्च 2020)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 16,635.00 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 110.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 16,745.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 18,212.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 21,508.82 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत—
			(₹ लाख में)

(1) 2210—01—001—2283—निर्देशन एवं प्रशासन—

(राजीव गांधी मिशन)

मूलभूत सेवाएं)—

मूल	4,011.80		
पुनर्वि.	(—)1,232.41	2,779.39	2648.17

(2) 2210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7327—मानसिक

चिकित्सालय—

मूल	868.00		
पूरक	20.00		
पुनर्वि.	(—)143.98	744.02	742.79

(—)1.23

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7397—छत्तीसगढ़ इमरजेंसी मेडिकल रिस्पोंस सर्विसेस योजना— मूल 2,200.00 पुनर्वि. (—)1,320.00	880.00	880.00	0.00
(4) 2210—01—196—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल 22,713.50 पूरक 110.00 पुनर्वि. (—)2,538.24	20,285.26	18,764.72	(—)1,520.54
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,232.41 लाख, ₹ 143.98 लाख, ₹ 1,320.00 लाख एवं ₹ 2,538.24 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (4), 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (2) एवं 2018—19 के दौरान के क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(5) 2210—01—200—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7932—आयुष्मान भारत— मूल 17,500.00 पुनर्वि. (—)2,500.00	15,000.00	10,500.00	(—)4,500.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 2,500.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(6) 2210—01—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8631—शव वाहिका योजना— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (—)123.20	1,076.80	1,076.80	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.20 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2210—01—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8649—मुख्य मंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम— मूल 332.00 पुनर्वि. (—)178.79	153.21	151.20	(—)2.01
(8) 2210—03—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7330—मितानिन कल्याण निधि— मूल 10,100.00 पुनर्वि. (—)5,100.00	5,000.00	5,000.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 178.79 लाख एवं ₹ 5,100.00 लाख की कमी निधियां जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014—15 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं 2018—19 के दौरान के क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(9) 2210—03—197—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 748—दवाखाना— मूल 415.95 पुनर्वि. (—)272.23	143.72	143.67	(—)0.05

अनुदान संख्या 19—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 272.23 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(10) 2210–03–198–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
2777—प्राथमिक स्वास्थ्य			
केन्द्र (मूलभूत सेवाएं) —			
मूल 30,605.80			
पुनर्वि. (–)1,964.41	28,641.39	27,736.93	(–)904.46

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 83.16 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,881.25 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,964.41 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011–12 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2210–05–105–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7799—सी.पी.एस. योजना—			
मूल 100.00			
पुनर्वि. (–)100.00	0.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

(12) 2210–06–003–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6811—राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
प्रशिक्षण संस्थान—			
मूल 203.95			
पुनर्वि. (–)29.30	174.65	143.04	(–)31.61

(13) 2210–06–101–4244—शीत ज्वर—

मूल 2,469.30			
पुनर्वि. (–)475.01	1,994.29	1,975.92	(–)18.37

उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 29.30 लाख एवं ₹ 475.01 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (12) तथा 2014–15 से 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(14) 2210–06–101–858—कुष्ठ रोग

नियंत्रण कार्यक्रम—			
मूल 3,490.80			
पुनर्वि. (–)361.48	3,129.32	3,217.85	+88.53

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 361.48 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2210–06–101–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

5026—छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी			
सहायता निधि हेतु आर्थिक			
सहायता / अनुदान—			
मूल 1,500.00			
पूरक 500.00			
पुनर्वि. (–)209.00	1,791.00	1,791.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 209.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत— (₹ लाख में)
(16) 2210—06—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5688—मुख्यमंत्री दवा पेटी— मूल 670.00 पुनर्वि. (-)77.78	592.22	591.49	(-)0.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 77.78 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2210—06—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7636—बाल श्रवण योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधियों के प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2210—06—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7671—मुख्य मंत्री बाल मधुमेह रोकथाम एवं सुरक्षा योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2210—06—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7679—टी.बी रोकथाम के लिए पोषित खाद्य— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)340.00	160.00	160.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 340.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2210—06—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8632—बाल हृदय सुरक्षा योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधियों के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2210—06—102—1070—खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित)	1,647.10	766.88	(-)880.22
(22) 2210—06—104—750—औषध नियंत्रण	1,444.85	764.94	(-)679.91

उपरोक्त क्रम संख्या (21) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (21) एवं 2015—16 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (22) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(23) 2210—06—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7863—मुख्य मंत्री चिकित्सा फेलोशिप योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (−)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2211—001—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 1508—जिला स्तरीय अमला— मूल 528.60 पुनर्वि. (−)58.16	470.44	465.11	(−)5.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 58.16 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2211—001—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3704—राज्य स्तरीय परिवार कल्याण— मूल 727.80 पुनर्वि. (−)147.12	580.68	590.15	+9.47
(26) 2211—003—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 1007—क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र— मूल 222.10 पुनर्वि. (−)120.90	101.20	98.56	(−)2.64
(27) 2211—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 14,228.10 पुनर्वि. (−)3,996.52	10,231.58	10,663.18	+431.60
उपरोक्त क्रम संख्या (25) से (27) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 147.12 लाख, ₹ 120.90 लाख एवं ₹ 3,996.52 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (25) एवं (27) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (25) एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2013—14 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(28) 2211—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4601—स्टरलाइजेशन— मूल 67.00 पुनर्वि. (−)67.00	0.00	0.00	0.00
(29) 2211—200—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 2498—परम्परागत गर्भ निरोधक की आपूर्ति— मूल 100.00 पुनर्वि. (−)100.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (28) एवं (29) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 67.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

अनुदान संख्या 19—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2071—01—800—5499—सेवानिवृत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	230.00	538.48	+308.48
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2009—10 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।			
(2) 2210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 748—औषधालय— मूल 908.30 पुनर्वि. (−)45.60	862.70	1,013.53	+150.83
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 45.60 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(3) 2210—01—200—77—अंध रोग उपचार की रोकथाम की इकाइयां स्थापित करना— मूल 1,986.00 पुनर्वि. (−)90.21	1,895.79	2,241.99	+346.20
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.21 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(4) 2210—01—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8645—मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना	8,000.00	11,500.00	+3,500.00
अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(5) 2210—03—197—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 13,229.40 पुनर्वि. (−)1,181.46	12,047.94	14,417.18	+2,369.24
(6) 2210—03—198—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 7,115.70 पुनर्वि. (−)132.34	6,983.36	10,634.37	+3,651.01
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,181.46 लाख एवं ₹ 132.34 लाख की कमी के कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी आधिक्य हुआ था।			
(7) 2210—06—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6362—डाक्टर खूब चंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,500.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

अनुदान संख्या 19—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(8) 2210—06—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6363—मुख्य मंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना— पूरक सांकेतिक 0.00 1,000.00 +1,000.00			
अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

पूंजीगतः

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा दिसम्बर 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 140.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) ₹ 795.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 2,119.25 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4210—01—196—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473—जिला अस्पताल— मूल 2,500.00 पूरक 140.00 पुनर्वि. (−)1,621.60 1,018.40 2,306.92 +1,288.52			
(2) 4210—01—196—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2283—निर्देशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवाएं)— मूल 530.00 पुनर्वि. (−)318.00 212.00 212.00 0.00			

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,621.60 लाख एवं ₹ 318.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2014—15 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2210—विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2215—जलापूर्ति तथा सफाई

4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय

6215—जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	35,59,518			
पूरक	63,673	36,23,191	25,92,434	(—)10,30,757
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10,29,681
(31 मार्च 2020)				
प्रभारित		1,500	1,116	(—)384
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				383
(31 मार्च 2020)				

पूँजीगत:

दत्तमत:

मूल	28,14,960			
पूरक	2,11,000	30,25,960	14,73,256	(—)15,52,704
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				15,52,962
(31 मार्च 2020)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 636.73 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, इसे यथा आवश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 10,307.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 10,296.81 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(1) 2215—01—001—2294—निर्देशन—

मूल	2,181.75			
पुनर्वि.	(—)743.43	1,438.32	1,438.26	(—)0.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 743.43 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008—09 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2215—01—001—2715—प्रशासन—

मूल	13,338.57			
पुनर्वि.	(—)3,788.79	9,549.78	9,537.34	(—)12.45

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,788.79 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2012—13 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2215—01—101—5300—स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण—	मूल 1,483.65 पुनर्वि. (—)474.46	1,009.19	1,009.70 +0.51
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 474.46 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2215—01—102—1202—ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का अनुरक्षण—	मूल 696.55 पुनर्वि. (—)189.56	506.99	503.53 (—)3.46
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 189.56 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2215—01—102—1854—ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन—	मूल 1,788.75 पुनर्वि. (—)405.35	1,383.40	1,377.61 (—)5.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 405.35 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2215—01—102—2219—नलकूपों का अनुरक्षण—	मूल 8,069.46 पुनर्वि. (—)3,085.29	4,984.17	4,991.16 +6.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,085.29 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010—11 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—	5403—पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना—		
	मूल 925.00 पुनर्वि. (—)330.08	594.92	594.92 0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 330.08 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—	7858—सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना—		
	मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00	0.00	0.00 0.00

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7964—राजीव गांधी सर्व जल योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2215—01—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7950—उच्च न्यायालय के भवनों में पेयजल व्यवस्था का संधारण— मूल 86.00 पुनर्वि. (-)63.53	22.47	22.47	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 63.53 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(11) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8318—कटघोरा जिला बिलासपुर नल जल प्रदाय योजना— मूल 175.00 पुनर्वि. (-)175.00	0.00	0.00	0.00
₹ 175.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(12) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8611—धरमजयगढ़ आवर्धन जल प्रदाय योजना— मूल 307.40 पुनर्वि. (-)61.27	246.13	246.13	0.00
(13) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8617—टुण्ड्रा जल प्रदाय योजना— मूल 268.80 पुनर्वि. (-)142.47	126.33	126.33	0.00
(14) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8618—भटगाँव जल प्रदाय योजना— मूल 201.67 पुनर्वि. (-)100.00	101.67	101.67	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (14) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 61.27 लाख, ₹ 142.47 लाख एवं ₹ 100.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (13) तथा 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(15) 2215—01—799—4058—विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— मूल 2,000.10 पुनर्वि. (-)595.45	1,404.65	1,396.72	(-)7.93

अनुदान संख्या 20—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 595.45 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013–14 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षन्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वार्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
2215–01–193–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–			
8612–पाटन आवर्धन जल प्रदाय योजना—			
मूल	0.01		
पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।	377.62	377.63	377.63
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.01 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 377.63 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 377.62 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(v) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के व्यय में “2215–जल प्रदाय और सफाई–01–जल प्रदाय–799–उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 1,396.72 लाख का व्यय सम्मिलित है। लघु शीर्ष ‘उचंत’ में अस्थायी प्रकृति के लेन–देन दर्ज किए जाते हैं जो कि न तो अंतिम रूप से सम्बन्धित निर्माण कार्य को समायोजित किए जाते हैं और न ही उनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है, तो उन्हें प्रति वर्ष अग्रेनीत किया जाता है।

“उचंत” शीर्ष में चार उपभाग हैं यथा :-

(1) क्रय (2) भण्डार (3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम और (4) कार्यशाला उचंत

प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन–देनों का प्रकार और लेखा कार्य विधि जो अपनाई जाती है, नीचे स्पष्ट की गई है :-

(1) क्रय— राज्य में 1983–84 से नई लेखा पद्धति के अपनाने के फलस्वरूप उप संभाग अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रेनीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन–देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार— इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिए नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिए प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिए यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से सम्बन्धित असमायोजित प्रभार यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा, निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत—किए गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण विभाग के कार्यशालाओं में अन्य परिचालन सम्बन्धी प्रभार वसूली या समायोजन पर्यन्त इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

2019–20 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत “उचंत” लेन–देनों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2019 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2020 को नामे + जमा (-)
2215–जल आपूर्ति तथा सफाई	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)1,600.70	0.00	0.00	(-)1,600.70
(ii) भण्डार	+1,550.23	0.00	0.00	+1,550.23
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+10,122.98	1,396.72	(-)454.03	+11,065.67
योग	+10,072.51	1,396.72	(-)454.03	+11,015.20

अनुदान संख्या 20—जारी

पूँजीगतः

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 2,110.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, इसे यथा आवश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 15,527.04 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 15,529.62 लाख का समर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(1) 4215—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2294—निर्देशन— मूल 288.90 पुनर्वि. (—)288.90	0.00	0.00	0.00
₹ 288.90 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4215—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2715—प्रशासन— मूल 180.00 पुनर्वि. (—)174.80	5.20	5.20	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 174.80 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4215—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7989—चिकित्सा महाविद्यालय परिसर एवं मेकाहारा अस्पताल रायपुर हेतु जल प्रदाय व्यवस्था का सुदीढ़ीकरण— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(4) 4215—01—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7353—राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम— मूल 7,560.00 पूरक 2,110.00 पुनर्वि. (—)6,793.33	2,876.67	2,875.95	(—)0.72
(5) 4215—01—102—0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 5,550.00 पुनर्वि. (—)3,312.86	2,237.14	2,233.50	(—)3.64
(6) 4215—01—102—0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)— 7858—सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (—)595.21	4.79	4.79	0.00

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 3,045.00 पुनर्वि. (-)295.77 2,749.23 2,751.35 +2.12			
उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 6,793.33 लाख, ₹ 3,312.86 लाख, ₹ 595.21 लाख, एवं ₹ 295.77 लाख, की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2018-19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) तथा (5), 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान क्रम संख्या (6) एवं 2018-19 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(8) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5700—शालाओं में पेयजल व्यवस्था— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)242.44 357.56 386.16 +28.60			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 242.44 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(9) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6898—बटालियन हेतु ओवरहेड टैक का निर्माण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)98.00 2.00 2.00 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.00 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 693—औजार और संयत्र— मूल 231.00 पुनर्वि. (-)231.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 231.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7664—ग्राम लखोली आरंग में एन.सी.सी. प्रशिक्षण परिसर में जल प्रदाय योजना— मूल 146.70 पुनर्वि. (-)88.98 57.72 57.72 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 88.98 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(12) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7962—मिनीमाता अमृत धारा नल योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)11.28 488.72 464.96 (-)23.76			

अनुदान संख्या 20—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11.28 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(13) 4215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7963—मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पैयजल योजना—			
मूल 500.00			
पुनर्वि. (—)500.00	0.00	0.00	0.00
(14) 4215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7990—चंदखुरी कोलिहापुरी समूह नल जल प्रदाय योजना—			
मूल 100.00			
पुनर्वि. (—)100.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(15) 4215—01—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7951—आंगन बाड़ी एवं अस्पताल में नलकूप खनन कार्य—			
मूल 500.00			
पुनर्वि. (—)77.00	423.00	423.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 77.00 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(16) 6215—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
2182—नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं—			
मूल 5,200.00			
पुनर्वि. (—)2,570.14	2,629.86	2,629.86	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,570.14 लाख की कमी ऋण जारी किए जाने की अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 21—आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2049—ब्याज भुगतान

2216—आवास

2217—शहरी विकास

4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय

4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

6217—शहरी विकास ऋण

राजस्व	19,95,320	13,89,775	(—)6,05,545
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			5,82,072
(31 मार्च 2020)			

पूंजीगत:

मूल	36,64,210		
पूरक	48,100	37,12,310	19,37,364
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)17,74,946
(31 मार्च 2020)			17,31,075

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) ₹ 6,055.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 5,820.72 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 2049—60—701—7552—कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण	7,000.00	6,766.00	(—)234.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2216—02—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7444—विकास नगर

योजना—

मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(—)1,000.00	0.00	0.00

₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2012—13 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2216—02—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7670—मुख्यमंत्री आवासीय

योजना—

मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(—)1,000.00	0.00	0.00

₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 21—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(4) 2217-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5371—नया रायपुर विकास

प्राधिकरण—

मूल 4,100.00

पुनर्वि. (-)2,062.50

2,037.50

2,037.50

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,062.50 लाख की कमी कार्यालय व्यय के लिए निधि जारी नहीं किए जाने एवं बी.आर.टी.एस बसों का अनुरक्षण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2217-01-051-1201—विदेशी सहायता

प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

7334—जी. ई. एफ. सहायता

प्राप्त एस.यू.टी.पी. योजना—

मूल 350.00

पुनर्वि. (-)350.00

0.00

0.00

0.00

₹ 350.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने एवं राज्य सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2011-12 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2217-01-053-5371—नया रायपुर विकास

प्राधिकरण—

मूल 1,200.00

पुनर्वि. (-)420.00

780.00

780.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 420.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2217-05-001-2020—नगर और

ग्राम निवेश—

मूल 1,708.20

पुनर्वि. (-)624.51

1,083.69

1,082.96

(-)0.73

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 624.51 लाख की कमी, अमलों की नियुक्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ता जारी नहीं किए जाने, घर किराया निधि कम आर्बाटित किए जाने, रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में शहर प्रतिपूर्ति भत्ता जारी नहीं किए जाने एवं कोषालय द्वारा देयकों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(8) 2217-05-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7411—विकास प्राधिकरणों

को अनुदान—

मूल 300.00

पुनर्वि. (-)300.00

0.00

0.00

0.00

₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत:

(iii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, ₹ 481.00 लाख के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2019 में (₹ 431.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 50.00 लाख) में प्राप्त किया गया का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या 21—जारी

(iv) 17,749.46 की उपलब्ध बचत कके विरुद्ध 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 17,310.75 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4216—01—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7552—कर्मचारियों हेतु आवासीय
भवनों का निर्माण—

मूल	2,701.00	2,700.00	2,311.29	(—)388.71
पुनर्वि.	(—)1.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4217—01—051—1201—विदेशी सहायता

प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

7334—जी. ई. एफ. सहायता

प्राप्त एस यू टी पी योजना—

मूल	500.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(—)500.00			

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरकार द्वारा निधियों के जारी नहीं किए जाने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहा। 2012—13 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 4217—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5371—नया रायपुर विकास

प्राधिकरण—

मूल	24,930.00	7,584.39	7,534.39	(—)50.00
पूरक	50.00			
पुनर्वि.	(—)17,395.61			

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,185.45 लाख की कमी भवन एवं अद्योसंरचना संबंधित कार्य की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा ₹ 12,210.16 लाख की अन्य कमी राज्य सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने, कार्य की धीमी प्रगति एवं नवीन मद के अंतर्गत प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 17,395.61 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2012—13 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 4217—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7416—13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा

के तहत प्राप्त अनुदान—

मूल	800.10	242.51	242.51	0.00
पूरक	431.00			
पुनर्वि.	(—)988.59			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 988.59 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति एवं सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 6217—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7669—रायपुर में सीवरेज

ट्रीटमेंट प्लांट—

मूल	4,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
पुनर्वि.	(—)2,500.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,500.00 लाख की कमी सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 21—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(6) 4217—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7839—रियल स्टेट

प्राधिकरण—

मूल	100.00
पुनर्वि.	(-)100.00

0.00 0.00 0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरकार द्वारा प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2012—13 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 4217—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7883—जल प्रदाय योजना—

मूल	1,000.00
पुनर्वि.	(-)1,000.00

0.00 0.00 0.00

₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरकार द्वारा प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2011—12 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

4217—01—050—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5371—नया रायपुर विकास

प्राधिकरण—

मूल	2,600.00
पुनर्वि.	(-)5,185.45

7,785.45 7,785.45 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,185.45 लाख का आवर्धन भूमि तथा भवन क्रय किए जाने हेतु निधि प्राप्त नहीं होने एवं 2019—20 के लिए नवा रायपुर, अटल नगर, विकास प्राधिकरण के वार्षिक ब्याज एवं ब्याज दर में वृद्धि के साथ भूमि स्वामी को भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 22—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2217—शहरी विकास

राजस्व :

दत्तमत	2,27,840	1,67,134	(—)60,706
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			49,151

प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	5	00	(—)5 5
-------------------------------------------------------------	---	----	-----------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 607.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 491.51 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2217—80—001—6148—नगरीय स्थानीय

निकाय संचालनालय—

मूल	354.85	252.26	+0.12
पुनर्वि.	(—)102.71	252.14	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.71 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों के स्थानांतरण होने, निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विद्युत व्यवस्था एन. आर. डी. ए. द्वारा किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2217—80—001—7442—संभागीय कार्यालय

की स्थापना—

मूल	431.95	282.96	(—)114.82
पुनर्वि.	(—)34.17	397.78	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 34.17 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2217—80—001—1201—विदेशी सहायता प्राप्त

परियोजनाएं (सामान्य)—

7919—छत्तीसगढ़ लोक

वित्त प्रबंधन परियोजना—

मूल	325.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(—)325.00		

₹ 325.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.05 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2018—19 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन विभाग

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2700—वृहद सिंचाई

2701—मध्यम सिंचाई

4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत	60,82,045	49,74,793	(—)11,07,252
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			11,01,022
(31 मार्च 2020)			
प्रभारित	110	00	(—)110
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			110
(31 मार्च 2020)			

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	46,10,859		
पूरक	90,000	47,00,859	28,73,681
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)18,27,178
(31 मार्च 2020)			18,26,175
प्रभारित	5,500	1,479	(—)4,021
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			5,500
(31 मार्च 2020)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 11,072.52 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 11,010.22 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(1) 2700—01—101—2894—बांध तथा नहरें—

मूल	3,968.10		
पुनर्वि.	(—)352.04	3,616.06	3,639.99

+23.93

समर्पण द्वारा ₹ 239.73 लाख की कमी निधि के उपयोग नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 112.31 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 352.04 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2700—06—101—2894—बांध तथा नहरें—

मूल	709.45		
पुनर्वि.	(—)69.49	639.96	659.21

+19.25

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.49 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7वें केन्द्रीय वेतनमान में मंहगाई भत्ते की वृद्धि नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2700—10—101—2894—बांध तथा नहरें—			

मूल	742.30		
पुनर्वि.	(-)185.71	556.59	519.22

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की कमी अनुरक्षण कार्य की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा ₹ 135.71 लाख की अन्य कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वै} केन्द्रीय वेतनमान में मंहगाई भत्ते की वृद्धि नहीं किए जाने एवं अनुरक्षण कार्य की धीमी प्रगति के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 185.71 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2700—11—101—2894—बांध तथा नहरें—

मूल	355.45			
पुनर्वि.	(-)151.52	203.93	254.60	+50.67

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 82.00 लाख की कमी अनुरक्षण कार्य की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा ₹ 69.52 लाख की अन्य कमी कार्यभारित स्थापना कार्य प्रगति अनुसार भुगतान किये जाने के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वै} केन्द्रीयवेतन मान में मंहगाई भत्ते की वृद्धि नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 151.52 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(5) 2701—80—001—275—आवियाना स्थापना—

मूल	2,760.10			
पुनर्वि.	(-)755.97	2,004.13	1,994.89	(-)9.24

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 755.97 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वै} केन्द्रीय वेतनमान में मंहगाई भत्ते की वृद्धि नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010–11 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3264—मंडल स्थापना—				
मूल	2,611.52			
पुनर्वि.	(-)638.76	1,972.76	1,965.72	(-)7.04

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 638.76 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वै} केन्द्रीय वेतनमान में मंहगाई भत्ते की वृद्धि नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3556—मुख्यालय स्थापना				
यूनिट—I—				
मूल	3,946.38			
पुनर्वि.	(-)733.28	3,213.10	3,214.91	+1.81

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 733.28 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वै} केन्द्रीय वेतन मान में मंहगाई भत्ते की वृद्धि नहीं किए जाने एवं लॉकडाउन के कारण वर्ष के अंत में स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010–11 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(8) 2701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

815—कार्यपालिक स्थापना—				
मूल	36,859.55			
पुनर्वि.	(-)7,742.22	29,117.33	29,060.40	(-)56.93

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,742.22 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वै} केन्द्रीय वेतन मान में मंहगाई भत्ते की वृद्धि नहीं किए जाने एवं लॉकडाउन के कारण वर्ष के अंत में स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जारी

हुईः—

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2700—02—101—2894—बांध तथा नहरें—			

मूल	2,489.85		
पुनर्वि.	90.03	2,579.88	2,583.50

+3.62

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 91.88 लाख की वृद्धि कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत कर्मचारियों को भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1.85 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 90.03 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2701—29—101—2250—नहरें तथा तालाब—

मूल	108.25		
पुनर्वि.	79.58	187.83	188.21

+0.38

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 92.00 लाख की वृद्धि प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार ठेकेदारों द्वारा कार्य पूरा किए जाने पर भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 12.42 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7वें केन्द्रीय वेतनमान में मंहगाई भत्ते की वृद्धि नहीं किए जाने एवं अनुरक्षण कार्य के अनुसार भुगतान किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 79.58 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(iv) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में “उचंत” शीर्ष के अधीन लेखांकित (—) ₹ 2.06 लाख सम्मिलित है। “उचंत” के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

वर्ष 2019–20 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित “उचंत” लेन देन का विश्लेषण विभिन्न “उचंत उपशीर्षों” के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :—

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2019 को नामे + / जमा (—)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2020 को नामे + / जमा (—)
2701—मध्यम सिंचाई	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(—)841.87	0.00	0.00	(—)841.87
(ii) भण्डार	+726.64	(—)2.06	43.08	+681.50
(iii) विविध कार्य अग्रिम	+2,425.83	0.00	0.00	+2,425.83
(iv) कार्यशाला उचंत	+147.09	0.00	0.00	+147.09
कुल	+2,457.69	(—)2.06	43.08	+2,412.55

प्रभारित—

(v) वर्ष के दौरान ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया। 2011–12 से 2018–19 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगतः

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 100.00 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 800.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 900.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 18,271.78 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 18,261.75 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 23—जारी

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(-)
(1) 4700—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—		(₹ लाख में)	

2428—कार्यकारी स्थापना

(यूनिट 1 एवं 2)—

मूल	4,023.35			
पुनर्वि.	(-)659.98	3,363.37	3,356.21	(-)7.16

समर्पण द्वारा ₹ 659.98 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वै} केन्द्रीय वेतनमान में मंहगाई भत्ते की वृद्धि नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4700—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3556—मुख्यालय स्थापना

(यूनिट—1)—

मूल	849.84			
पुनर्वि.	(-)178.00	671.84	670.80	(-)1.04

समर्पण द्वारा ₹ 178.00 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वै} केन्द्रीय वेतनमान में मंहगाई भत्ते की वृद्धि नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4700—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2898—बांध तथा

संलग्न कार्य—

मूल	5,100.00			
पुनर्वि.	(-)3,575.80	1,524.20	1,524.90	+0.70

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,575.80 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू—अर्जन प्रकरणों का निपटान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4700—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण—

मूल	301.00			
पुनर्वि.	(-)301.00	0.00	3.88	+3.88

₹ 301.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहा।

(5) 4700—02—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2428—कार्यपालन स्थापना

(यूनिट—1 एवं 2)—

मूल	9,325.03			
पुनर्वि.	(-)1,395.82	7,929.21	7,918.92	(-)10.29

समर्पण द्वारा ₹ 1,395.82 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वै} केन्द्रीय वेतनमान में मंहगाई भत्ते की वृद्धि नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4700—02—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2898—बांध तथा

संलग्न कार्य—

मूल	3,110.00			
पुनर्वि.	(-)832.12	2,277.88	2,277.86	(-)0.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 832.12 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू—अर्जन प्रकरणों का निपटान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(7) 4700—02—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण— मूल 1,000.00 पूरक 100.00 पुनर्वि. (—)716.44	383.56	383.56	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 716.44 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4700—04—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल 140.00 पुनर्वि. (—)140.00	0.00	0.00	0.00
₹ 140.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(9) 4700—05—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण— मूल 70.00 पुनर्वि. (—)62.35	7.65	7.65	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 62.35 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(10) 4700—06—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (—)1,857.61	642.39	642.41	+0.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,857.61 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 4700—08—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (—)1,670.80	829.20	829.86	+0.66
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,670.80 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति एवं भू—अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4700—09—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल 3,010.00 पुनर्वि. (—)644.02	2,365.98	2,365.94	(—)0.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 644.02 लाख की कमी राज्यांश विमुक्ति के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं प्रकरणों की उपलब्धता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
		(₹ लाख में)	

(13) 4700-10-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2884—नहर तथा उससे
संबंधित निर्माण कार्य—
मूल 1,000.00
पुनर्वि. (−)816.38

183.62 183.62 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 816.38 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 4700-11-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2884—नहर तथा उससे
संबंधित निर्माण कार्य—
मूल 800.00
पुनर्वि. (−)527.15

272.85 272.85 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 527.15 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 4700-12-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2884—नहर तथा उससे
संबंधित निर्माण कार्य—
मूल 910.00
पुनर्वि. (−)123.66

786.34 786.34 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.66 लाख की कमी वन विभाग द्वारा निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 4700-80-005-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4416—सर्वेक्षण—
मूल 375.00
पुनर्वि. (−)375.00

0.00 0.00 0.00

₹ 375.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 4700-80-800-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

6354—बांध पुनर्वास एवं
सुधार परियोजना
फेस-II—
पूरक 550.00
पुनर्वि. (−)544.31

5.69 11.78 +6.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 544.31 लाख की कमी भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(18) 4701-01-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2898—बांध तथा
संलग्न कार्य—
मूल 200.00
पुनर्वि. (−)81.19

118.81 118.74 (−)0.07

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 81.19 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(19) 4701-04-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
2898—बांध तथा				
संलग्न कार्य—				
मूल 180.00 पुनर्वि. (—)180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(20) 4701-09-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
2898—बांध तथा				
संलग्न कार्य—				
मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 180.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(21) 4701-13-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
2898—बांध तथा				
संलग्न कार्य—				
मूल 400.00 पुनर्वि. (—)400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 98.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 302.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 400.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 4701-14-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
2898—बांध तथा				
संलग्न कार्य—				
मूल 700.10 पुनर्वि. (—)419.93	280.17	280.17	0.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 419.93 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(23) 4701-28-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
2898—बांध तथा				
संलग्न कार्य—				
मूल 600.00 पुनर्वि. (—)600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा ₹ 378.00 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 222.00 लाख की अन्य कमी नवीन कार्य एवं केनाल लाईनिंग कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संयुक्त प्रभाव से ₹ 600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(24) 4701-30-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
2898—बांध तथा				
संलग्न कार्य—				
मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृत नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(25) 4701-32-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
2898—बांध तथा			
संलग्न कार्य—			
मूल 500.00			
पुनर्वि. (-)467.32	32.68	32.68	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 467.32 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं भू अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 4701-38-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
2898—बांध तथा			
संलग्न कार्य—			
मूल 200.00			
पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.38	+0.38
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(27) 4701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
3556—मुख्यालय स्थापना			
यूनिट-1			
मूल 166.00			
पुनर्वि. (-)156.21	9.79	9.79	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 156.21 लाख की कमी नवीन वाहन क्रय किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(28) 4701-80-002-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
4793—जल मौसम विज्ञान			
नेटवर्क तथा संचालनालय			
स्थापना—			
मूल 1,789.39			
पुनर्वि. (-)312.48	1,476.91	1,475.12	(-)1.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 312.48 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7वें केन्द्रीय वेतनमान में मंहगाई भत्ते में वृद्धि नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(29) 4701-80-005-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
3363—मध्यम परियोजना			
का सर्वे—			
मूल 100.00			
पुनर्वि. (-)69.74	30.26	30.26	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.74 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(30) 4701-80-800-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
6354—बांध पुनर्वास एवं			
सुधार परियोजना			
फेस-II			
पूरक 250.00			
पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(31) 4711—01—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6757—बाढ़ नियंत्रण

परियोजना—

मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)978.52	1,021.48	1,021.48

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 978.52 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति एवं योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4700—02—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3556—मुख्यालय स्थापना

यूनिट-1

मूल	1,048.35		
पुनर्वि.	385.37	1,433.72	1,432.73

(-)0.99

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 689.00 लाख की वृद्धि अंतर्राज्यीय जल विवाद मामलों में भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 303.63 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 385.37 लाख का आवधन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(2) 4701—02—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2898—बांध तथा

संलग्न कार्य—

मूल	100.00		
पुनर्वि.	151.03	251.03	251.03

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 222.00 लाख की वृद्धि चल देयकों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 70.97 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 151.03 लाख का आवधन उल्लिखित किया गया है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 4701—37—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2898—बांध तथा

संलग्न कार्य—

मूल	1,010.00		
पुनर्वि.	91.10	1,101.10	1,097.94

(-)3.16

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 98.00 लाख की वृद्धि चल देयकों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 6.90 लाख की कमी भू—अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 91.10 लाख का आवधन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 23—समाप्त

(x) उचंत लेन देन—

“उचंत” के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

वर्ष 2019–20 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित “उचंत” लेन देन का विश्लेषण विभिन्न “उचंत उपशीर्षों” के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :—

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2019 को नामे + / जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2020 को नामे + / जमा (-)
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)830.51	0.00	0.00	(-)830.51
(ii) भण्डार	+346.16	0.00	0.00	+346.16
(iii) विविध कार्य अग्रिम	+1,590.21	0.00	0.00	+1,590.21
(iv) कार्यशाला उचंत	(-)76.61	0.00	0.00	(-)76.61
कुल	+1,029.25	0.00	0.00	+1,029.25

प्रभारित—

(xi) ₹ 40.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 55.00 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(xii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
(1) 4700—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4948—डिक्री धन का भुगतान (भारित)—			
मूल 5.00 पुनर्वि. (-)5.00	0.00	0.59	+0.59
₹ 5.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

(2) 4701—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
4948—डिक्री धन का भुगतान (भारित)—			
मूल 50.00 पुनर्वि. 50.00	0.00	14.20	+14.20

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सङ्कें और पुल

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

3053—नागर विमानन्

3054—सङ्क तथा सेतु

5053—नागर विमानन् पर पूंजीगत परिव्यय

5054—सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल 1,32,11,710

पूरक 1,15,000

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

1,33,26,710

67,72,341

(—)65,54,369

00

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल 1,43,48,400

पूरक 2,

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

1,43,48,402

1,09,07,681

(—)34,40,721

00

प्रभारित—

मूल 2,00,130

पूरक 2,85,933

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

4,86,063

4,37,853

(—)48,210

00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 1,150.00 लाख का अनुपरूप प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) वर्ष के दौरान उपलब्ध बचत के विरुद्ध कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 3054—01—337—134—अनुरक्षण और मरम्मत—

साधारण मरम्मत—

मूल 3,190.00

पूरक 1,150.00

4,340.00

1,602.10

(—)2,737.90

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2012—13 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 3054—03—337—4090—विशेष मरम्मत 1,500.00 481.85 (—)1,018.15

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 3054—03—797—8716—केन्द्रीय सङ्क निधि 46,500.00 19,854.70 (—)26,645.30

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 3054—04—337—2227—नवीनीकरण— मूल 25,400.00 पुनर्वि. (—)13,500.00	11,900.00	4,878.44	(—)7,021.56
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 13,500.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 3054—04—337—4090—विशेष मरम्मत 1,000.00 500.56 (—)499.44 बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 3054—04—337—4557—सुदृढ़ीकरण 1,500.00 736.54 (—)763.46 बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010—11 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 3054—04—337—7984—ग्रामीण मार्गों की विशेष मरम्मत— मूल 500.00 पुनर्वि. (—)200.00	300.00	131.68	(—)168.32
(8) 3054—04—337—7985—ग्रामीण मार्गों का सुदृढ़ीकरण— मूल 500.00 पुनर्वि. (—)200.00	300.00	268.63	(—)31.37
(9) 3054—04—337—7986—ग्रामीण मार्गों की डामरीकरण— मूल 500.00 पुनर्वि. (—)400.00	100.00	21.63	(—)78.37
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 200.00 लाख, ₹ 200.00 लाख एवं ₹ 400.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(10) 3054—04—337—7987—ग्रामीण मार्गों का नवीनीकरण 6,000.00 381.32 (—)5,618.68 अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(11) 3054—80—001—2301—निर्देशन एवं प्रशासन— (मांग सं. 67—2059—लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग) 13,213.50 4,571.82 (—)8,641.68 अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 3054—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7609—ए.डी.बी.सहायित छत्तीसगढ़ सङ्कायिक विकास परियोजना का स्थापना व्यय 1,389.80 541.36 (—)848.44 बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(13) 3054—80—052—692—औजार एवं संयंत्र प्रभार— (मांग सं. 67—2059—लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)	5,318.30	57.41	(—)5,260.89
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 3054—03—337—134—अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत— मूल 5,500.00 पुनर्वि. 3,000.00	8,500.00	7,150.26	(—)1,349.74
(2) 3054—03—337—2227—नवीनीकरण— मूल 5,000.00 पुनर्वि. 4,300.00	9,300.00	7,514.39	(—)1,785.61
(3) 3054—04—337—134—अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत— मूल 11,000.00 पुनर्वि. 4,000.00	15,000.00	13,524.05	(—)1,475.95
(4) 3054—04—337—7983—ग्रामीण मार्गों की साधारण मरम्मत— मूल 4,000.00 पुनर्वि. 3,000.00	7,000.00	5,463.73	(—)1,536.27

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 3,000.00 लाख, ₹ 4,300.00 लाख, ₹ 4,000.00 लाख एवं ₹ 3,000.00 लाख का आवधन दायित्वों के भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया उपरोक्त सभी शीर्षान्तर्गत अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(v) केन्द्रीय सङ्क निधि से आर्थिक सहायता—

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सङ्क विकास के लिए उद्दिदष्ट मोटर स्प्रिट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सङ्क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में यह राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में जमा की जाती है और उसके समतुल्य राशि “3054—सङ्कों तथा पुल—800—अन्य व्यय” जिसके लिए अनुदान संख्या 24—“लोक निर्माण कार्य सङ्कों एवं पुल” में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा “8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सङ्क निधि से आर्थिक सहायता” को अन्तरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अन्तर्गत प्रारम्भिक तौर पर लेखांकित किया जाता है और बाद में जमा लेखा “8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सङ्क निधि से आर्थिक सहायता” को अंतरित कर दिया जाता है। इस वर्ष के दौरान कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा कोई व्यय नहीं किया गया है।

31 मार्च 2020 को जमा लेखे में ₹ 0.14 लाख शेष था। निधि का लेखा वर्ष 2019—20 के वित्त लेखे के क्रम संख्या 21—आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संब्यवहारों का विस्तृत विवरण में दिया गया है।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 में (₹ 0.01 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 0.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 0.02 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 34,407.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 5054—03—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7976—जवाहर सेतु योजना—			
मूल	5,300.00		
पुनर्वि.	(-)5,000.00	300.00	18.83

(-)281.17

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 5,000.00 लाख की कमी नवीन योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं अन्य विभागीय कार्य की प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण भी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(2) 5054—03—337—0520—केन्द्रीय सङ्क निधि—

8716—केन्द्रीय सङ्क निधि	46,500.00	41,962.15	(-)4,537.85
--------------------------	-----------	-----------	-------------

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 5054—03—337—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)—

1826—डामरीकरण	1,000.00	3.28	(-)996.72
---------------	----------	------	-----------

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 5054—03—337—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)—

4336—राज्यों में सङ्कों का निर्माण राज्य मार्ग	5,000.00	1,444.55	(-)3,555.45
------------------------------------------------	----------	----------	-------------

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 5054—03—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8716—केन्द्रीय सङ्क निधि	4,070.00	1.19	(-)4,068.81
--------------------------	----------	------	-------------

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 5054—04—337—0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)—

7813—ई. पी. सी. (नाबाड़) के माध्यम से सङ्क निर्माण	100.00	0.00	(-)100.00
----------------------------------------------------	--------	------	-----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(7) 5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1222—मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण	16,500.00	16,041.07	(—)458.93
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(8) 5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1513—जिलों में मुख्य सड़कों का निर्माण— मूल 14,000.00 पुनर्वि. (—)100.00	13,900.00	11,859.05	(—)2,040.95
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1826—डामरीकरण	1,000.00	40.80	(—)959.20
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2457—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	20,000.00	12,335.14	(—)7,664.86
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(11) 5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7977—शहरी क्षेत्र के मार्ग— मूल 3,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (—)2,000.00	1,000.00	149.33	(—)850.67
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 2,000.00 लाख की कमी नवीन योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं अन्य विभागीय कार्य की प्रक्रिया में भी विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(12) 5054—05—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7818—ई.पी.सी. (इंजीरियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)— मूल 7,894.00 पुनर्वि. (—)2,067.00	5,827.00	444.99	(—)5,382.01
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 2,067.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 24—जारी

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
(1) 5053—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4727—हवाई पटिट्यों का निर्माण एवं विस्तार— मूल 105.00 पुनर्वि. 100.00	205.00	167.73	(—)37.27

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(2) 5054—03—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4151—वृहद पुलों का निर्माण— मूल 7,000.00 पुनर्वि. 5,000.00	12,000.00	12,010.32	+10.32
------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,000.00 लाख का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 5054—04—337—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—

6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण— मूल 5,000.00 पुनर्वि. 2,000.00	7,000.00	5,545.02	(—)1,454.98
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,000.00 लाख का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

प्रभारित—

(x) ₹ 2,859.33 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2020 में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्य पूर्ण सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(xi) ₹ 482.10 लाख की उपलब्ध बचत विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(xii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
(1) 5054—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1833—डिक्री धन का भुगतान— मूल 1.30 पूरक 39.29	40.59	0.00	(—)40.59

अनुदान संख्या 24—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 5054—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3115—भू—अर्जन हेतु मुआवजा— मूल 2,000.00 पूरक 2,820.04	4,820.04	4,378.53	(-)441.51

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों
पर पूंजीगत परिव्यय

6853—अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों
के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत— वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	34,67,160	3,83,158	(—)30,84,002 30,85,663
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	500	64	(—)436 436

पूंजीगत :

दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	37,88,342	4,57,234	(—)33,31,108 33,31,108
-----------------------------------------------------------	-----------	----------	---------------------------

टीका एवं टिप्पणियाः

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 30,840.02 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 30,856.63 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	------------------	-------------------

(1) 2853—02—001—4639—मुख्यालय

स्थापना—

मूल	1,120.00	888.00	887.74
पुनर्वि.	(—)232.00		(—)0.26

(2) 2853—02—001—4640—जिला स्थापना—

मूल	2,159.70	1,915.63	1,934.46
पुनर्वि.	(—)244.07		+18.83

(3) 2853—02—001—4643—क्षेत्रीय स्थापना—

मूल	1,361.90	994.40	992.43
पुनर्वि.	(—)367.50		(—)1.97

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 232.00 लाख, ₹ 244.07 लाख, एवं ₹ 367.50 लाख, की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2008—09 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), 2012—13 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (2) तथा 2011—12 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 25—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(4) 2853—02—797—5390—खनिज निधि में

अंतरण—

मूल	30,000.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(-)30,000.00			

₹ 30,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 4853—01—004—0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि—

7792—संचालनालय भौमिकी एवं

खनिकर्म सम्बन्धी कार्य/

क्रियाकलाप—

मूल	1,709.00	185.07	185.07	0.00
पुनर्वि.	(-)1,523.93			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,523.93 लाख की कमी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4853—01—004—0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि—

7794—परिवहन नेटवर्क (रेल मार्ग)—

मूल	31,745.40	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(-)31,745.40			

₹ 31,745.40 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिकर्य+ बचत(—)
---------------	----------------------------------	--------------------

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2205—कला एवं संस्कृति

3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

मूल	3,94,404			
पूरक	70,000	4,64,404	3,67,722	(—)96,682
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,02,185
(31 मार्च 2020)				

पूंजीगत	15,000	00	(—)15,000	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				15,000
(31 मार्च 2020)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 700.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 966.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 1,021.85 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	--------------------

(1) 2202—05—102—444—आधुनिक भारतीय भाषाओं

और साहित्य का संवर्धन—

मूल	127.28		
पुनर्वि.	(—)63.64	63.64	62.18

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 63.64 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2202—05—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)

7013—छत्तीसगढ़ी राजभाषा

आयोग—

मूल	132.33		
पुनर्वि.	(—)42.81	89.52	88.24

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 42.81 लाख की कमी अधिकारियों द्वारा दौरा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 2205—102—7929—फिल्म विकास निगम—

मूल	50.00		
पुनर्वि.	(—)50.00	0.00	0.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(4) 2205—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)			
5753—समारोह हेतु अनुदान—			
मूल	1,635.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(—)64.14	1,570.86	1,570.86
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 64.14 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2205—103—2318—निर्देशन एवं			
प्रशासन—			
मूल	408.22		
पुनर्वि.	(—)69.64	338.58	353.60
			+15.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.64 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2205—103—2685—प्रकाशन खण्ड—			
मूल	140.70		
पुनर्वि.	(—)60.82	79.88	82.45
			+2.57
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.82 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2205—103—758—कन्जरवेशन सेल—			
मूल	195.85		
पुनर्वि.	(—)52.26	143.59	143.37
			(—)0.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 52.26 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दौरा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने, मंहगाई भत्ते की वृद्धि नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2205—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
4267—शोध संगोष्ठियां—			
मूल	80.00		
पुनर्वि.	(—)54.72	25.28	27.53
			+2.25
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 54.72 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(9) 2205—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
598—उत्खनन तथा सर्वेक्षण—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(—)152.57	47.43	47.43
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 152.57 लाख की कमी डमरू, सिरपुर तथा राजिम स्थलों के उत्खनन की अनुज्ञाप्ति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2205—104—3675—राज्य पुरालेख			
संचालनालय—			
मूल	133.38		
पुनर्वि.	(—)103.31	30.07	37.63
			+7.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 103.31 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 26—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(11) 2205—107—4283—संग्रहालय—			
मूल 414.16 पुनर्वि. (-)104.21	309.95	340.37	+30.42

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.21 लाख की कमी मजदूरी का भुगतान नहीं होने, अधीनस्थ कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा यात्रा देयक प्रस्तुत न किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 3454—02—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)

6041—जिला विचारणियका पुनरीक्षण—

मूल 90.28 पुनर्वि. (-)57.83	32.45	32.45	0.00
--------------------------------	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 57.83 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने, अधिकारियों के द्वारा यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं राजपत्र का प्रकाशन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूँजीगत:

(iv) ₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4202—04—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7760—सिरपुर का सांस्कृतिक विकास—			

मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	------	------	------

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202—04—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7981—संग्रहालय भवन निर्माण—

मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	------	------	------

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा

मुख्य शीर्ष—	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	(₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
--------------	-----------------------------	------------------	--------------	-------------------

2202—सामान्य शिक्षा
 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं
 2205—कला एवं संस्कृति
 4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं
 संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	4,22,04,577			
पूरक	30,51,527	4,52,56,104	4,41,72,312	(—)10,83,792
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				14,36,883
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)		500	238	(—)262 262

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	5,65,940			
पूरक	2,200	5,68,140	3,08,104	(—)2,60,036
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,60,036

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 30,515.27 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2019 (₹ 3,387.07 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था, जबकि दिसम्बर 2019 (₹ 27,128.20 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 10,837.92 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 14,368.83 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2202—01—001—1500—जिला शिक्षा				
अधिकारी कार्यालय—				
(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—				
मूल	14,846.10			
पूरक	11.47			
पुनर्वि.	(—)4,120.32	10,737.25	10,728.01	(—)9.24

समर्पण द्वारा ₹ 3,980.54 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने तथा जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 139.78 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,120.32 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 2202-01-001-3930—खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय की स्थापना (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 4,167.30 पूरक 5.80 पुनर्वि. (-)239.77 3,933.33 3,932.01 (-)1.32			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 239.77 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (3) 2202-01-101-0101—राज्य योजना (सामान्य)—

3491—माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 93,243.24 पूरक 1,059.52 पुनर्वि. (-)2,518.67 91,784.09 91,744.63 (-)39.46

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,518.67 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (4) 2202-01-101-0101—राज्य योजना (सामान्य)—

4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 1,03,678.03 पूरक 1,384.11 पुनर्वि. (-)442.13 1,04,620.01 1,04,617.11 (-)2.90

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 442.13 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने एवं देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

- (5) 2202-01-101-0101—राज्य योजना (सामान्य)—

8659—अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति— पूरक 1,172.00 पुनर्वि. (-)36.13 1,135.87 523.13 (-)612.74

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 36.13 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

- (6) 2202-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

110—अशासकीय विद्यालयों हेतु अनुदान— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 2,700.00 पूरक 327.74 पुनर्वि. (-)81.48 2,946.26 2,941.92 (-)4.35

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 81.48 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2008-09 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	------------------	-------------	-------------------

(7) 2202—01—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6956—प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा—

मूल 82.00

पुनर्वि. (—)53.45

28.55

28.55

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 53.45 लाख की कमी प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किए जाने एवं दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(8) 2202—01—107—3024—बुनियादी प्रशिक्षण

संस्थाएं—(मूलभूत न्यूनतम

सेवाओं के लिए)—

मूल 288.20

पुनर्वि. (—)64.76

223.44

223.23

(-)0.21

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 64.76 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं दावे कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(9) 2202—01—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5708—योग प्रशिक्षण—

मूल 60.00

पुनर्वि. (—)50.09

9.91

9.91

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.09 लाख की कमी प्रशिक्षण का कम संचालन के कारण उल्लिखित की गई है।

(10) 2202—01—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8647—विज्ञान एवं गणित

शिक्षा का विस्तार—

मूल 300.00

पुनर्वि. (—)53.40

246.60

246.60

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 53.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2202—01—108—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5904—पाठ्य पुस्तकों का

निःशुल्क प्रदाय—

मूल 1,313.00

पूरक 1,738.30

पुनर्वि. (—)671.39

2,379.91

2,379.91

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 671.39 लाख की कमी पाठ्य पुस्तक निगम से देयक विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2202—01—109—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1394—छात्राओं का गणवेश—

(मूलभूत न्यूनतम

सेवाओं के लिए)—

मूल 1,067.00

पुनर्वि. (—)60.22

1,006.78

1,006.78

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.22 लाख की कमी दाखिल विद्यार्थीयों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(13) 2202-01-112-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 2,405.00 पूरक 1,454.79 पुनर्वि. (-)318.26 3,541.53 3,551.70 +10.17			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 318.26 लाख की कमी मानदेय में वृद्धि नहीं होने, जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने, भारत सरकार से प्राप्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने एवं लाभार्थियों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2008-09 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(14) 2202-01-112-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 1,935.00 पूरक. 376.33 पुनर्वि. (-)103.67 2,207.66 2,207.15 (-)0.51			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 103.67 लाख की कमी मानदेय दर में वृद्धि नहीं होने, जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने, भारत सरकार से प्राप्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने एवं लाभार्थियों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(15) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 8,312.50 पुनर्वि. (-)838.53 7,473.97 7,473.97 0.00			
(16) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 6,688.75 पुनर्वि. (-)1,160.97 5,527.78 5,527.78 0.00			
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 838.53 लाख एवं ₹ 1,160.97 लाख की कमी मानदेय दर में वृद्धि नहीं होने, छात्राओं की उपस्थिति एवं लाभार्थियों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(17) 2202-01-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7765—मुख्यमंत्री अमृत योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)51.27 248.73 248.73 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 51.27 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(18) 2202-02-105-4402—शासकीय शैक्षणिक महाविद्यालय— मूल 907.40 पुनर्वि. (-)210.74 696.66 695.45 (-)1.21			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 210.74 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं दावे कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(19) 2202—02—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3694—राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एस. सी. ई. आर. टी.) का पुनर्गठन— मूल 712.20 पुनर्वि. (—)240.07 472.13 474.92 +2.79 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 240.07 लाख की कमी दावे कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2202—02—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5569—सीमेट का गठन— मूल 256.40 पुनर्वि. (—)104.40 152.00 151.40 (—)0.60			
(21) 2202—02—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 67—अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई संस्थान— मूल 108.30 पुनर्वि. (—)80.90 27.40 27.24 (—)0.16 उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 104.40 लाख एवं ₹ 80.90 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं दावे कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(22) 2202—02—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6744—एजूसेट कार्यक्रम— मूल 97.00 पुनर्वि. (—)55.95 41.05 41.04 (—)0.01 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 55.95 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं दावे कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(23) 2202—04—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6943—राज्य साक्षरता कार्यक्रम— मूल 508.00 पुनर्वि. (—)299.60 208.40 208.40 0.00 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 299.60 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2202—80—001—3858—लोक शिक्षण संचालनालय— मूल 989.40 पुनर्वि. (—)94.33 895.07 895.40 +0.33 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.33 लाख की कमी देयक प्राप्त नहीं होने, राज्योत्सव पर कम व्यय होने एवं न्यायालय के अनुसार विलम्ब से भुगतान नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2202—80—001—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5526—मदरसा बोर्ड का गठन— मूल 512.40 पुनर्वि. (—)302.73 209.67 252.47 +42.80			

अनुदान संख्या 27-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 302.73 लाख की कमी केन्द्र क्षेत्रीय योजना से केन्द्र प्रवर्तित योजना में स्थानांतरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(26) 2202-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7840-विभागीय कार्यालय-			
मूल	844.40		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)371.52	472.88	471.05
			(-)1.82

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 371.52 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं संभागीय कार्यालय से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(27) 2204-101-3464-महिलाओं के लिए

शारीरिक शिक्षा-				
मूल	129.10			
पुनर्वि.	(-)65.35	63.75	64.04	+0.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 65.35 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(28) 2204-102-3755-राष्ट्रीय

सैन्य दल-				
मूल	2,627.00			
पुनर्वि.	(-)977.90	1,649.10	1,635.44	(-)13.66

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 977.90 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013-14 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(29) 2204-104-1084-खेलकूद एवं

गतिविधियों पर व्यय-				
मूल	1,000.00			
पुनर्वि.	(-)90.68	909.32	909.32	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.68 लाख की कमी वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेन्ट निरस्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(30) 2205-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

4395-सरकारी पुस्तकालय-				
मूल	350.05			
पुनर्वि.	(-)127.93	222.12	221.98	(-)0.14

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 127.93 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
8659-अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति-			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)88.53	2,911.47	3,526.10
			+614.63

अनुदान संख्या 27—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 88.53 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202—02—109—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—			
मूल	85,695.00		
पूरक.	1,162.01		
पुनर्वि.	(-)243.28	86,613.73	90,204.19
			+3,590.46

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 243.28 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने एवं जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 18.00 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 4.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 22.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202—01—201—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3491—माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			
मूल	300.00		
पूरक	2.00		
पुनर्वि.	(-)80.63	221.37	221.37
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 80.63 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202—01—201—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7657—विज्ञान केन्द्र

की स्थापना—

मूल	200.00			
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4202—01—202—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7979—समग्र शिक्षा

मूल	100.00			
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(4) 4202—01—202—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5646—सैनिक स्कूलों

की स्थापना—

मूल	1,900.00			
पुनर्वि.	(-)1,900.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 27—समाप्त

₹ 1,900.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(5) 4202—01—202—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—

मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)87.23	62.77	62.77

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 87.23 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 4202—01—202—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9005—इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण

कार्य एवं मरम्मत—

मूल	660.00		
पुनर्वि.	(-)180.00	480.00	480.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.00 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—**2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल****राजस्व :**

दत्तमत—

मूल	6,84,161			
पूरक	7,900	6,92,061	4,54,296	(—)2,37,765
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				44,904
(31 मार्च 2020)				

प्रभारित		8,200	2,230	(—)5,970
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2029 (₹ 55.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 24.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 79.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 2,377.65 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 449.04 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 2011—02—101—4007—विधान सभा—

मूल	3,975.21			
पूरक	79.00	4,054.21	2,828.26	(—)1,225.95

(2) 2011—02—103—4009—विधान सभा

सचिवालय		2,232.10	1,593.52	(—)638.58
---------	--	----------	----------	-----------

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2004—05 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2006—07 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2011—02—103—4312—संसदीय कार्य विभाग—

मूल	534.30			
पुनर्वि.	(—)449.04	85.26	98.21	+12.95

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 449.04 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने एवं कोविड—19 के प्रशिक्षण के अभाव के कारण निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2011—02—103—6582—भारतीय संसदीय

संघ को सहायक अनुदान	100.00	22.97	(—)77.03
---------------------	--------	-------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011—12 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 28—समाप्त

प्रभारित—

(iv) ₹ 59.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
2011—02—101—125—अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष	82.00	22.30	(—)59.70

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2004—05 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 29—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 222.12 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अवकाश यात्रा का उपयोग नहीं किए जाने, फर्नीचर के क्रय की प्रक्रिया नहीं किए जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार व्यय किए जाने एवं लॉकडाउन के कारण कोषालय से देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013–14 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2014–105–2410—निर्वाह पत्र

तामिल स्थापना—

मूल	1,909.90			
पुनर्वि.	(-)331.96	1,577.94	1,573.91	(-)4.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 331.96 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, नारायणपुर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना नहीं किए जाने, चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने, यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं अधिकारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006–07 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2014–105–4497—सामान्य

स्थापना—

मूल	20,813.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(-)3,653.84	17,159.16	17,232.29	+73.13

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,653.84 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, लॉकडाउन के कारण कोषालय में फर्नीचर के देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं न्यायाधिक अधिकारियों को गणवेश पात्रता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2005–06 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2014–105–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)

6356—फास्ट ट्रैक र्पेशल

कोर्ट और पाक्सो—

पूरक	1,000.00			
पुनर्वि.	(-)925.61	74.39	17.39	(-)57.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 925.61 लाख की कमी वर्ष के अंत में निधि प्राप्त होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने, सरकारी वाहनों की उपलब्धता नहीं होने एवं इस वित्तीय वर्ष में पीठासीन अधिकारी के पात्र नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(5) 2014–105–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7798—कॉमर्शियल कोर्ट—

मूल	187.10			
पुनर्वि.	(-)99.86	87.24	90.06	+2.82

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 99.86 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2014–108–1912—अपराधिक

न्यायालय—

मूल	73.00			
पुनर्वि.	(-)69.69	3.31	3.31	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.69 लाख की कमी जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2014–114–3428—महाधिवक्ता—

मूल	1,148.10			
पूरक	5.78			
पुनर्वि.	(-)178.79	975.09	1,064.63	+89.54

अनुदान संख्या 29—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 178.79 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, चिकित्सा दावे प्राप्त नहीं होने, आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं निधि की कम आवश्यकता के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
(₹ लाख में)			

(8) 2014–114–3572—मुफस्सिल

स्थापना—

मूल	1,001.80		
पुनर्वि.	(–)230.00	771.80	771.57

(–)0.23

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 230.00 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं प्राप्त देयकों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005–06 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(9) 2014–117–5416—परिवार न्यायालय

की स्थापना—

मूल	3,431.40		
पुनर्वि.	(–)1,754.59	1,676.81	1,676.79

(–)0.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,754.59 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने, लॉकडाउन के कारण कोषालयों में देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने, सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत कम्प्यूटराइजेशन किए जाने एवं अनुरक्षण की आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2014–118–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7256—न्यायालयों का

कम्प्यूटरीकरण—

मूल	824.00		
पुनर्वि.	(–)237.46	586.54	586.54

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 237.46 लाख की कमी लॉकडाउन के कारण कोषालयों में देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2014–800–2918—बार एसोसिएशन के

पुस्तकालयों के लिए

आर्थिक सहायता—

मूल	150.00		
पुनर्वि.	(–)117.32	32.68	32.37

(–)0.31

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 117.32 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013–14 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(12) 2014–800–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5464—हिंदायतुल्लाह राष्ट्रीय

विधि विश्वविद्यालय—

मूल	600.00		
पुनर्वि.	(–)80.00	520.00	520.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 80.00 लाख की कमी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं होने से भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(13) 2015–102–2409—निर्वाचन

आधिकारी—

मूल	2,042.70		
पुनर्वि.	(-)355.06	1,687.64	1,683.76

(-)3.88

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 355.06 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009–10 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(14) 2015–103–3307—मतदाता सूचियों की

छपाई एवं तैयारी—

मूल	3,901.00		
पुनर्वि.	(-)413.27	3,487.73	3,487.73

0.00

समर्पण द्वारा ₹ 363.27 लाख की कमी वेंडर से मतदाता सूची की छपाई के देयक प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 413.27 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2015–105–4311—संसद के लिए चुनाव

कराने के प्रभार—

मूल	17,160.00		
पुनर्वि.	(-)2,514.67	14,645.33	14,643.52

(-)1.81

समर्पण द्वारा ₹ 264.67 लाख की कमी नियोक्ता से लोक सभा चुनाव 2019 से संबंधित व्यय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,250.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,514.67 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2052–090–9057—विधि एवं

विधायी कार्य—

मूल	899.40		
पुनर्वि.	(-)136.15	763.25	768.82

+5.57

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 136.15 लाख की कमी प्रशिक्षण का आयोजन नहीं होने, सम्मेलन आयोजित नहीं किए जाने एवं पुरस्कारों की घोषणा नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2009–10 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(17) 2235–60–200–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3255—विधिक सहायता तथा

विधिक सलाह बोर्ड को

सहायक अनुदान—

मूल	2,240.60		
पुनर्वि.	(-)962.96	1,277.64	1,295.69

+18.05

समर्पण द्वारा ₹ 962.96 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं होने, देयक प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया में विलम्ब होने से निधि का उपयोग नहीं किए जाने एवं कोविड-19 के कारण फिल्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2009–10 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 29—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
अनुदान		व्यय	
		(₹ लाख में)	

2015—106—4006—राज्य विधान मण्डल

के निर्वाचन के प्रभार—

मूल	1,110.50		
पूरक	500.00		
पुनर्वि.	2,219.01	3,829.51	3,821.63

(—)7.88

समर्पण द्वारा ₹ 30.99 लाख की कमी विधान सभा चुनाव 2019 के व्यय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,250.00 लाख की वृद्धि निधि की आवश्यकता होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,219.01 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

प्रभारित—

(v) ₹ 2,053.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 2,094.31 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
	विनियोग	व्यय	
		(₹ लाख में)	

(1) 2014—102—573—उच्च

न्यायालय—

मूल	8,128.60		
पुनर्वि.	(—)2,037.46	6,091.14	6,132.10

+40.96

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 2,037.46 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, उच्च न्यायालय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने एवं बिजली एवं पानी की कम खपत होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2005—06 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2052—091—9056—माध्यस्थम

अधिकरण—

मूल	228.60		
पुनर्वि.	(—)56.85	171.75	171.54

(-)0.21

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 56.85 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अधिकारियों को सरकारी आवास का आबंटन किए जाने, दावे प्राप्त नहीं होने, अधिकारियों द्वारा यात्रा एवं स्थानांतरण नहीं किए जाने, खरीद के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, प्रशिक्षण का आयोजन नहीं होने, सम्मेलन आयोजित नहीं किए जाने एवं रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भवन का अनुरक्षण कार्य नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(vii) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 14.69 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(viii) ₹ 942.92 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 872.66 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 29—समाप्त

(ix) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान		व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(1) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2450—न्याय प्रशासन— मूल 500.00 पुनर्वि. (—)95.74	404.26	404.26	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 95.74 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(2) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5421—छत्तीसगढ़ राज्य

न्यायिक अकादमी—

मूल	500.00
पुनर्वि.	(—)430.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 430.00 लाख की कमी प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार निधि का आवंटन किए जाने के

कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(3) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5464—हिंदायतुल्लाह राष्ट्रीय

विधि विश्वविद्यालय—

मूल	300.00			
पुनर्वि.	(—)300.00	0.00	0.00	0.00

₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(x) ₹ 74.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 74.33 लाख अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(xi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
विनियोग		व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
4070—800—573—उच्च न्यायालय— मूल 74.00 पुनर्वि. (—)74.00	0.00	0.00	0.00

₹ 74.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अनुपयोगी वाहनों के प्रतिस्थापन प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2215—जल पूर्ति तथा सफाई

2216—आवास

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

2505—ग्राम रोजगार

2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

3054—सड़कें तथा सेतु

4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

5054—सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल 2,69,69,688

पूरक 25,01,134

2,94,70,822

1,90,61,060

(—)1,04,09,762

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2020)

1,03,87,911

प्रभारित—

200

00

(—)200

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2020)

00

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल 85,36,600

पूरक 12,80,700

98,17,300

82,51,729

(—)15,65,571

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2020)

12,92,409

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 14,000.01 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 11,011.33 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 25,011.34 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,04,097.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 1,03,879.11 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रवलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2215—02—107—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7610—स्वच्छ भारत

अभियान—

मूल 22,500.00

पुनर्वि. (—)7,228.13

15,271.87

15,271.87

0.00

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2216—03—105—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
7807—प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)—			
मूल 89,400.00 पुनर्वि. (-)58,842.81	30,557.19	30,557.19	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 7,228.13 लाख एवं ₹ 58,842.81 लाख की कमी राज्यांश के अनुरूप केन्द्रांश आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2016—17 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(3) 2235—60—196—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7974—अभिसारी आम आदमी बीमा योजना—			
मूल 215.00 पुनर्वि. (-)215.00	0.00	0.00	0.00
(4) 2235—60—196—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7975—अभिसारीत प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना—			
मूल 1,095.00 पुनर्वि. (-)1,095.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 215.00 लाख एवं ₹ 1,095.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान एल.आई.सी. बीमा प्रीमियम नवीनीकरण के लिए कम मांग प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(5) 2505—60—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	272.55	120.36	(-)152.19
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011—12 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत हुई है।			
(6) 2505—60—196—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—			
मूल 76,892.82 पुनर्वि. (-)27,843.78	49,049.04	49,049.04	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 27,843.78 लाख की कमी राज्यांश के अनुरूप केन्द्रांश आहरण किए जाने के कारण एवं जिला पंचायतों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2515—003—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
5063—ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान	557.14	334.69	(-)222.45
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2515—101—2467—पंचायत संचालनालय—			
मूल 155.20 पुनर्वि. (-)111.84	43.36	43.60	+0.24

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(9) 2515—101—2474—पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार—	मूल 14,587.80 पुनर्वि. (−)6,094.14	8,493.66	8,481.72 (-)11.94
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------------------

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 111.84 लाख एवं ₹ 6,094.14 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, प्राप्त यात्रा दावे के अनुसार व्यय किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2012—13 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2515—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7687—मुख्य मंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना— पूरक 1,210.70 पुनर्वि. (−)386.66	824.04	824.04	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 386.66 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2515—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7475—मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क	एवं विकास योजना— मूल 1,803.32 पुनर्वि. (−)133.56	1,669.76	1,276.10 (-)393.66
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	-----------------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 133.56 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2515—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7644—ग्रामीण सङ्क सम्पर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र— मूल 289.92 पुनर्वि. (−)89.53	200.39	194.04	(−)6.35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 89.53 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2515—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7645—ग्रामीण सङ्क नेटवर्क प्रबंधन इकाई— मूल 524.44 पुनर्वि. (−)134.34	390.10	141.15	(−)248.95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 106.83 लाख की कमी मांग कम प्राप्त होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 27.51 लाख की अन्य कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 134.34 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 3054—04—105—4855—प्रधान मंत्री ग्राम सङ्क योजना—			
मूल	26,000.00		
पूरक	14,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,475.00	38,525.00	38,592.18
			+67.18

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,475.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2515—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1208—ग्रामीण यांत्रिकी सेवा—			

मूल 5,302.21
पुनर्वि. (-)77.16 5,225.05 5,554.87 +329.82
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 77.16 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2515—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4855—प्रधान मंत्री ग्राम सङ्क योजना—			
मूल 4,573.60 पुनर्वि. (-)3.37 4,570.23 4,926.24 +356.01			

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 106.83 लाख की वृद्धि निधि की अधिक मांग प्राप्त होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 110.20 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3.37 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) वर्ष के दौरान सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं किया गया। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

पूंजीगतः

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 12,807.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 15,655.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 12,924.09 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 30—जारी

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4515—102—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7644—ग्रामीण सड़क सम्पर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
(2) 4515—102—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7645—ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई— मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)1,900.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 300.00 लाख एवं ₹ 1,900.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कम कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4515—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7759—श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन— मूल 5,500.00 पुनर्वि. (-)3,700.00	1,800.00	1,800.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,700.00 लाख की कमी राज्यांश के अनुरूप केन्द्रांश आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4515—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 5054—04—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4871—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 2,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निविदा राशि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 5054—04—337—0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)—

7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना— मूल 8,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 891.15	7,108.85	5,021.37	(-)2,087.48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------------

अनुदान संख्या 30—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 5054—04—337—0311—नाबाड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना— मूल 2,600.00 पुनर्वि. (-)66.94	2,533.06	1,903.93	(-)629.13
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 891.15 लाख एवं ₹ 66.94 लाख के कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

(8) 5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4855—प्रधानमंत्री ग्राम सङ्कर योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)3,000.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 3,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निविदा प्रीमियम राशि से व्यय नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 31—योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं

3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

राजस्व :

दत्तमत	4,22,580	2,94,549	(-)1,28,031
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			1,27,998

प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	40	00	(-)40 40
-------------------------------------------------------------	----	----	-------------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,280.31 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 1,279.98 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 3451—101—3686—राज्य योजना आयोग—

मूल	537.50		
पुनर्वि.	(-)212.34	325.16	375.47

+50.31

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 212.34 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2009—10 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 3451—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7639—राज्य योजना का सुदृढ़ीकरण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान—	192.00		
मूल	192.00		
पुनर्वि.	(-)129.55	62.45	12.45

(-)50.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 129.55 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 3454—02—111—1430—जन्म मृत्यु सम्बन्धी

आंकड़ों का संकलन—	392.70		
मूल	392.70		
पुनर्वि.	(-)158.66	234.04	235.80

+1.76

(4) 3454—02—201—512—नमूना सर्वेक्षण—

मूल	204.40		
पुनर्वि.	(-)65.15	139.25	139.02

(-)0.23

अनुदान संख्या 31—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 3454—02—205—8048—आर्थिक एवं साँख्यिकी संचालनालय—			
मूल	2,847.90		
पुनर्वि.	(-)675.04	2,172.86	2,170.97
			(-)1.89

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 158.66 लाख, ₹ 65.15 लाख एवं ₹ 675.04 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3), (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया। 2013—14 से 2018—19 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 32—जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2015—निर्वाचन

2029—भू—राजस्व

2039—राज्य उत्पाद शुल्क

2040—बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

2051—लोक सेवा आयोग

2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं

2053—जिला प्रशासन

2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन

2055—पुलिस

2056—जेल

2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2075—विविध सामान्य सेवाएं

2202—सामान्य शिक्षा

2203—तकनीकी शिक्षा

2204—खेल और युवा सेवाएं

2205—कला एवं संस्कृति

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2215—जलपूर्ति तथा सफाई

2217—शहरी विकास

2220—सूचना तथा प्रचार

2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,

अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक का कल्याण

2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं

2401—फसल कृषि—कर्म

2403—पशुपालन

2405—मछली पालन

2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी

2425—सहकारिता

2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

2701—मध्यम सिंचाई

2702—लघु सिंचाई

2851—ग्राम तथा लघु उद्योग

2852—उद्योग

2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग

3054—सड़क तथा सेतु

3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

4220—सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 32—जारी

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	18,67,795			
पूरक	6,10,350	24,78,145	23,34,390	(—)1,43,755
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,46,009

प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	10	00	(—)10 10
-------------------------------------------------------------	----	----	-------------

पूंजीगत :

दत्तमत	500	476	(—)24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			24

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 23,343.90 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2019 (₹ 2,000.00 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 2,103.50 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2020 में (₹ 2,000.00 लाख) प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्य पूर्ण सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,437.55 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 1,460.09 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2220—01—001—2320—निर्देशन और

प्रशासन—

मूल	6,869.80		
पूरक	2,185.00		
पुनर्वि.	(—)651.53	8,403.27	8,389.74

(-)13.53

(2) 2220—60—106—1479—जिला प्रचार एवं

मोबाइल यूनिट

की स्थापना—

मूल	4,467.25		
पूरक	915.00		
पुनर्वि.	(—)442.71	4,939.54	4,975.18

(-)35.64

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 651.53 लाख एवं ₹ 442.71 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2008—09 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2220—60—106—4065—विशेष अवसरों

पर प्रचार—

मूल	200.00		
पुनर्वि.	(—)65.54	134.46	134.46

0.00

अनुदान संख्या 32—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 2235—02—800—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल 90.00 पुनर्वि. (—)49.32	40.68	40.68	0.00
(5) 3054—80—001—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल 400.00 पुनर्वि. (—)73.47	326.53	326.53	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 65.54 लाख, ₹ 49.32 लाख एवं ₹ 73.47 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	(₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
-----------------------------	------------------	--------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यक के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	3,99,63,954			
पूरक	7,68,172	4,07,32,126	4,13,34,444	+6,02,318
वर्ष के दौरान अभ्यर्थित राशि (31 मार्च 2020)				8,45,901

प्रभारित	3,200	3,200	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्थित राशि			00

पूंजीगत:

दत्तमत—	3,300	00	(-)3,300
वर्ष के दौरान अभ्यर्थित राशि (31 मार्च 2020)			3,300

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) अनुदान से हुए ₹ 60,23,18,378 के अधिक व्यय का नियमितिकरण आवश्यक है।

(ii) ₹ 4,13,344.44 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2019 (₹ 2,534.81 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 5,146.91 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 7,681.72 लाख का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ। यह कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) ₹ 6,023.18 लाख के अंतिम आधिक्य के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 8,459.01 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(-)
	अनुदान	व्यय	

(1) 2202—01—001—2721—प्रशासन का

सुदृढ़ीकरण विकास खण्ड

स्तर—

मूल	4,080.50		
पूरक	20.36		
पुनर्वि.	(-)211.53	3,889.33	3,887.48

(2) 2202—02—109—3492—माध्यमिक विद्यालय—

मूल	1,51,610.00		
पूरक	2,817.52		
पुनर्वि.	(-)1,027.84	1,53,399.68	1,52,597.24

(--)802.44

अनुदान संख्या 33—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 211.53 लाख एवं ₹ 1,027.84 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ उपरोक्त क्रम संख्या (2) के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2013–14 से 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (1) के दौरान निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(–)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(3) 2202–02–109–363—आदर्श उच्चतर

माध्यमिक विद्यालय—

मूल	1,525.60		
पूरक	5.59		
पुनर्वि.	(-)355.30	1,175.89	1,172.99

(-)2.90

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 355.30 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 252.11 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 103.19 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013–14 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2202–02–109–583—उच्चतर माध्यमिक

शालाएं—

मूल	77,058.90		
पूरक	1,750.49		
पुनर्वि.	(-)2,188.03	76,621.36	76,585.45

(-)35.91

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,188.03 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202–02–109–761—कन्या शिक्षा

परिसर—

मूल	975.00		
पुनर्वि.	(-)190.65	784.35	782.46

(-)1.89

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 190.65 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 12.40 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 178.25 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(6) 2202–02–109–979—क्रीड़ा परिसर—

मूल	1,596.70		
पुनर्वि.	(-)414.48	1,182.22	1,179.59

(-)2.63

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 414.48 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2202–02–110–307—अशासकीय संस्थाओं

को अंशादान—

मूल	4,399.00		
पूरक	517.92		
पुनर्वि.	(-)49.90	4,867.02	4,869.02

+2.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 49.90 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2225–02–001–1483—जिला प्रशासन—

मूल	6,529.50		
पुनर्वि.	(-)1,534.57	4,994.93	4,995.49

+0.56

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,534.57 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(9) 2225—02—001—3728—आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास—			
मूल	1,375.70		
पुनर्वि.	(-)778.99	596.71	600.99
			+4.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 778.99 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2225—02—001—6130—संचालनालय—			
मूल	1,940.60		
पुनर्वि.	(-)588.99	1,351.61	1,354.92
			+3.31
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,000 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 584.99 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 588.99 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। ₹ 584.99 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ₹ 4,00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2515—101—5495—मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का वेतन—			
मूल	2,488.50		
पुनर्वि.	(-)132.06	2,356.44	2,362.25
			+5.81
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 132.06 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 2202—01—101—2772—प्राथमिक शालाएं—			
मूल	1,43,102.70		
पूरक	2,569.84		
पुनर्वि.	(-)383.31	1,45,289.23	1,59,433.01
			+14,143.78
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 383.31 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(2) 2202—01—101—495—आश्रम और शालाएं—			
मूल	2,404.20		
पुनर्वि.	(-)483.57	1,920.63	3,023.27
			+1,102.64
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 483.57 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

अनुदान संख्या 33—समाप्त

पूंजीगत:

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 4225—02—102—3728—आदिवासी संस्कृति का

संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण
एवं विकास—

मूल	6.00			
पुनर्वि.	(-)6.00	0.00	0.00	0.00

₹ 6.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(2) 4225—02—102—5705—सामुदायिक भवन

का निर्माण—

मूल	15.00			
पुनर्वि.	(-)15.00	0.00	0.00	0.00

₹ 15.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(3) 4225—02—102—6130—संचालनालय—

मूल	12.00			
पुनर्वि.	(-)12.00	0.00	0.00	0.00

₹ 12.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 34—समाज कल्याण

कूल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत	9,92,929	7,43,094	(—)2,49,835
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,43,640
(31 मार्च 2020)			
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	40	00	(—)40 40
(31 मार्च 2020)			

पूँजीगत:

दत्तमत	1,000	684	(—)316
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			316
(31 मार्च 2020)			

टीका एवं टिप्पणी:

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 2,498.35 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 2,436.40 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कूल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(1) 2235—02—001—2322—निर्देशन और

प्रशासन—

मूल	2,292.10		
पूरक	1,000.00		
पुनर्वि.	(—)850.73	2,441.37	2,439.80

(—)1.57

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 850.73 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2235—02—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2969—बिलासपुर में जिला पुनर्वास

केन्द्र की स्थापना—

मूल	225.33		
पुनर्वि.	(—)70.05	155.28	154.47

(—)0.81

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70.05 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 34—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(3) 2235—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8159—अपंग कल्याण योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु मुख्यालय में अतिरिक्त अमला—

मूल	101.90
पुनर्वि.	(-)76.20

25.70	25.73	+0.03
-------	-------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 76.20 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(4) 2235—02—101—79—दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ

शालाएं तथा संस्थाएं—

मूल	1,589.09
पुनर्वि.	(-)444.68

1,144.41	1,139.79	(-)4.62
----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 444.68 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012—13 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2235—02—101—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

7491—निःशक्त जनों को बाधा रहित

सुविधाओं का विकास—

मूल	150.00
पुनर्वि.	(-)150.00

0.00	0.00	0.00
------	------	------

₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2235—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7738—निःशक्तो जनों का सर्वेक्षण एवं

आनलाईन पंजीयन—

मूल	200.00
पुनर्वि.	(-)200.00

0.00	0.00	0.00
------	------	------

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(7) 2235—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8664—फिजिकल रिफरेल

रिहबलीटेशन सेंटर की

माना में स्थापना—

मूल	137.55
पुनर्वि.	(-)65.38

72.17	72.08	(-)0.09
-------	-------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 65.38 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2235—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8990—निःशक्तता स्वाभिमान

एवं संबल योजना—

मूल	120.00
पुनर्वि.	(-)53.18

66.82	66.82	0.00
-------	-------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 53.18 लाख की कमी आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 34—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(9) 2235—02—104—8980—घरौंदा योजना—

मूल	250.00		
पुनर्वि.	(—)45.00	205.00	185.17

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 45.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2235—02—106—2517—परीवीक्षा

इकाई—			
मूल	287.13		
पुनर्वि.	(—)108.47	178.66	178.43

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 108.47 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2235—02—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5490—राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम निःशक्तजन—			
मूल	211.20		
पुनर्वि.	(—)56.81	154.39	154.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14.50 लाख की कमी आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 42.31 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 56.81 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2235—02—200—795—कला पथक—

मूल	348.70		
पुनर्वि.	(—)56.14	292.56	290.77

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 56.14 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
2235—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
3921—निःशक्तजनों की सहायता के लिये योजना—			
मूल	545.00		
पुनर्वि.	89.67	634.67	621.55
			(—)13.12
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 122.25 लाख की वृद्धि मान्यता प्राप्त स्वायत्त संस्थान के लिए लंबित दायित्वों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 32.58 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 89.67 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
प्रभारित—			
(iv) ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 35—पुर्नवास

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

राजस्व वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	23,584	14,011	(—)9,573 9,567
-----------------------------------------------------------	--------	--------	-------------------

टीका एवं टिप्पणियाः

राजस्व :

(i) ₹ 95.73 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 95.67 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2235—01—001—2709—प्रधान कार्यालय के कर्मचारी

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए (नये)—			
मूल	36.50		
पुनर्वि.	(—)16.98	19.52	19.49

समर्पण द्वारा प्रावधन से ₹ 16.98 लाख की कमी कर्मचारियों के सेवानिवृत होने एवं विस्थापित परिवार को स्थाई रूप से बसाने के कारण सूचित किए गए हैं।

(2) 2235—01—200—3135—भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से

आये नव अप्रवासियों के पुर्नस्थापन—			
मूल	19.30		
पुनर्वि.	(—)11.25	8.05	8.05

(3) 2235—01—200—4625—स्थायी दायित्व गृह

माना, जिला रायपुर			
का संचालन—			
मूल	180.04		
पुनर्वि.	(—)67.44	112.60	112.57

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधन में ₹ 11.25 लाख एवं ₹ 67.44 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2003—04 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2013—मंत्री परिषद

2041—वाहन कर

2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

5055—सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—	6,93,726	4,53,120
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		(—)2,40,606
(31 मार्च 2020)		2,25,091

प्रभारित	2,050	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		(—)2,050
(31 मार्च 2020)		50

पूँजीगत:

दत्तमत—	37,000	62,800
मूल		
पूरक	25,800	60,030
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		(—)2,770
(31 मार्च 2020)		1,457

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व:**

दत्तमत—

(i) ₹ 2,406.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 2,250.91 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय
		(₹ लाख में)

(1) 2041—001—3565—मुख्यालय

स्थापना—

मूल	1,015.80	428.35
पुनर्वि.	(—)587.45	429.35
		+1.00

(2) 2041—001—8333—सड़क सुरक्षा

कोष से व्यय—

मूल	196.00	47.44
पुनर्वि.	(—)148.56	45.88
		(—)1.56

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 587.45 लाख एवं ₹ 148.56 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013—14 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (1) एवं 2014—15 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(3) 2041—101—4280—संग्रह प्रभार

मूल	2,656.70	1,588.64
पुनर्वि.	(—)1,068.06	1,586.23
		(—)2.41

शीर्ष	अनुदान संख्या 36—समाप्त			आधिक्य+ बचत(—)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	
(4) 2041—102—679—एन्फोर्समेंट—				
मूल	1,210.05			
पुनर्वि.	(-)394.42	815.63	814.87	(-)0.76

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,068.06 लाख एवं ₹ 394.42 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007—08 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2070—114—3598—मोटर गैरेज	1,179.91	1,035.57	(-)144.34
------------------------------	----------	----------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011—12 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iii) ₹ 20.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 0.50 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iv) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
2070—114—3598—मोटर गैरेज	20.00	0.00	(-)20.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011—12 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूंजीगत—

दतमत—

(v) ₹ 27.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 14.57 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 5055—800—3598—मोटर गैरेज—			
मूल	300.00		
पूरक	258.00	558.00	544.87
			(-)13.13

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011—12 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 5055—800—4280—संग्रह प्रभार—

मूल	30.00			
पुनर्वि.	(-)5.30	24.70	24.70	0.00

(3) 5055—800—679—एन्फोर्समेंट—

मूल	30.00			
पुनर्वि.	(-)5.24	24.76	24.76	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 5.30 लाख एवं ₹ 5.24 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 37—पर्यटन

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)आधिक्य+
बचत(-)**मुख्य शीर्ष—****3452—पर्यटन****5452—पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय**

राजस्व	2,63,000	2,19,900	(-)43,100
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			43,100

पूँजीगत	3,27,000	1,36,800	(-)1,90,200
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			1,90,200

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व:****(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—**

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(-)

(1) 3452—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3239—छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विकास मंडल को अनुदान— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)400.00	2,100.00	2,100.00	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

(2) 3452—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7323—भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान— मूल 130.00 पुनर्वि. (-)31.00	99.00	99.00	0.00
-------------------------------------------------------------------------	-------	-------	------

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 400.00 लाख एवं ₹ 31.00 लाख की कमी मांग होने पर भी वित्त विभाग से निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगतः**(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुईः—**

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(-)

5452—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7771—पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों हेतु अनुदान— मूल 3,170.00 पुनर्वि. (-)1,902.00	1,268.00	1,268.00	0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,902.00 लाख की कमी मांग होने पर भी वित्त विभाग से निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार

3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

4408—खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय

6408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	2,73,83,130			
पूरक	18,33,050	2,92,16,180	2,82,11,227	(—)10,04,953
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10,08,915
(31 मार्च 2020)				

प्रभारित	50	00	(—)50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00

पूँजीगत:

दत्तमत	71,460	57,847	(—)13,613
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			13,613
(31 मार्च 2020)			

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 18,330.50 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2019 (₹ 8,033.50 लाख) अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2020 (₹ 10,297.00 लाख) लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 10,049.53 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 10,089.15 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2408—01—001—1471—जिला कार्यालय—

मूल	2,601.30		
पूरक	496.00		
पुनर्वि.	(—)327.61	2,769.69	2,763.94

(—)5.75

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 327.61 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता नहीं होने एवं अधिकारियों द्वारा चिकित्सा अग्रिम का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2408—01—001—629—उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ—

मूल	1,496.90		
पुनर्वि.	(—)414.31	1,082.59	1,074.00

(—)8.59

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 414.31 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्यी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013—14 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 39—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2408—01—001—7810—छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग—				
मूल	116.00			
पुनर्वि.	(—)63.27	52.73	53.25	+0.52
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 63.27 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।				
(4) 2408—01—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8919—सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण—				
मूल	1,490.00			
पुनर्वि.	(—)1,490.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,490.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त वर्ष के दौरान योजना की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(5) 2408—01—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7872—पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन—				
मूल	8,357.60			
पूरक	5,000.00			
पुनर्वि.	(—)845.02	12,512.58	12,512.58	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 845.02 लाख की कमी भारत सरकार से व्यय के अनुसार स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(6) 2408—01—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7801—मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना—				
मूल	250.00			
पुनर्वि.	(—)242.47	7.53	0.00	(—)7.53
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 242.47 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(7) 2408—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3229—नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति—				
मूल	5,100.00			
पुनर्वि.	(—)5,100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 5,100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।				
(8) 2408—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5591—अन्नपूर्णा दाल—भात केन्द्रों को प्रोत्साहन सहायता—				
मूल	50.00			
पुनर्वि.	(—)50.00	0.00	0.00	0.00
₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।				

अनुदान संख्या 39—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(9) 2408—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7800—प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना— मूल 50.00 पुनर्वि. (—)50.00 0.00 0.00 0.00 ₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(10) 2408—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7894—उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (—)1,250.00 1,250.00 1,250.00 0.00 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,250.00 लाख की कमी विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(11) 2408—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9993—रियायती दर पर आयोडाइज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान— मूल 50.00 पूरक 2,500.00 पुनर्वि. (—)88.89 2,461.11 2,461.11 0.00 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 88.89 लाख की कमी सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। प्रभारित— (iv) ₹ 0.50 लाख के उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है।			
पूंजीगतः दत्तमत— (v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः— शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय (₹ लाख में)			आधिक्य+ बचत(—)
6408—02—190—0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 8545—नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण— मूल 525.00 पुनर्वि. (—)105.51 419.49 419.49 0.00 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.51 लाख की कमी विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012—13 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 40—आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)आधिक्य+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

2705—कमान क्षेत्र विकास

4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व	43,739	20,740	(—)22,999
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			22,242
(31 मार्च 2020)			
पूंजीगत	11,75,200	15,184	(—)11,60,016
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			11,60,018
(31 मार्च 2020)			
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 229.99 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 222.42 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(1) 2705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

3436—महानदी आयाकट			
विकास प्राधिकरण—			
मूल	184.74		
पुनर्वि.	(—)39.18	145.56	144.85

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 39.18 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(2) 2705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6305—सिंचाइ सहभागिता प्रबन्ध			
समितियों को अनुदान—			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(—)150.00	0.00	0.00

₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2013—14 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2705—210—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

5593—हसदेव विकास			
प्राधिकरण—			
मूल	102.65		
पुनर्वि.	(—)33.24	69.41	62.55

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 33.24 लाख की कमी ऐसे की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—समाप्त

पूँजीगतः

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7907—कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति
(आई.एस.बी.आई.जी.)—मूल 11,552.00
पुनर्वि. (-)11,552.00

0.00 0.00 0.00

₹ 11,552.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(2) 4705—210—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

2823—फील्ड चेनल्स
का निर्माण

100.00 51.90 (-)48.10

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(iv) उचंत लेन देनः—

'उचंत' लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे के नीचे टिप्पणी (v) में दी गई है।

विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत 2019—20 तक इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन—देनों का विश्लेषण प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है :—

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के	वर्ष के	अंतशेष
1 अप्रैल 2019 को	दौरान	दौरान	31 मार्च 2020 को	
नामे +	नामे	जमा	नामे +	
जमा (-)			जमा	जमा (-)

4701—मध्यम सिंचाई पर

पूँजीगत परिव्यय—

(₹ लाख में)

(1) क्रय	(-)4.74	0.00	0.00	(-)4.74
(2) भण्डार	(-)0.03	0.00	0.00	(-)0.03
(3) विविध निर्माण कार्य				
अग्रिम	+15.07	0.00	0.00	+15.07
योग	+10.30	0.00	0.00	+10.30

अनुदान संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं
- 2205—कला एवं संस्कृति
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2211—परिवार कल्याण
- 2215—जलपूर्ति तथा सफाई
- 2216—आवास
- 2217—शहरी विकास
- 2220—सूचना तथा प्रचार
- 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
- 2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2236—पोषण
- 2401—फसल कृषि—कर्म
- 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
- 2403—पशु—पालन
- 2405—मछली—पालन
- 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
- 2408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार
- 2425—सहकारिता
- 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
- 2505—ग्राम रोजगार
- 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
- 2702—लघु सिंचाई
- 2801—बिजली
- 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
- 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
- 2852—उद्योग
- 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
- 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4215—जलपूर्ति और सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण पूंजीगत परिव्यय
- 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4401—फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय
- 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4405—मतस्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय
- 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
- 4408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय
- 4415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
- 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
- 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
- 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
- 4810—गैर—पारम्पारिक उर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय
- 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
- 4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
- 5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 41—जारी

5275—संचार/अन्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

6408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार के लिए कर्ज

6425—सहकारिता के लिए कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

राजस्व:

दत्तमत—

मूल 14,73,70,681

पूरक 2,29,71,430

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2020)

17,03,42,111

13,02,06,665

(—)4,01,35,446

4,21,21,344

प्रभारित

10

00

(—)10

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2020)

10

पूँजीगत:

दत्तमत—

मूल 2,80,94,665

पूरक 31,26,834

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2010)

3,12,21,499

2,06,97,454

(—)1,05,24,045

1,03,80,669

प्रभारित

1,500

500

(—)1,000

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2020)

1,500

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 85,391.54 लाख), दिसम्बर 2019 (₹ 1,10,399.58 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 33,923.18 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,29,714.30 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 4,01,354.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 4,21,213.44 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2202—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

3491—माध्यमिक शालाएं—

(मूलभूत न्यूनतम

सेवाओं के लिए)—

मूल 67,378.00

पूरक 864.60

पुनर्वि. (—)1,098.08

67,144.52

66,959.01

(—)185.51

समर्पण द्वारा ₹ 501.08 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 597.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,098.08 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(2) 2202-01-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

495—आश्रम और शालाएं—

मूल	25,720.10
पूरक	सांकेतिक
पुनर्वि.	(-)4,026.41

21,693.69

24,321.88

+2,628.19

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,473.41 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, देयकों के प्राप्त नहीं होने एवं कम मांग प्राप्त होने तथा ₹ 150.00 लाख की अन्य कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 597.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,026.41 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण द्वारा ₹ 150.00 लाख की अन्य कमी के पर्याप्त कारणों तथा पुनर्विनियोजन के कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2009-10 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2202-01-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5092—जवाहर उत्कर्ष

योजना—

मूल	1,000.00
पुनर्वि.	(-)108.93

891.07

891.07

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 108.93 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2202-01-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

8659—अशासकीय विद्यालयों में ट्यूशन

फीस की प्रतिपूर्ति—

मूल	2,280.00
पुनर्वि.	(-)91.94

2,188.06

2,188.06

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 91.94 लाख की कमी जिलों से निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202-01-796-108-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5904—निशुल्क पाठ्य पुस्तकों

का प्रदाय—

मूल	2,100.00
पूरक	2,295.46
पुनर्वि.	(-)515.46

3,880.00

3,880.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 515.46 लाख की कमी पाठ्य पुस्तक निगम से देयकों के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 208-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2202-01-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

8979—एकीकृत अम्ब्रेला

योजना—

मूल	22,020.00
पूरक	8,918.83
पुनर्वि.	(-)12,849.32

18,089.51

17,783.98

(-)305.53

समर्पण द्वारा ₹ 13,149.32 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने (₹ 9,624.08 लाख) एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 12,849.32 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ ₹ 3,525.24 लाख की अन्य कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2009-10 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
(7) 2202-01-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7437—मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना— मूल 3,038.80 पुनर्वि. (−)384.33 2,654.47 2,654.76 +0.29			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 384.33 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2009-10 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2202-01-796-112-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 5,722.75 पुनर्वि. (−)795.15 4,927.60 4,927.60 0.00			
(9) 2202-01-796-112-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 4,550.75 पुनर्वि. (−)639.04 3,911.71 3,911.71 0.00			
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 795.15 लाख एवं ₹ 639.04 लाख की कमी अपेक्षानुसार मानदेय में वृद्धि नहीं होने एवं छात्रों की उपस्थिति तथा हितग्राहियों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2009-10 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2202-02-796-106-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5904—निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय— मूल 1,780.00 पूरक 1,946.51 पुनर्वि. (−)1,311.24 2,415.27 2,415.27 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,311.24 लाख की कमी पाठ्य पुस्तक निगम देयक एवं प्रशासकीय स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2202-02-796-109-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5480—आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार, अनुच्छेद-[275(i)]— मूल 5,000.00 पूरक 5,713.16 पुनर्वि. (−)462.09 10,251.07 10,251.07 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 462.09 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2202—02—796—109—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 17,100.00 पुनर्वि. (-)3,364.24 13,735.76 13,735.76 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,364.24 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(13) 2202—02—796—109—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1395—छात्रावास— मूल 25,455.50 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)2,217.93 23,237.57 23,386.73 +149.16			
समर्पण द्वारा ₹ 2,067.93 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,217.93 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2202—02—796—109—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5216—हाई स्कूल— मूल 23,633.50 पूरक 333.43 पुनर्वि. (-)407.41 23,559.42 26,163.30 +2,603.88			
समर्पण द्वारा ₹ 109.91 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 297.50 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 407.41 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के पर्याप्त कारणों के साथ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2202—02—796—109—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6140—छात्र भोजन सहायता योजना— मूल 925.00 पूरक 366.76 पुनर्वि. (-)196.01 1,095.75 1,095.75 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 196.01 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2202—02—796—109—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7363—युवा कैरियर निर्माण योजना— मूल 722.90 पुनर्वि. (-)274.73 448.17 385.75 (-)62.42			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 274.73 लाख की कमी जिलों से निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(17) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7367—मॉडल स्कूल योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)158.26 441.74 441.74 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 158.26 लाख की कमी पंजीकृत छात्रों के अनुसार निधि का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7592—खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न— मूल 2,400.00 पुनर्वि. (-)587.67 1,812.33 1,812.33 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 587.67 लाख की कमी जिलों से निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8549—विज्ञान वाणिज्य शिक्षा प्रोत्साहन योजना— मूल 307.70 पुनर्वि. (-)109.59 198.11 198.11 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 109.59 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2202-02-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 307—अशासकीय संस्थाओं को अंशादान— मूल 5,778.00 पूरक 2,230.97 पुनर्वि. (-)307.76 7,701.21 7,701.21 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 307.76 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2202-03-796-001-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान— मूल 3,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)2,022.50 977.50 977.50 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,022.50 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014-15 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7445—सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कालेज— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)150.00 100.00 100.00 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(23) 2202-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7751-स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना— मूल 182.00 पुनर्वि. (-)122.00	60.00	60.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 122.00 लाख की कमी मितव्यी उपायों को अपनाने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं निधियों के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2202-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 11,605.10 पुनर्वि. (-)3,212.16	8,392.94	8,366.57	(-)26.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,212.16 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, चिकित्सा देयक प्राप्त नहीं होने, जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने, निधियों का आहरण नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने एवं नवीन योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2204-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण— मूल 152.00 पुनर्वि. (-)105.60	46.40	46.40	0.00
(26) 2204-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1190-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता— मूल 190.00 पुनर्वि. (-)164.21	25.79	25.79	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (25) एवं (26) समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 105.80 लाख एवं ₹ 164.21 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं लॉक डाऊन के कारण देयकों को तैयार नहीं किए जाने एवं स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(27) 2204-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन— मूल 180.00 पुनर्वि. (-)141.08	38.92	38.92	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 141.08 लाख की कमी पात्रतानुसार एवं प्राप्त स्वीकृति के अनुसार अनुदान जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2204-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7296-खेल अकादमी— मूल 86.80 पुनर्वि. (-)86.80	0.00	0.37	+0.37
₹ 86.80 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरगुजा में खेल अकादमी की क्रियान्वयन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(29) 2204—796—104—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7819—युवा शक्ति योजना— मूल 380.00 पुनर्वि. (—)380.00 0.00 0.00 0.00				
₹ 380.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरगुजा में योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(30) 2205—796—107—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5377—मुक्ताकाश संग्रहालय— मूल 718.00 पुनर्वि. (—)385.09 332.91 332.91 0.00				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 385.09 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(31) 2210—01—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7397—छत्तीसगढ़ आक्रिमिक चिकित्सा समाधान सेवा योजना— मूल 1,520.00 पुनर्वि. (—)912.00 608.00 608.00 0.00				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 912.00 लाख की कमी निधियों के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(32) 2210—01—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8940—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, सरगुजा— मूल 2,777.70 पूरक 373.60 पुनर्वि. (—)757.04 2,394.26 2,393.80 (—)0.46				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 757.04 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(33) 2210—01—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8950—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, जगदलपुर— मूल 3,912.90 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (—)514.60 3,398.30 3,379.26 (—)19.04				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 514.60 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(34) 2210—01—796—196—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल 10,335.60 पुनर्वि. (—)1,117.07 9,218.53 7,606.19 (—)1,612.34				
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41.58 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,075.49 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,117.07 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ कमी एवं अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010—11 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
(35) 2210-01-200-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7932—आयुष्मान भारत— मूल 13,300.00 पुनर्वि. (−)1,900.00 11,400.00 7,980.00 (−)3,420.00			
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,900.00 लाख की कमी के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(36) 2210-04-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना 3,499.90 2,601.93 (−)897.97			
(37) 2210-04-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना— 507.40 347.48 (−)159.92			
(38) 2210-04-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना— 186.50 71.73 (−)114.77			
उपरोक्त क्रम संख्या (36) से (38) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014-15 से 2018-19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (36) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(39) 2210-05-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5689—चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर— मूल 4,255.20 पुनर्वि. (−)732.01 3,523.19 3,522.10 (−)1.09			
(40) 2210-05-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8941—चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा— मूल 2,422.50 पूरक 72.00 पुनर्वि. (−)349.33 2,145.17 2,143.64 (−)1.53			
उपरोक्त क्रम संख्या (39) एवं (40) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 732.01 लाख एवं ₹ 349.33 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018-19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (39) एवं 2015-16 से 2018-19 के दौरान क्रम संख्या (40) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(41) 2210-06-796-003-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 2502—परिचारिकाओं का प्रशिक्षण— मूल 458.00 पूरक 729.02 पुनर्वि. (−)286.01 901.01 911.80 +10.79			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 286.01 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(42) 2210—06—796—003—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 336—ऑक्जीलियरी नर्स, मिड वाइफ एवं हैल्थ विजीटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण— मूल 280.90 पुनर्वि. (—)109.58	171.32	170.82	(—)0.50
(43) 2210—06—796—003—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 731.10 पूरक 143.55	587.55	587.54	(—)0.01
उपरोक्त क्रम संख्या (42) एवं (43) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 109.58 लाख एवं ₹ 143.55 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (43) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(44) 2210—06—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5026—छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता अनुदान— मूल 1,140.00 पूरक 380.00 पुनर्वि. (—)191.00	1,329.00	1,329.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 191.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(45) 2210—06—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4244—मलेरिया— मूल 1,764.45 पुनर्वि. (—)762.28	1,002.17	830.28	(—)171.89
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 762.28 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(46) 2211—796—001—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 1508—जिला स्तरीय अमला— मूल 315.45 पुनर्वि. (—)98.87	216.58	215.78	(—)0.80
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.87 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(47) 2211-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 12,330.10 पुनर्वि. (-)920.67	11,409.43	11,588.27	+178.84
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 920.67 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(48) 2215-02-796-107-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 17,100.00 पुनर्वि. (-)7,413.04	9,686.96	9,686.96	0.00
(49) 2216-03-796-105-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7807—प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)— मूल 51,700.00 पुनर्वि. (-)27,724.33	23,975.67	23,975.67	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (48) एवं (49) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 7,413.04 लाख एवं ₹ 27,724.33 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (48) एवं 2016-17 से 2018-19 के दौरान क्रम संख्या (49) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(50) 2217-80-796-191-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 102.60 पूरक 1,459.30 पुनर्वि. (-)404.74	1,157.16	1,157.16	0.00
(51) 2217-80-796-191-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7706—अमृत मिशन— मूल 4,620.00 पूरक 7,300.00 पुनर्वि. (-)3,924.20	7,995.80	7,995.80	0.00
(52) 2217-80-796-191-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7709—सभी के लिए आवास योजना— मूल 10,800.00 पुनर्वि. (-)8,447.43	2,352.57	2,352.57	0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(53) 2217-80-796-192-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 55.10 पूरक 790.55 पुनर्वि. (—)222.71	622.94	622.94	0.00
(54) 2217-80-796-192-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7709—सभी के लिए आवास योजना— मूल 4,600.00 पुनर्वि. (—)3,617.98	982.02	982.02	0.00
(55) 2217-80-796-193-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 32.30 पूरक 545.15 पुनर्वि. (—)139.55	437.90	437.90	0.00
(56) 2217-80-796-193-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7709—सभी के लिए आवास योजना— मूल 4,100.00 पुनर्वि. (—)3,224.72	875.28	875.28	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (50) से (56) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 404.74 लाख, ₹ 3,924.20 लाख, ₹ 8,447.43 लाख, ₹ 222.71 लाख, ₹ 3,617.98 लाख, ₹ 139.55 लाख एवं ₹ 3,224.72 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (50) एवं 2016-17 से 2018-19 के दौरान क्रम संख्या (53) एवं (55) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(57) 2225-02-796-001-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 3728—आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास— मूल 200.00 पुनर्वि. (—)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(58) 2225-02-796-102-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5024—आदिवासी विशेष पिछळा वर्ग— मूल 1,750.00 पुनर्वि. (—)1,205.33	544.67	607.98	+63.31

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,205.33 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2012–13 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(59) 2225–02–796–102–0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7672—वन बंधु कल्याण

योजना—

मूल 200.00

पुनर्वि. (–)200.00

0.00

0.00

0.00

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(60) 2225–02–796–102–0602—अनुसूचित जनजाति उपयोजना

के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित—

7626—विशेष केन्द्रीय सहायता

पोषित योजनाओं से

स्थानीय विकास

कार्यक्रम—

मूल 8,000.00

पुनर्वि. (–)4,918.62

3,081.38

3,040.07

(–)41.31

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,918.82 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(61) 2225–02–796–102–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना —

6870—अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को

ऋण उपलब्ध बाबत—

मूल 200.00

पुनर्वि. (–)120.00

80.00

80.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(62) 2225–02–796–102–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना —

9853—आदिवासी संस्कृति का

परिरक्षण एवं विकास—

मूल 809.00

पुनर्वि. (–)147.52

661.48

661.48

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 147.52 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(63) 2225–02–796–277–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7627—व्यवसायिक प्रशिक्षण

योजनाएं—

मूल 678.00

पुनर्वि. (–)353.75

324.25

324.25

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 353.75 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
	(₹ लाख में)		
(64) 2230—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7632—युवा क्षमता विकास योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (−)133.14 66.86 66.86 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 133.14 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(65) 2230—03—796—003—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7867—प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना — मूल 1,000.00 पुनर्वि. (−)807.53 192.47 192.47 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 807.53 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(66) 2230—03—796—003—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7955—जीवन निर्वाह हेतु प्रशिक्षण — मूल 300.00 पुनर्वि. (−)184.70 115.30 115.30 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 184.70 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(67) 2230—03—796—003—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 3,081.30 पूरक 334.00 पुनर्वि. (−)631.67 2,783.63 2,780.76 (−)2.87			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 631.67 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(68) 2230—03—796—003—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8935—लाइब्रलीहुड कालेज— मूल 345.00 पुनर्वि. (−)225.00 120.00 120.00 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 225.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(69) 2230—03—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 4,500.00 पुनर्वि. (−)2,220.01 2,279.99 2,279.99 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,220.01 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(70) 2230—03—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7914—कौशल स्व रोजगार योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(71) 2235—02—796—101—0102— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3923—दिव्यांगों की सहायता के लिए योजना— मूल 142.00 पुनर्वि. (—)95.38 46.62 46.62 0.00			
समर्पण द्वारा ₹ 85.38 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 95.38 लाख की कमी उल्लिखित की गई है के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(72) 2235—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 79—दृष्टि एवं श्रवण बधिताथै शालाएं तथा संस्थाएं— मूल 455.35 पुनर्वि. (—)84.73 370.62 369.36 (—)1.26			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 84.73 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(73) 2235—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजना)— मूल 3,741.12 पूरक 585.20 पुनर्वि. (—)2,376.17 1,950.15 1,950.15 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,376.17 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(74) 2235—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7884—प्रधान मंत्री मातृ वंदना— मूल 2,590.00 पुनर्वि. (—)1,199.79 1,390.21 1,390.21 0.00			
समर्पण द्वारा ₹ 1,057.79 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 142.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,199.79 लाख की कमी उल्लिखित की गई है के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
(75) 2235—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 22,885.71 पूरक 10,527.40 पुनर्वि. (—)2,283.19	31,129.92	31,110.91	(—)19.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 90.00 लाख की वृद्धि अबुझमाड़ (ओरछा) में एकीकृत बाल विकास योजना के संचालन हेतु निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,373.19 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,283.19 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013—14 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(76) 2235—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9130—एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण— मूल 499.10 पुनर्वि. (—)110.39	388.71	387.77	(—)0.94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

(77) 2235—02—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय— मूल 7,200.00 पूरक 1,300.00 पुनर्वि. (—)1,252.34	7,247.66	7,251.85	+4.19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------

उपरोक्त क्रम संख्या (76) एवं (77) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 110.39 लाख एवं ₹ 1,252.34 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (77) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2013—14 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (76) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(78) 2235—02—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7680—आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई. घटक— मूल 423.00 पूरक 120.00 पुनर्वि. (—)80.45	462.55	453.62	(—)8.93
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 52.00 लाख की वृद्धि बाल विकास सेवा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए क्रय की गई भार तोलन मशीन के लम्बित भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 132.45 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 80.45 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013—14 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(79) 2235—02—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7875—सुचिता योजना— मूल 70.00 पूरक 152.00 पुनर्वि. (—)222.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 222.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—179 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(80) 2236—02—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7361—सबला योजना— मूल 1,298.00 पुनर्वि. (—)720.41	577.59	577.97	+0.38
(81) 2236—02—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 28,523.00 पुनर्वि. (—)5,693.85	22,829.15	22,829.46	+0.31
उपरोक्त क्रम संख्या (80) एवं (81) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 720.41 लाख एवं ₹ 5,693.85 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (80) एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (81) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(82) 2236—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7747—महतारी जतन योजना— मूल 951.10 पूरक 247.38 पुनर्वि. (—)286.56	911.92	905.65	(—)6.27
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 286.56 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(83) 2236—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7765—मुख्यमंत्री अमृत योजना— मूल 1,003.00 पूरक 400.00 पुनर्वि. (—)627.63	775.37	775.37	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 627.63 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(84) 2236—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 1,989.00 पूरक 588.50 पुनर्वि. (—)680.90	1,896.60	1897.12	+0.52
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 680.90 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2007—08 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
(₹ लाख में)			
(85) 2401-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 4,560.00 पुनर्वि. (-)1,627.65	2,932.35	2,932.35	0.00
(86) 2401-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7258—राष्ट्रीय मिशन आन आईलसीडस एन्ड आईलपाम— मूल 355.30 पुनर्वि. (-)259.78	95.52	95.52	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (85) एवं (86) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,627.65 लाख एवं ₹ 259.78 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(87) 2401-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6366—किसान सहायता— पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन द्वारा निधियों के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(88) 2401-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8972—धान उत्पादन हेतु प्रोत्साहन योजना— मूल 1,90,000.00 पूरक 43,714.00 पुनर्वि. (-)2,19,461.98	14,252.02	14,252.02	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,19,461.98 लाख की कमी सरकार द्वारा जारी निधियों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(89) 2401-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6820—कृषक समग्र विकास योजना— मूल 2,926.00 पुनर्वि. (-)257.80	2,668.20	2,668.20	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 257.80 लाख की कमी किसानों द्वारा बीजों का कम उत्पादन, वितरण एवं सग्रहण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(90) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 5,245.00 पुनर्वि. (-)2,991.90	2,253.10	2,253.10	0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा ₹ 2,274.31 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि के कम जारी किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 717.59 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,991.90 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
(91) 2401–796–108–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7266—एन.एम.एस.ए. रेन फेड ऐरिया डेवलपमेंट योजना— मूल 704.00 पुनर्वि. (–)510.28 193.72 193.72 0.00				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 510.28 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गयी है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(92) 2401–796–108–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7267—एन.एम.एस.ए. स्वाईल हेत्थ मेनेजमेंट स्कीम— मूल 645.00 पुनर्वि. (–)242.66 402.34 402.33 (–)0.01				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 242.66 लाख की कमी बीज निगम द्वारा लागत सामग्री की दर समय सीमा में निर्धारित नहीं किए जाने से कम प्रदर्शनी लगाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(93) 2401–796–108–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 1,140.00 पुनर्वि. (–)452.94 687.06 687.06 0.00				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 452.94 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा आदिवासी किसानों के लिए प्रावधान अनुसार कम राशि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(94) 2401–796–108–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7830—परम्परागत कृषि विकास योजना— मूल 1,413.00 पुनर्वि. (–)842.36 570.64 570.64 0.00				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 842.36 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(95) 2401–796–108–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7832—टारगेटेड राईस फेलो ऐरिया (टी.आर.एफ.ए.)— मूल 3,627.00 पुनर्वि. (–)1,146.39 2,480.61 2,480.61 0.00				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,146.39 लाख की कमी भारत सरकार से द्वितीय किश्त वर्ष की अंतिम तिमाही में प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(96) 2401—796—108—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7833—रिक्लेमेशन आफ प्राव्लम स्वाइल (आर.पी.एस.)— मूल 304.00 पुनर्वि. (-)189.80	114.20	114.20	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 189.80 लाख की कमी बीज निगम द्वारा चूने की दर अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(97) 2401—796—108—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7945—प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान— मूल 190.00 पुनर्वि. (-)190.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 190.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(98) 2401—796—108—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)— मूल 6,080.00 पुनर्वि. (-)2,181.56	3,898.44	3,898.44	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,181.56 लाख की कमी भारत सरकार से द्वितीय किश्त वर्ष की अंतिम तिमाही में प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(99) 2401—796—108—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7946—सोयाबीन उत्पादनों पर प्रोत्साहन योजना— मूल 380.00 पुनर्वि. (-)380.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 380.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(100) 2401—796—109—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 1,520.00 पुनर्वि. (-)745.86	774.14	774.14	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 745.86 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(101) 2401—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7797—प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना— मूल 11,880.00 पूरक 6,000.00 पुनर्वि. (−)133.44	17,746.56	17,746.56	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 133.44 लाख की कमी बीमा कम्पनी से बीमा दावों के देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(102) 2401—796—113—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 2,470.00 पुनर्वि. (−)843.24	1,626.76	1,626.76	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 843.24 लाख की कमी कोविड 19 के कारण लॉक डाउन होने से उपकरणों के देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(103) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 1,952.00 पुनर्वि. (−)877.50	1,074.50	1,074.50	0.00
(104) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7258—नेशनल मिशन आन आईलसीडस एन्ड आईलपाम— मूल 448.00 पुनर्वि. (−)390.18	57.82	57.82	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (103) एवं (104) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 877.50 लाख एवं ₹ 390.18 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(105) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 1,683.00 पुनर्वि. (−)938.25	744.75	744.75	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 938.25 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(106) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन— पूरक 7,790.00 पुनर्वि. (-)2,952.70	4,837.30	4,837.30	0.00	
(107) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7874—एन.एम.एस.ए. नेशनल मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री— पूरक 456.00 पुनर्वि. (-)364.10	91.90	91.90	0.00	
उपरोक्त क्रम संख्या (106) एवं (107) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,952.70 लाख एवं ₹ 364.10 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (106) एवं 2017—18 तथा 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (107) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।				
(108) 2401—796—119—0312—नाबार्ड प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7854—नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना— मूल 532.00 पुनर्वि. (-)342.00	190.00	190.00	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 342.00 लाख की कमी नाबार्ड से प्राप्त ऋण एवं भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार व्यय किए जाने एवं सरकार से शेष निधि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(109) 2401—796—800—0312—नाबार्ड प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7853—नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना— मूल 380.00 पुनर्वि. (-)380.00	0.00	0.00	0.00	
₹ 380.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन से निधियों के जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(110) 2402—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7350—एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 7,600.00 पुनर्वि. (-)6,198.52	1,401.48	1,401.48	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,198.52 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधियों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(111) 2403—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5620—पशु बीमारी नियंत्रण— मूल 280.00 पुनर्वि. (-)183.97	96.03	96.03	0.00
(112) 2403—796—101—0312—नाबार्ड प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7471—नाबार्ड योजना अंतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)96.27	3.73	3.73	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (111) एवं (112) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 183.97 लाख एवं ₹ 96.27 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (111) एवं 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (112) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(113) 2403—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7257—राष्ट्रीय गौवंशीय भैंस वंशीय परियोजना एवं पशुधन बीमा योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(114) 2405—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7621—राष्ट्रीय पशुधन मिशन— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)211.66	38.34	0.00	(-)38.34
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 211.66 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(115) 2405—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामाच्य)— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)4.58	795.42	333.06	(-)462.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4.58 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013—14 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(116) 2406—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1004—नदीतटीय वृक्षारोपण योजना— मूल 603.00 पूरक (-)104.68	498.32	498.35	+0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.68 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(117) 2406—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2533—हरियाली प्रसार योजना— मूल 2,800.00 पूरक (-)1,596.80 1,203.20 1,210.13 +6.93			

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,316.00 लाख की कमी वृत्तों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 280.80 लाख की अन्य कमी अधीनस्थ वृत्तों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,596.80 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(118) 2406—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5091—लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना— मूल 291.50 पूरक (-)150.68 140.82 140.81 (-)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.68 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(119) 2406—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

6854—लाख विकास योजना— मूल 250.00 पूरक (-)250.00 0.00 0.00 0.00

₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निधियों के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(120) 2406—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7930—मुख्यमंत्री बांस विकास योजना— मूल 456.00 पुनर्वि. (-)435.96 20.04 20.04 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 273.61 लाख की कमी वन वृत्तों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 162.35 लाख की अन्य कमी अधीनस्थ वृत्तों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 435.96 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(121) 2406—01—796—105—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5231—लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान— मूल 5,097.00 पुनर्वि. (-)4,159.96 937.04 937.04 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,159.96 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियों के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(122) 2406—01—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6792—लघु वनोपज संग्राहक सामूहिक बीमा योजना— मूल 780.00 पुनर्वि. (—)780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
₹ 780.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।				
(123) 2406—02—796—110—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6771—अचानकमार अमरकंटक बायोस्फेर रिजर्व का विकास— मूल 334.40 पुनर्वि. (—)334.40	0.00	0.00	0.00	0.00
₹ 334.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(124) 2406—02—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 3730—प्रोजेक्ट टाईगर— मूल 3,056.10 पुनर्वि. (—)2,180.65	875.45	875.45	0.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,180.65 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2009—10 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(125) 2406—02—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास— मूल 534.40 पुनर्वि. (—)238.86	295.54	281.57	(—)13.97	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 238.86 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(126) 2406—04—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7261—राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम— मूल 945.00 पुनर्वि. (—)945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
₹ 945.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(127) 2408—01—796—003—0102— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8919—सावर्जनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण— मूल 1,132.40 पुनर्वि. (—)1,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,132.40 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(128) 2408—01—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7801—मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना— मूल 190.00 पुनर्वि. (-)190.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 190.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(129) 2408—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3229—नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति— मूल 3,784.00 पुनर्वि. (-)3,784.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 3,784.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से निधियों के जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(130) 2408—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7894—उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषन— मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)950.00 950.00 950.00 0.0			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 950.00 लाख की कमी विभाग से निधियों के जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(131) 2425—796—107—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7889—प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण— मूल 152.00 पुनर्वि. (-)152.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 152.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान परियोजना हेतु दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(132) 2501—06—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन— मूल 11,751.86 पुनर्वि. (-)1,926.63 9,825.23 9,825.23 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,926.63 लाख की कमी केंद्राश के अनुसार राज्यांश का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(133) 2505—60—796—196—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना— मूल 58,600.00 पुनर्वि. (-)21,322.72 37,277.28 37,277.28 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 21,322.72 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों के कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(134) 2515—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1208—ग्रामीण यात्रिकी सेवा— मूल 3,719.06 पुनर्वि. (—)175.43	3,543.63	2,830.25	(—)713.38
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.43 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(135) 2801—80—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8914—विद्युत कंपनियों को सहायता— मूल 1,944.00 पुनर्वि. (—)1,944.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,944.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत योजना को त्रुटिवश राजस्व अनुभाग अंतर्गत दर्ज किया गया इस प्रकार देयक कोषालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(136) 2851—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7910—हथकरघा वस्त्र बुनाई रोजगार सृजन— मूल 348.00 पुनर्वि. (—)348.00	0.00	0.00	0.00
₹ 348.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(137) 2851—796—104—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4748—हस्तशिल्प निगम को विकास योजनाओं हेतु अनुदान— मूल 250.57 पुनर्वि. (—)87.71	162.86	162.85	(—)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 87.71 लाख की कमी वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(138) 2851—796—104—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8109—बस्तर हस्तशिल्प विकास परियोजना— मूल 107.00 पुनर्वि. (—)107.00	0.00	0.00	0.00
₹ 107.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(139) 2851—796—107—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 164—नैसर्गिक टसर कोसा उत्पादन विकास योजना— मूल 796.50 पुनर्वि. (—)285.08	511.42	510.85	(—)0.57
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 285.08 लाख की कमी कम शिविर आयोजित होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(140) 2851—796—107—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5662—पालित प्रजाति के कृमि पालकों को टसर स्वस्थ डिम्ब समूह— मूल 1,146.80 पुनर्वि. (-)163.73 983.07 983.07 0.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 163.73 लाख की कमी कृमि पालन के लिए 41 लाख स्वस्थ डिम्ब के विरुद्ध केवल 29.65 लाख डिम्ब एकत्रित होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(141) 2852—80—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5385—नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00 0.00 0.00 0.00
₹ 1,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2202—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 73,903.00 पूरक 900.72 पुनर्वि. (-)111.90 74,691.82 78,003.43 +3,311.61			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 111.90 लाख की कमी देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 25.46 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है ₹ 86.44 लाख की अन्य कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(2) 2202—02—796—109—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल 61,138.60 पूरक 1,258.21 पुनर्वि. 220.95 62,617.76 67,349.46 +4,731.70
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 297.50 लाख की वृद्धि वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 76.55 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 220.95 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(3) 2210—01—796—200—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

8645—मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 6,000.00 8,660.00 +2,660.00
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2210—03—796—197—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5998—सामुदायिक स्वारथ्य केन्द्र— मूल 7,971.00 पुनर्विं. (-)1,705.59	6,265.41	10,409.44	+4,144.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,705.59 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (अगस्त 2020) 2012—13 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।			
(5) 2210—03—796—198—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सामान्य)— 2777—प्राथमिक स्वारथ्य केन्द्र— मूल 9,814.90 पुनर्विं. (-)576.00	9,238.90	12,065.59	+2,826.69
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41.58 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 534.42 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 576.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(6) 2210—03—796—198—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सामान्य)— 620—उप स्वारथ्य केन्द्र— मूल 3,674.20 पुनर्विं. (-)41.66	3,632.54	6,794.44	+3,161.90
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 41.66 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (अगस्त 2020) 2012—13 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।			
(7) 2210—06—796—200—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सामान्य)— 6362—डॉ. खूबचंद बघेल स्वारथ्य सहायता योजना— पूरक सांकेतिक पुनर्विं. 1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,900.00 लाख के आवधन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (अगस्त 2020)।			
(8) 2210—06—796—200—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6363—मुख्य मंत्री विशेष स्वारथ्य सहायता योजना— पुनर्विं. सांकेतिक सांकेतिक		760.00	+760.00
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(9) 2401—796—103—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7264—एन.एम.ए.ई.टी.सवमिशन आन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना— मूल 320.00 पुनर्वि. 508.31	828.31	828.31	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 717.59 लाख की वृद्धि बीज संग्रहण गोदाम की स्थापना किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 209.28 लाख की कमी बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों द्वारा लक्ष्य से कम बीज संग्रहण किए जाने एवं गोदाम निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 508.31 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(10) 2405—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7814—नील कांति के अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 1,000.00 पूरक (−)351.27	648.73	1111.09	+462.36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 351.27 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(11) 2406—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2962—बिंगड़े वनों का सुधार— मूल 9,100.00 पूरक 731.44	9,831.44	9,802.97	(−)28.47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 930.17 लाख की वृद्धि धमतरी, बस्तर, कोरिया, एवं दक्षिण कोण्डागांव वन मण्डल के नवीन कार्य योजना स्वीकृत होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 198.73 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 731.44 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(12) 2406—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6827—भूजल एवं जल संरक्षण कार्य— मूल 300.00 पूरक 364.62	664.62	662.26	(−)2.36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 385.83 लाख की वृद्धि धमतरी, बस्तर, कोरिया, एवं दक्षिण कोण्डागांव वन मण्डल के नवीन कार्य योजना स्वीकृत होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 21.21 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 364.62 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया।

(13) 2406—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6724—बांस वनों का पुनरोद्धार— मूल 1,900.00 पुनर्वि. 174.77	2,074.77	2,075.38	+0.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 273.61 लाख की वृद्धि धमतरी, बस्तर, कोरिया, एवं दक्षिण कोण्डागांव वन मण्डल के नवीन कार्य योजना स्वीकृत होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 98.84 लाख की कमी अधीस्थ वृत्तों से मांग प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 174.77 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया। 2013–14 से 2018–19 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगतः

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 6,710.64 लाख), दिसम्बर 2019 (₹ 19,427.70 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 5,130.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 31,268.34 लाख अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 1,05,240.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 1,03,806.69 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4202–01–796–202–1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

1400—विवेकानन्द गुरुकुल

उन्नयन योजना—

मूल	11,603.00			
पुनर्वि.	(-)11,603.00	0.00	0.00	0.00

(2) 4202–01–796–202–1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

1400—विवेकानन्द गुरुकुल

उन्नयन योजना—

मूल	5,500.00			
पुनर्वि.	(-)5,500.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 11,603.00 लाख एवं ₹ 5,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2010–11 से 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 4202–01–796–202–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

1400—विवेकानन्द गुरुकुल

उन्नयन योजना—

मूल	10,801.00			
पुनर्वि.	(-)2,402.99	8,398.01	8,398.01	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,402.99 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4202–01–796–202–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

9840—शैक्षणिक संस्थाओं के

भवनों का निर्माण—

मूल	2,000.00			
पुनर्वि.	(-)1,880.34	119.66	119.66	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,880.34 लाख की कमी जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(5) 4202—01—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7289—सरगुजा विश्वविद्यालय—				
मूल	500.00			
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00	0.00
(6) 4202—01—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7290—बस्तर विश्वविद्यालय—				
मूल	500.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00	0.00
(7) 4202—01—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7445—सरगुजा विश्वविद्यालय मे इंजीनियरिंग कालेज—				
मूल	120.00			
पुनर्वि.	(-)120.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 500.00 लाख, ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016—17 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5), 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (6) एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।				
(8) 4202—02—796—103—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— 8935—लाइवलीहुड कालेज—				
मूल	100.00			
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00	0.00
(9) 4202—02—796—103—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं—				
मूल	100.00			
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2013—14 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (29) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(10) 4202—02—796—103—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7438—स्टेट रिकल डेव्हलपमेंट मिशन—				
मूल	110.00			
पूरक	354.37			
पुनर्वि.	(-)320.84	143.53	143.53	0.00
(11) 4202—02—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं—				
मूल	1,000.00			
पुनर्वि.	(-)913.16	86.84	86.18	(-)0.66
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 320.84 लाख एवं ₹ 913.16 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012—13 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं 2013—14 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।				

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(12) 4202—02—796—104—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 2668—पॉलिटेक्निक संस्थाएँ— मूल 2,477.00 पुनर्वि. (-)2,414.19	62.81	62.81	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,414.19 लाख की कमी ई—पोर्टल एवं जेम में तकनीकी त्रुटि होने के कारण संस्था पंजीयन प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं भारत सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2017–18 एवं 2018–19 के भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(13) 4210—01—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7668—बर्न एवं ट्रामा सेंटर— मूल 238.00 पुनर्वि. (-)171.81	66.19	55.20	(-)10.99	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 171.81 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।				
(14) 4210—01—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7851—टर्शरी कैंसर संस्थान— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)800.00	0.00	0.00	0.00	
₹ 800.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 एवं 2018–19 के भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(15) 4210—01—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— 8940—चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, सरगुजा— मूल 690.00 पुनर्वि. (-)688.59	1.41	0.91	(-)0.50	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 688.59 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(16) 4210—01—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— 8950—चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, जगदलपुर— मूल 750.00 पुनर्वि. (-)750.00	0.00	0.00	0.00	
₹ 750.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।				

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 4210—01—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8940—चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, सरगुजा— मूल 500.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (—)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 4210—01—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8950—चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, जगदलपुर— मूल 580.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (—)580.00	0.00	0.00	0.00
₹ 580.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(19) 4210—03—796—105—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8941—चिकित्सा महाविद्यालय, सरगुजा— मूल 3,700.00 पूरक 8,000.00 पुनर्वि. (—)5,700.00	6,000.00	6,000.00	0.00
(20) 4210—03—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5689—चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, जगदलपुर— मूल 1,050.00 पुनर्वि. (—)650.00	400.00	400.00	0.00
(21) 4210—03—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8941—चिकित्सा महाविद्यालय, सरगुजा— मूल 6,500.00 पुनर्वि. (—)1,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (19) से (21) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 5,700.00 लाख, ₹ 650.00 लाख एवं ₹ 1,500.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं (20) एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(22) 4215—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8908—नवीन नगरीय आवधन जल प्रदाय योजना— मूल 356.60 पुनर्वि. (—)171.83	184.77	184.77	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 171.83 लाख की कमी जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य + बचत(—)
	अनुदान	व्यय (₹ लाख में)	
(23) 4215—01—796—102—0312—नाबार्ड प्रवर्तित योजना (टी.ए.एस.पी.)—			
5403—पाइप द्वारा जल प्रदाय योजना—			
मूल 4,440.00			
पुनर्वि. (—)2,860.23	1,579.77	1,579.77	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,860.23 लाख की कमी जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 4215—01—796—102—0312—नाबार्ड			
सहायता योजना (टी.ए.एस.पी.)—			
7858—सौर उर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना—			
मूल 800.00			
पुनर्वि. (—)677.48	122.52	111.24	(—)11.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 677.48 लाख की कमी जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(25) 4215—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना			
2715—प्रशासन—			
मूल 635.60			
पुनर्वि. (—)635.60	0.00	0.00	0.00
₹ 635.60 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 4215—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—			
5403—पाइप द्वारा जल प्रदाय योजना—			
मूल 2,405.00			
पुनर्वि. (—)2,114.64	290.36	290.36	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,114.64 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 4215—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—			
5700—शालाओं में पेयजल की व्यवस्था—			
मूल 450.00			
पुनर्वि. (—)175.32	274.68	285.95	+11.27
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.32 लाख की कमी जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(28) 4225—02—796—102—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—			
(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—			
5480—आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार [अनुच्छेद 275(1)]—			
मूल 12,000.00			
पुनर्वि. (—)6,651.55	5,348.45	5,025.45	(—)323.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,651.55 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(29) 4225—02—796—102—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5024—आदिवासी विशेष पिछड़े समूह— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (—)636.97	363.03	382.57	+19.54
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 636.97 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(30) 4225—02—796—102—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7672—वनबच्चु कल्याण योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (—)300.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(31) 4225—02—796—102—0602—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 15,000.00 पुनर्वि. (—)8,965.45	6,034.55	6,013.04	(—)21.51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,965.45 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(32) 4225—02—796—800—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7844—शहीद वीर नारायण स्मारक एवं संग्रहालय— मूल 600.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (—)600.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(33) 4235—02—796—103—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7971—कामगार महिलाओं हेतु हास्टल का निर्माण— मूल 250.00 पुनर्वि. (—)250.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
(₹ लाख में)			
(34) 4401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7267—एन.एम.एस.ए. स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट योजना— मूल 150.00 पुनर्वि (−)127.73 22.27 22.27 0.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 127.73 लाख की कमी भारत बीज निगम द्वारा मशीनों एवं उपकरणों की दर निर्धारित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(35) 4401-796-119-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7970—प्लग टाइप यूनिट की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि (−)100.00 0.00 0.00 0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(36) 4406-01-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5538—एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना— मूल 380.00 पुनर्वि (−)291.61 88.39 91.38 +2.99

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 291.61 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियों के विमुक्त नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(37) 4415-01-796-277-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9182—इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय— मूल 1,000.00 पुनर्वि (−)250.00 750.00 750.00 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.00 लाख की कमी सरकार द्वारा जारी निधियों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(38) 4425-796-108-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7678—सहकारी संस्थाओं के लिए अंश पूँजी— मूल 118.00 पूरक 500.00 पुनर्वि (−)500.00 118.00 118.00 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 500.00 लाख की कमी वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(39) 4515—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7759—श्यामा प्रसाद मुखर्जी

रूबन मिशन—

मूल 4,180.00

पुनर्वि. (—)1,480.00

2,700.00

2,700.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,480.00 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश का आहरण किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(40) 4700—03—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

2898—बांध एवं संलग्न

कार्य—

मूल 3,500.10

पुनर्वि. (—)2,042.27

1,457.83

1,457.83

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,042.27 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं राज्य सरकार से वृक्षारोपण मुआवजे की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(41) 4700—80—796—005—0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—

4416—सर्वेक्षण—

मूल 500.00

पुनर्वि. (—)490.00

10.00

18.66

+8.66

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 490.00 लाख की कमी सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(42) 4701—08—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

3366—मध्यम परियोजनाओं

का निर्माण कार्य—

मूल 670.00

पुनर्वि. (—)553.06

116.94

116.95

+0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 553.06 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू—अर्जन मुआवजे का निर्धारण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(43) 4701—22—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

3366—मध्यम परियोजनाओं

का निर्माण कार्य—

मूल 100.00

पुनर्वि. (—)100.00

0.00

0.00

0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(44) 4701—23—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

3366—मध्यम परियोजनाओं

का निर्माण कार्य—

मूल 1,050.00

पुनर्वि. (—)1,050.00

0.00

0.00

0.00

₹ 1,050.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(45) 4701-33-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 790.00 पुनर्वि. (-)555.58	234.42	234.42	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 555.58 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(46) 4701-34-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2898—बांध एवं संलग्न कार्य— मूल 410.00 पुनर्वि. (-)298.17	111.83	111.83	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 298.17 लाख की कमी निविदा कार्यों एवं भू-अर्जन प्रकरण के पारितोषिक की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।				
(47) 4701-80-796-005-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)86.36	113.64	113.64	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 86.36 लाख की कमी सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(48) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3828—लघु सिंचाई योजना— मूल 31,000.00 पुनर्वि. (-)4,884.17	26,115.83	25,970.72	(-)145.11	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,884.17 लाख की कमी वन विभाग से मांग प्राप्त नहीं होने एवं निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(49) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4416—सर्वेक्षण— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)148.50	851.50	833.25	(-)18.25	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 148.50 लाख की कमी निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013-14 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(50) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7953—जलवायु संवेदनशील योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00	
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।				

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
		(₹ लाख में)	

(51) 4702—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5059—एनीकट / स्टॉपडेम

का निर्माण—

मूल	4,500.00		
पुनर्वि.	(−)918.30	3,581.70	3,581.26

(-)0.44

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 918.30 लाख की कमी नवीन योजना हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं ऐजेन्सियों का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(52) 4702—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7422—औद्यौगिक जल

संरचना निर्माण—

मूल	8,000.00		
पुनर्वि.	(−)6,467.55	1,532.45	1,532.55

+0.10

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,467.55 लाख की कमी भू—अर्जन मुआवजे का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012—13 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(53) 4702—796—800—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6354—बांध पुर्नवास एवं

सुधार प्रोजेक्ट—

मूल	200.00		
पुनर्वि.	(−)200.00	0.00	0.00

0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(54) 4801—02—796—190—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7498—पूंजीगत व्यय विद्युत पारेषण / उत्पादन /

वितरण कम्पनी—

मूल	3,625.20		
पुनर्वि.	(−)3,625.20	0.00	0.00

0.00

₹ 3,625.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(55) 4801—80—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

8548—मुख्यमंत्री शहरी

विद्युतीकरण योजना—

मूल	1,080.00		
पुनर्वि.	(−)648.00	432.00	432.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 648.00 लाख की कमी योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(56) 5054—04—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

4871—प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना के

मार्गों पर पुलों का निर्माण—

मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(−)2,000.00	0.00	0.00

0.00

₹ 2,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निविदा किश्त की राशि से भुगतान नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(57) 5054—04—796—337—0312—नाबाड़ पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7475—मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क एवं विकास योजना— मूल 8,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (—)6,521.94	1,478.06	951.78	(—)526.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,521.94 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011—12 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(58) 5054—04—796—337—0312—नाबाड़ पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	1,400.00	927.86	(—)472.14
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(59) 5054—04—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4855—प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (—)3,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 3,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निविदा किश्त की राशि से भुगतान नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(60) 6215—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2182—नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (—)1,634.53	365.47	365.47	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,634.53 लाख की कमी वर्ष के दौरान ऋण हेतु स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(61) 6425—796—107—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना 5055—सहकारी शक्कर कारखाना— मूल 2,400.00 पुनर्वि. (—)2,400.00	0.00	0.00	0.00
₹ 2,400.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
प्रभारित—			
(ix) ₹ 10.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 15.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।			

अनुदान संख्या 42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सङ्कें और पुल

मुख्य शीर्ष—	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
--------------	-----------------------------	------------------	-------------------

5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय
5054—सङ्कें एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	99,87,250		
पूरक	6	99,87,256	98,39,770
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)1,47,485
प्रभारित		87,000	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		22,351	(—)64,649

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2020 में प्राप्त किया गया 0.06 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,474.85 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	------------------	-------------------

(1) 5053—02—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

4727—हवाई पट्टियों

का निर्माण एवं

विस्तार	1,000.00	535.02	(—)464.98
---------	----------	--------	-----------

(2) 5054—03—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

4149—वहद पुलों

का निर्माण	10,000.00	9,760.56	(—)239.44
------------	-----------	----------	-----------

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2003—04 से 2018—19 के दौरान क्रम (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 5054—03—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7976—जवाहर सेतु योजना—

मूल	3,957.50		
पूरक	0.02		
पुनर्वि.	(—)3,900.00	57.52	14.51

(—)43.01

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 3,900.00 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त (₹ 1,500.00 लाख) नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 2,400.00 लाख की अन्य कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(4) 5054—03—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

3710—राज्यों के राजमार्ग—

मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(—)4,500.00	500.00	217.78

(—)282.22

अनुदान संख्या 42—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
(5) 5054—03—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4871—प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण— मूल 600.00 पुनर्वि. (—)500.00	100.00	48.20	(—)51.80
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 4,500.00 लाख एवं ₹ 500.00 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 5054—04—796—337—0312—नाबाड़ पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7813—ई.पी.सी. (नाबाड़) के माध्यम से सङ्क निर्माण	100.00	0.00	(—)100.00
(7) 5054—04—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2457—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 10,000.00		9,914.92	(—)85.08
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं 2015—16 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(8) 5054—04—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3539—मुख्य जिला सङ्कों— मूल 12,500.00 पुनर्वि. (—)4,794.00	7,706.00	7,620.71	(—)85.29
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,794.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 5054—04—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4416—सर्वेक्षण 205.00		97.66	(—)107.34
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 5054—05—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7818—ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)— मूल 40,500.00 पुनर्वि. (—)40,400.00	100.00	84.66	(—)15.34
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40,400.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 42—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अशंतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 5054-04-796-337-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7842—आर. आर. पी. फेस-II—

मूल 10,000.00

पूरक 0.03

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 52,594.00 लाख का आवर्धन देयकों के भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया

गया है।

(2) 5054-04-796-337-0312—नाबार्ड पोषित योजनाएँ—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)

6590—नाबार्ड ऋण सहायता

के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों

का निर्माण—

मूल 2,000.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,500.00 लाख का आवर्धन देयकों के भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया

है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

प्रभारित—

(v) ₹ 646.49 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

5054-04-796-800-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

3115—भू—अर्जन हेतु

मुआवजा 870.00 223.51 (-)646.49

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013-14 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं

4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति
पर पूँजीगत परिव्यय**राजस्व:**

दत्तमत—

मूल	5,08,850			
पूरक	सांकेतिक	5,08,850	1,30,536	(—)3,78,314
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,78,164
(31 मार्च 2020)				

प्रभारित	30	00	(—)30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			30
(31 मार्च 2020)			

पूँजीगत:

दत्तमत	25,000	643	(—)24,357
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			24,357
(31 मार्च 2020)			

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व :**

दत्तमत—

(i) ₹ 3,783.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 3,781.64 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(1) 2204—103—2323—निर्देशन एवं प्रशासन—

मूल	955.05			
पुनर्वि.	(—)344.99	610.06	608.57	(—)1.49

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 344.99 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मांग प्राप्त नहीं होने, लॉकडाउन होने के कारण देयक तैयार नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008—09 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2204—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

मूल	150.00			
पुनर्वि.	(—)150.00	0.00	0.00	0.00

₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान आयोग के कार्यालय के संधारित नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2204—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

मूल	500.00			
पुनर्वि.	(—)500.00	0.00	0.00	0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना प्रारंभ नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1079—खिलाड़ियों को प्रशिक्षण—			
मूल 200.00			
पुनर्वि. (-)157.90	42.10	42.10	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 157.90 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने, लॉकडाउन के कारण कार्यालय संधारित नहीं होने एवं लम्बित देयकों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1190—ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता—			
मूल 250.00			
पुनर्वि. (-)233.13	16.87	16.37	(-)0.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 233.13 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने, लॉकडाउन के कारण कार्यालय संधारित नहीं होने एवं लम्बित देयकों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3459—महिला खेलकूद प्रतियोगिता—			
मूल 100.00			
पुनर्वि. (-)87.58	12.42	12.92	0.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 87.58 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने, लॉकडाउन के कारण कार्यालय संधारित नहीं होने एवं लम्बित देयकों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3706—राज्य स्तरीय संघों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदान—			
मूल 200.00			
पुनर्वि. (-)69.90	130.10	130.10	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.90 लाख की कमी लॉकडाउन के कारण कार्यालय बंद हो जाने से अनुदान स्वीकृत नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5223—खिलाड़ियों को प्रोत्साहन—			
मूल 300.00			
पुनर्वि. (-)165.22	134.78	134.78	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 165.22 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7296—खेल अकादमी—			
मूल 408.67			
पुनर्वि. (-)324.66	84.01	83.99	(-)0.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 324.66 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मांग प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7473-37 ^{वै} राष्ट्रीय खेल—			
मूल 1,500.00			
पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 43—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

₹ 1,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2204–104–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7777—खेल प्रशिक्षण अकादमी—	मूल 203.68 पुनर्वि. (—)196.18	7.50	7.50	0.00
-------------------------------	----------------------------------	------	------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 196.18 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं निधियों की आवश्यकता नहीं होने कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

4202–03–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5226—मूलभूत सुविधाओं का विकास
स्टेडियम आदि—

मूल 250.00 पुनर्वि. (—)243.57	6.43	6.43	0.00
----------------------------------	------	------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 243.57 लाख की कमी अनुमोदन अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष —**2202—सामान्य शिक्षा****4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय****राजस्व:**

दत्तमत—

मूल	72,89,980			
पूरक	1,35,600	74,25,580	74,54,040	+28,460
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,17,077
(31 मार्च 2020)				

प्रभारित	70	00	(—)70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			70
(31 मार्च 2020)			

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	1,24,300			
पूरक	सांकेतिक	1,24,300	1,124	(—)1,23,176
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,23,176
(31 मार्च 2020)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) अनुदान से हुए ₹ 2,84,60,474 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 284.60 लाख के अंतिम आधिक्य के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 4,170.77 लाख का अंतिम आधिक्य अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(1) 2202—03—001—3443—महाविद्यालयीन शिक्षा

संचालनालय—

मूल	712.40			
पुनर्वि.	(—)52.53	659.87	657.73	(—)2.14

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 52.53 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अपनाने प्रशिक्षण का आयोजन नहीं होने, निधि की मांग नहीं किए जाने एवं आवश्यकतानुसार व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2202—03—001—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8971—राष्ट्रीय उच्चतर

शिक्षा अभियान—

मूल	9,143.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(—)2,232.91	6,910.09	6,918.74	+8.65

अनुदान संख्या 44—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,232.91 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं निधि के आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2011–12 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
(₹ लाख में)			

(3) 2202–03–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5531—पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना—	मूल 100.00 पुनर्वि. (–)35.00	65.00	65.00	0.00
----------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 35.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा जारी निधि के प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 2202–03–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7751—स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना—	मूल 495.00 पुनर्वि. (–)189.04	305.96	299.88	(–)6.08
------------------------------------------	----------------------------------	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 189.04 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202–03–104–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3444—महाविद्यालयों को पोषण अनुदान—	मूल 4,600.00 पुनर्वि. (–)402.43	4,197.57	4,556.70	+359.13
---------------------------------------	------------------------------------	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 402.43 लाख की कमी सरकार द्वारा शेष निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2202–03–104–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7364—अनुदान प्राप्त महाविद्यालय पेंशन योजना—	मूल 1,070.00 पुनर्वि. (–)71.00	999.00	999.00	0.00
----------------------------------------------------	-----------------------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 71.00 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अशंतः प्रतिसंतुलित हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
(₹ लाख में)			

2202–03–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

798—कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय—	मूल 49,103.60 पुनर्वि. (–)1,151.69	47,952.11	52,050.06	+4,116.15
----------------------------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,151.49 लाख की कमी के कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 44—समाप्त

प्रभारित—

(v) ₹ 0.70 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अस्थर्पित किया गया। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष

कुल

वास्तविक

आधिक्य+

अनुदान

व्यय

बचत(—)

(₹ लाख में)

(1) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5205—रविशंकर विश्वविद्यालय,

रायपुर—

मूल 200.00

पूरक. सांकेतिक

पुनर्वि. (—)200.00

0.00

0.00

0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5531—पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त

विश्वविद्यालय की स्थापना—

मूल 600.00

पुनर्वि. (—)600.00

0.00

0.00

0.00

(3) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7238—इंदिरा कला विश्वविद्यालय,

खैरागढ़—

मूल 300.00

पूरक. सांकेतिक

पुनर्वि. (—)300.00

0.00

0.00

0.00

(4) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7484—बिलासपुर

विश्वविद्यालय—

मूल 100.00

पुनर्वि. (—)100.00

0.00

0.00

0.00

(5) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7656—दुर्ग विश्वविद्यालय—

मूल 500.00

पूरक. सांकेतिक

पुनर्वि. (—)500.00

0.00

0.00

0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 600.00 लाख, ₹ 300.00 लाख, ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017–18 से 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2), (3), एवं (5) एवं 2014–15 से 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7751—स्वामी विवेकानंद

ज्ञानदीप योजना—

मूल 500.00

पुनर्वि. (—)500.00

0.00

0.00

0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)आधिक्य+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

2702—लघु सिंचाई

4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय

4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व	8,17,662	7,21,511	(-)96,151
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			96,063
(31 मार्च 2020)			

पूंजीगत:

मूल	34,55,100		
पुरक	1,00,000	35,55,100	(-)12,38,475
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		23,16,625	12,18,683
(31 मार्च 2020)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 961.51 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 960.63 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
	अनुदान	व्यय	
	(₹ लाख में)		

(1) 2702—03—101—207—अन्य लघु सिंचाई

निर्माण कार्य—

मूल	4,476.10		
पुनर्वि.	(-)409.18	4,066.92	4,070.58

+3.66

समर्पण द्वारा ₹ 395.43 लाख की कमी मंहगाई भत्ते की दर में कमी होने एवं अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत कम व्यय किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13.75 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 409.18 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2702—03—101—8967—एनीकट / बैराज

मूल	789.00		
पुनर्वि.	(-)45.91	743.09	755.29

+12.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 45.91 लाख की कमी अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(3) 2702—03—103—207—अन्य लघु सिंचाई

निर्माण कार्य—

मूल	1,631.93		
पुनर्वि.	(-)439.11	1,192.82	1,176.77

(-)16.05

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 439.11 लाख की कमी मंहगाई भत्ते की दर में कमी होने एवं अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(4) 2702—03—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5709—किसान समृद्धि योजना

हेतु अनुदान—

मूल 500.00

पुनर्वि. (—)45.71

454.29

453.43

(—)0.86

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 45.71 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2019 में प्राप्त किया गया 1,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(iv) ₹ 12,384.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 12,186.83 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 4702—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3803—लघु एवं लघुतम

सिंचाई योजनाएं—

मूल 14,500.00

पूरक 1,000.00

पुनर्वि. (—)6,110.77

9,389.23

9,187.45

(—)201.78

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,110.77 लाख की कमी वन विभाग से मांग प्राप्त नहीं होने एवं निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4702—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4416—सर्वेक्षण—

मूल 600.00

पुनर्वि. (—)156.07

443.93

444.46

+0.53

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 156.07 लाख की कमी सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4702—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7953—जलवायु संवेदनशील

योजना—

मूल 500.00

पुनर्वि. (—)500.00

0.00

0.00

0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(4) 4702—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5059—एनीकट / स्टॉपडेम

का निर्माण—

मूल 8,000.00

पुनर्वि. (—)3,204.05

4,795.95

4,802.14

+6.19

अनुदान संख्या 45—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,204.05 लाख की कमी नवीन कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, कार्य की धीमी प्रगति एवं ऐजेन्सी का चयन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(5) 4702–102–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)—

7422—ओद्योगिक जल संरचना निर्माण—	मूल पुनर्वि.	7,000.00 (–)190.82	6,809.18	6,806.33	(–)2.85
-------------------------------------	-----------------	-----------------------	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 190.82 लाख की कमी भू—अर्जन मुआवजे का निराकरण नहीं किए जाने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2011–12 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 5054–05–101–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)—

7820—सड़क एवं पुल निर्माण—	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (–)1,016.26	983.74	983.74	0.00
-------------------------------	-----------------	-------------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,016.26 लाख की कमी कार्य प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 5054–05–337–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)—

7820— सड़क एवं पुल निर्माण—	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (–)1,000.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	-----------------	-------------------------	------	------	------

₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान ऐजेन्सी का चयन नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(vi) उचंत लेन देन:—

उचंत के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) में दर्शाई गई है।

वर्ष 2019–20 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न “उचंत उपशीर्षों” के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2019 को नामें +/जमा(–)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2020 को अंतिम शेष नामें +/जमा(–)
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(–)47.83	0.00	0.00	(–)47.83
(ii) भण्डार	+186.40	0.00	0.00	+186.40
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+42.24	0.00	0.00	+42.24
(iv) कार्यशाला उचंत	+0.04	0.00	0.00	+0.04
योग	+180.85	0.00	0.00	+180.85

अनुदान संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालॉजी

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीष—

3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

5425—अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण
अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	2,01,000	74,375	(—)1,26,625 1,26,625
पूँजीगत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	20,000	00	(—)20,000 20,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5433—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

परिषद को अनुदान—

मूल	1,075.00		
पुनर्वि.	(—)600.00	475.00	475.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 600.00 लाख की कमी निधियों के आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5632—साईंस सिटी

की स्थापना—

मूल	860.00		
पुनर्वि.	(—)610.00	250.00	250.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 610.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किए जाने एवं रिक्त पदों की भर्ती नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6736—केन्द्रीय प्रयोगशाला

की स्थापना—

मूल	75.00		
पुनर्वि.	(—)56.25	18.75	18.75

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 56.25 लाख की कमी निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूँजीगतः

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
5425—600—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6736—केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के अप्रयुक्त रहा। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—**2203—तकनीकी शिक्षा****2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास****4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय****राजस्व:****दत्तमत—**

मूल	36,12,170			
पूरक	1,12,200	37,24,370	25,07,681	(—)12,16,689
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				12,17,735
(31 मार्च 2020)				

प्रभारित	20	00	(—)20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			20
(31 मार्च 2020)			

पूँजीगत**दत्तमत—**

मूल	3,69,950			
पूरक	सांकेतिक	3,69,950	36,443	(—)3,33,507
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,32,314
(31 मार्च 2020)				

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व :****दत्तमत—**

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 589.00 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 533.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,122.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 12,166.89 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 12,177.35 लाख का अभ्यर्पण आवस्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2203—001—1869—तकनीकी शिक्षा

संचालनालय—

मूल	454.10			
पुनर्वि.	(—)92.10	362.00	362.04	+0.04

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.10 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
(2) 2203—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7745—छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (−)2,290.57 209.43 209.43 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,290.57 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2203—105—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 201.80 पुनर्वि. (−)139.99 61.81 61.81 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.99 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007—08 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2203—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 6,095.10 पुनर्वि. (−)700.84 5,394.26 5,402.32 +8.07			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 700.84 लाख की कमी नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने एवं पंजीयन हेतु जेम/ई पोर्टल तकनीकी कारणों से क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2203—112—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 502—इंजीनियरिंग महाविद्यालय— मूल 2,407.20 पुनर्वि. (−)452.19 1,955.01 1,967.78 +12.77			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 452.19 लाख की कमी संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2203—112—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7980—मुख्यमंत्री युवा स्वालंबन योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (−)500.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मुख्य मंत्री युवा स्वाभिमान योजना का मुख्य मंत्री पालीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना में परिवर्तन होने के कारण उल्लिखित की गई है जो कि प्रगति पर है।			
(7) 2230—02—001—3795—रोजगार संचालनालय— मूल 245.30 पुनर्वि. (−)79.83 165.47 165.48 +0.01			

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(8) 2230—02—001—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 9147—रोजगार कार्यालय— मूल 53.60 पूरक 354.00 पुनर्वि. (—)339.04	68.56	68.56	0.00
(9) 2230—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7632—युवा क्षमता विकास योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (—)369.00	231.00	231.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 79.83 लाख, ₹ 339.04 लाख एवं ₹ 369.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 एवं 2017—18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) एवं 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(10) 2230—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9147—रोजगार कार्यालय— मूल 1,448.60 पुनर्वि. (—)326.51	1,122.09	1,121.03	(—)1.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 326.51 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2230—03—003—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 62.50 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (—)62.50	0.00	0.00	0.00
₹ 62.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2230—03—003—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7960—औद्योगिक गुणवत्ता में वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण— मूल 500.00 पुनर्वि. (—)327.00	173.00	173.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 327.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(13) 2230—03—003—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 750.40 पूरक 500.00 पुनर्वि. (—)660.79	589.61	587.58	(—)2.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 660.79 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010—11 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2230—03—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 9,327.40 पुनर्वि. (-)1,520.54 7,806.86 7,799.74 (-)7.12			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,520.54 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2230—03—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7438—स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)150.00 350.00 350.00 0.00			
(16) 2230—03—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 5,250.00 पुनर्वि. (-)3,908.84 1,341.16 1,341.16 0.00			
(17) 2230—03—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8935—लाइवलीहुड कॉलेज— मूल 430.00 पुनर्वि. (-)80.00 350.00 350.00 0.00			
उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (17) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 150.00 लाख, ₹ 3,908.84 लाख एवं ₹ 80.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (17) तथा 2015—16 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(18) 2230—03—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7914—कौशल स्व—रोजगार योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

प्रभारित:

(iv) वर्ष के दौरान ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया। 2018—19 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 3,335.07 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 3,323.14 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 47—समाप्त

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202—02—103—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 8935—लाईवलीहुड कॉलेज— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)350.00	0.00	0.00	0.00
(2) 4202—02—103—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 187.50 पुनर्वि. (-)187.50	0.00	0.00	0.00
(3) 4202—02—103—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7960—औद्योगिक गुणवत्ता में वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
(4) 4202—02—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 350.00 लाख, ₹ 187.50 लाख, ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2006—07 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 4202—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)952.77	47.23	45.01	(-)2.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 952.77 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011—12 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 4202—02—104—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 2668—पॉलिटेक्निक संस्थाएं— मूल 1,106.00 पुनर्वि. (-)1,077.64	28.36	18.64	(-)9.72
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,077.64 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण (₹ 1,071.64 लाख) उल्लिखित की गई है। ₹ 6.00 लाख की शेष राशि के कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2015—16 से 2018—19 दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 47—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(7) 4202—02—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2668—पॉलिटेक्निक

संस्थाएँ—

मूल	156.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(-)105.23	50.77	50.77	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.23 लाख की कमी नगरीय निकायों के चुनाव हेतु आचार संहिता लागू होने एवं जी.ई.एम./ई—मानक में पंजीकरण की प्रक्रिया में तकनीकी कारणों से विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृटिगत हुई है।

(8) 4202—02—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

502—अभियांत्रिकी

महाविद्यालय—

मूल	50.00			
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00	0.00

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016—17 से 2018—19 दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों
का कल्याण

राजस्व:

मूल	58,470			
पूरक	2,124	60,594	48,854	(—)11,740
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10,851
(31 मार्च 2020)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 117.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 108.51 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2202—01—101—495—आश्रम और

शालाएं—

मूल	135.00			
पुनर्वि.	(—)53.08	81.92	81.92	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 53.08 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2225—01—102—6800—अनुसूचित जाति

आयोग का गठन—

मूल	218.70			
पुनर्वि.	(—)42.46	176.24	176.34	+0.10

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 42.46 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 50—बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2053—जिला प्रशासन

राजस्व वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	32,685	26,763	(—)5,922 5,832
-----------------------------------------------------------	--------	--------	-------------------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 59.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 58.32 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

2053—093—2987—20 सूत्रीय कार्यक्रम

का क्रियान्वयन—

मूल	326.85		(—)0.90
पुनर्वि.	(—)58.32	268.53	267.63

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 58.32 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)आधिक्य+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

2075—विविध सामान्य सेवायें

2250—अन्य सामाजिक सेवायें

4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व	1,12,450	55,991	(—)56,459
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			55,711

पूंजीगत	32,000	14,144	(—)17,856
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			8,196

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) ₹ 564.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 557.11 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2250—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5455—राजिम, गिरौदपुरी एवं लालपुर मेले आदि में जनसुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अनुदान—	मूल 700.00	345.00	345.00	0.00
पुनर्वि.	(—)355.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 355.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2250—800—2003—सिंधु दर्शन/कैलाश

मानसरोवर यात्रा—	मूल 130.00	43.50	43.50	0.00
पुनर्वि.	(—)86.50			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 86.50 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधियों को जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2250—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5805—मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर धर्मशालाओं आदि का निर्माण—	मूल 50.00	14.99	9.99	(—)5.00
पुनर्वि.	(—)35.01			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 35.01 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 51—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 2250—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6292—शासकीय मंदिरों का पुनरोद्धार—			
मूल 50.00 पुनर्वि. (—)50.00	0.00	0.00	0.00

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

(iii) ₹ 178.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 81.96 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
4250—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5805—मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर धर्मशालाओं आदि का निर्माण—			
मूल 320.00 पुनर्वि. (—)81.96	238.04	141.44	(—)96.60

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 81.96 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 53—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता**

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2217—शहरी विकास

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

2853—लौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग

4217—शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व	2,01,547	1,66,347	(—)35,200
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			35,195
(31 मार्च 2020)			
पूँजीगत	3,60,642	3,60,642	00

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) ₹ 352.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 351.95 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2235—60—789—192—1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

5397—राष्ट्रीय परिवार

सहायता योजना—

मूल	50.00		
पुनर्वि.	(—)26.60	23.40	23.40

0.00

(2) 2235—60—789—192—1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था

पेंशन—

मूल	270.00		
पुनर्वि.	(—)49.74	220.26	220.22

(—)0.04

(3) 2235—60—789—192—1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7340—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय

विकलांग पेंशन—

मूल	36.00		
पुनर्वि.	(—)17.75	18.25	18.25

0.00

(4) 2235—60—789—193—1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय

विधवा पेंशन—

मूल	108.00		
पुनर्वि.	(—)26.04	81.96	81.95

(—)0.01

अनुदान संख्या 53—समाप्त

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 26.60 लाख, ₹ 49.74 लाख, ₹ 17.75 लाख एवं ₹ 26.04 लाख की कमी पेंशन हितग्राहियों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2017–18 तथा 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—**2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा****4415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय****राजस्व:**

मूल	13,45,000			
पूरक	1,00,000	14,45,000	14,00,750	(–)44,250
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				44,250
(31 मार्च 2020)				
पूँजीगत	2,70,000	1,79,200	(–)90,800	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				90,800
(31 मार्च 2020)				

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व :****(i) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुईः—**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
			(₹ लाख में)

2415—01—120—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—**9182—इंदिरा गांधी कृषि****विश्वविद्यालय—**

मूल	13,400.00			
पूरक	1,000.00			
पुनर्वि.	(–)430.00	13,970.00	13,970.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 430.00 लाख की कमी राज्य सरकार से विमुक्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005—06 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत :**(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
			(₹ लाख में)

(1) 4415—01—004—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—**7912—छुईखदान में पान****अनुसंधान केन्द्र—**

मूल	100.00			
पुनर्वि.	(–)100.00	0.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(2) 4415—01—277—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—**9182—इंदिरा गांधी कृषि****विश्वविद्यालय—**

मूल	2,590.00			
पुनर्वि.	(–)798.00	1,792.00	1,792.00	0.00

अनुदान संख्या 54—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 798.00 लाख की कमी राज्य सरकार से विमुक्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

2236—पोषण

4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	1,05,04,970			
पूरक	12,82,400	1,17,87,370	76,05,743	(—)41,81,627
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				41,75,726
(31 मार्च 2020)				
प्रभारित		10	472	+462
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				00
(31 मार्च 2020)				

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	2,23,610			
पूरक	25,000	2,48,610	1,29,315	(—)1,19,295
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,19,295
(31 मार्च 2020)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 5,153.00 लाख), दिसम्बर 2019 (₹ 6,406.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 1,265.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12,824.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 41,816.27 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 41,757.26 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2235—02—001—9041—महिला एवं बाल

कल्याण संचालनालय—

मूल	1,442.60		
पुनर्वि.	(—)520.01	922.59	927.01

+4.42

(2) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

5354—एकीकृत सेवा योजना

(विदेशी सहायता

अन्तर्गत योजना) —

मूल	4,056.73		
पूरक	770.00		
पुनर्वि.	(—)3,299.68	1,527.05	1,527.11

+0.06

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7361—सबला योजना— मूल 229.00 पुनर्वि. (—)166.83	62.17	62.17	0.00
(4) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7507—राज्य महिला सशक्तीकरण प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य महिला आयोग की स्थापना— मूल 1,798.40 पुनर्वि. (—)1,426.35	372.05	372.05	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 520.01 लाख ₹ 3,299.68 लाख, ₹ 166.83 लाख एवं ₹ 1,426.55 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), 2016—17 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (4) 2015—16 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(5) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7884—प्रधानमंत्री मातृ वंदना— मूल 3,436.20 पुनर्वि. (—)1,527.46	1,908.74	1,908.59	(—)0.15
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.19 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,477.26 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,527.46 लाख कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9042—एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत बाल गृह— मूल 1,908.56 पुनर्वि. (—)891.70	1,016.86	1,016.64	(—)0.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 891.70 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 25,882.12 पूरक 9,890.00 पुनर्वि. (—)16,162.06	19,610.06	19,515.64	(—)94.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 16,162.06 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2007—08 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9130—एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण— मूल 837.62 पुनर्वि. (—)304.88	532.74	531.35	(—)1.39

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(9) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9131—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण— मूल 1,291.00 पुनर्वि. (-)692.45	598.55	598.55	0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 304.88 लाख एवं ₹ 692.45 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2003—04 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9949—एकीकृत बाल संरक्षण योजना— मूल 6,783.70 पुनर्वि. (-)3,059.53	3,724.17	3,724.17	0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,059.53 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधियों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय— मूल 8,812.00 पूरक 35.00 पुनर्वि. (-)163.83	8,683.17	8,694.90	+11.73
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 163.83 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2008—09 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(12) 2235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7680—आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई. घटक का विकास— मूल 905.00 पूरक 200.00 पुनर्वि. (-)343.35	761.65	738.48	(-)23.17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 368.35 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 343.55 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7916—किशोर न्याय निधि— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(14) 2235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9949—एकीकृत बाल संरक्षण योजना— मूल 175.00 पुनर्वि. (-)175.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 175.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा विलम्ब से स्वीकृति प्राप्त होने एवं जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2235—02—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7824—राजीव गांधी राष्ट्रीय झूलाघर— मूल 852.50 पुनर्वि. (-)852.50 0.00 0.00 0.00			
₹ 852.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2235—02—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7879—महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना— मूल 900.00 पुनर्वि. (-)454.56 445.44 445.44 0.00			
(17) 2235—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5373—महिला कोष का गठन— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)96.00 104.00 104.00 0.00			
(18) 2235—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5563—क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्था— मूल 177.87 पुनर्वि. (-)71.50 106.37 105.35 (-)1.02			
(19) 2235—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5645—मुख्यमंत्री कन्यादान योजना— मूल 950.00 पुनर्वि. (-)126.92 823.08 823.08 0.00			
उपरोक्त क्रम संख्या (16) से (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 454.56 लाख, ₹ 96.00 लाख, ₹ 71.50 लाख एवं ₹ 126.92 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(20) 2235—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7875—सुचिता योजना— मूल 100.00 पूरक 200.00 पुनर्वि. (-)300.00 0.00 0.00 0.00			

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−) (₹ लाख में)
(21) 2235—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8626—अनैतिक देह व्यापार एवं यौन शोषण की रोकथाम हेतु कार्यक्रम— मूल 100.00 पुनर्वि. (−)100.00 0.00 0.00 0.00			

उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 300.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं 2015—16 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(22) 2235—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8681—राज्य महिला आयोग— मूल 294.16 पुनर्वि. (−)166.58 127.58 127.48 (−)0.10

(23) 2235—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8976—कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कार्यक्रम— मूल 90.07 पुनर्वि. (−)87.90 2.17 2.17 0.00

(24) 2235—02—107—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5491—समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन— मूल 100.00 पुनर्वि. (−)74.20 25.80 25.80 0.00

(25) 2236—02—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7361—सबला योजना— मूल 1,799.60 पुनर्वि. (−)1,247.80 551.80 551.80 0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (22) से (25) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 166.58 लाख, ₹ 87.90 लाख, ₹ 74.20 लाख एवं ₹ 1,247.80 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (22) एवं 2014—15 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007—08 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(26) 2236—02—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 36,979.25 पुनर्वि. (−)7,614.88 29,364.37 29,370.10 +5.73

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,614.88 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2007—08 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(27) 2236—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6359—मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान— पूरक 50.00 पुनर्वि. (−)50.00 0.00 0.00 0.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(28) 2236—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7747—महतारी जतन योजना— मूल 1,103.00 पूरक 325.50 पुनर्वि. (—)387.71 1,040.79 1,040.79 0.00			
(29) 2236—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7765—मुख्यमंत्री अमृत योजना— मूल 852.00 पूरक 600.00 पुनर्वि. (—)564.96 887.04 887.04 0.00			
(30) 2236—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9050—चूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 883.00 पूरक 653.50 पुनर्वि. (—)563.09 973.41 973.41 0.00			

उपरोक्त क्रम संख्या (28) से (30) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 387.71 लाख, ₹ 564.96 लाख एवं ₹ 563.09 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (28) एवं 2016—17 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (29) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007—08 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (30) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iv) भारित विनियोग से हुए ₹ 4,62,061 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 250.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 337—आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 1,220.90 पूरक 250.00 पुनर्वि. (—)250.00 1,220.90 1,220.90 0.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(2) 4235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5564—परियोजना कार्यालय

सह संसाधन केन्द्र हेतु

भवन निर्माण—

मूल	50.00
पुनर्वि.	(-)50.00

0.00

0.00

0.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7764—किशोर न्याय अधिनियम

अंतर्गत भवन निर्माण—

मूल	300.00
पुनर्वि.	(-)227.75

72.25

72.25

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 227.75 लाख की कमी के जिलों से मांग प्राप्त होने के अनुसार निधि के जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9949—एकीकृत बाल

संरक्षण योजना—

मूल	110.00
पुनर्वि.	(-)110.00

0.00

0.00

0.00

₹ 110.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4235—02—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7971—कामकाजी महिला

हॉस्टल भवन निर्माण—

मूल	375.00
पुनर्वि.	(-)375.00

0.00

0.00

0.00

(6) 4235—02—800—9041—महिला एवं बाल

कल्याण संचालनालय—

मूल	180.00
पुनर्वि.	(-)180.00

0.00

0.00

0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 375.00 लाख एवं ₹ 180.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56—ग्रामोद्योग

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2851—ग्राम तथा लघु उद्योग

**4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों
पर पूंजीगत परिव्यय**

राजस्व	11,44,118	9,11,304	(—)2,32,814
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			2,32,871
पूंजीगत	26,000	16,198	(—)9,802
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			9,802

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 2,328.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 2,328.71 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान		व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 2851—103—931—केन्द्रीय

कार्यालय—

मूल	583.16		
पुनर्वि.	(—)115.96	467.20	467.09

(—)0.11

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 115.96 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013—14 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2851—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6769—भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी

संस्थान की स्थापना—

मूल	149.65		
पुनर्वि.	(—)50.73	98.92	98.92

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.73 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(3) 2851—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7625—हथकरघा सी.एफ.सी.

स्थापना—

मूल	150.00		
पुनर्वि.	(—)150.00	0.00	0.00

0.00

₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
(4) 2851–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7778—हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु सहायता— मूल 50.00 पुनर्वि. (–)30.65 19.35 19.35 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 30.65 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(5) 2851–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7910—हथकरघा वस्त्र बुनाई रोजगार सृजन— मूल 497.00 पुनर्वि. (–)497.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 497.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2851–104–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4748—हस्तशिल्प निगम को विकास योजनाओं हेतु अनुदान— मूल 252.80 पुनर्वि. (–)88.48 164.32 164.32 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 88.48 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2851–104–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5020—विकास केन्द्रों के संचालन हेतु हस्तशिल्प विकास निगम/बोर्ड को अनुदान— मूल 281.23 पुनर्वि. (–)98.44 182.79 182.79 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.44 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2851–104–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5458—हस्तशिल्प विकास बोर्ड— मूल 250.70 पुनर्वि. (–)87.75 162.95 162.95 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 87.75 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2851–104–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6892—रेलेंग यूनिट की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (–)100.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधि जारी किए जाने का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 56—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(10) 2851—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6913—कुम्भकार टेराकोटा

शिल्प योजना—

मूल	200.00			
पुनर्वि.	(-)70.00	130.00	130.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी किए जाने का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2851—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8655—माटीकला बोर्ड

की स्थापना—

मूल	175.00			
पुनर्वि.	(-)61.25	113.75	113.75	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 61.25 लाख की कमी शासन द्वारा निधि के विमुक्त किए जाने का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2851—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1068—खादी बोर्ड की स्थापना

व्यय हेतु अनुदान—

मूल	660.00			
पुनर्वि.	(-)165.00	495.00	495.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 165.00 लाख की कमी कोविड—19 महामारी के कारण शासन से समय पर स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2851—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1069—खादी वस्त्र उत्पादन

पर छूट—

मूल	100.00			
पुनर्वि.	(-)35.00	65.00	65.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 35.00 लाख की कमी कोविड—19 महामारी के कारण शासन से समय पर स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(14) 2851—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6193—खादी बोर्ड के परिवार

मूलक ईकाइयों को स्थापना

हेतु सहायता—

मूल	205.50			
पुनर्वि.	(-)71.93	133.57	133.57	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 71.93 लाख की कमी कोविड—19 महामारी के कारण शासन से समय पर स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(15) 2851—107—3778—रेशम उद्योग की योजनाओं

का क्रियान्वयन—

मूल	4,991.15			
पुनर्वि.	(-)724.39	4,266.76	4,267.44	+0.68

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 724.39 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011—12 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 56—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(16) 2851—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2731—प्रशिक्षण एवं

अनुसंधान—

मूल	112.10
पुनर्वि.	(—)66.76

45.34

45.34

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 66.76 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

2851—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8810—समग्र हथकरघा

विकास योजना—

मूल	250.00
पुनर्वि.	181.52

431.52

431.52

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 185.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 3.48 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 181.52 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

पूंजीगत—

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

4851—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1068—खादी बोर्ड की स्थापना व्यय

हेतु अनुदान—

मूल	95.00
पुनर्वि.	(—)95.00

0.00

0.00

0.00

₹ 95.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ हजार में)
---------------	------------------	-----------------------------------

मुख्य शीर्ष—

2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

6245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज

राजस्व:

मूल	63,60,049			
पूरक	6,164	63,66,213	59,68,194	(—)3,98,019
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				7,20,358
(31 मार्च 2020)				
पूंजीगत		2,000	00	(—)2,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,000
(31 मार्च 2020)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 61.64 लाख का अनुपुरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 3,980.19 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 7,203.58 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(1) 2245—01—101—2018—नगद दान—

मूल	634.10		
पुनर्वि.	(—)381.75	252.35	109.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 381.75 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2245—01—101—7710—फसल क्षति

हेतु सहायता—			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(—)3,000.00	0.00	0.00

₹ 3,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2245—01—102—2661—पेयजल

आपूर्ति—			
मूल	606.00		
पुनर्वि.	(—)587.55	18.45	18.45

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 587.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.55 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 587.55 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(4) 2245—01—282—7347—लोक स्वास्थ्य—			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(—)50.00	0.00	0.00
₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(5) 2245—01—800—1467—जिला एवं अन्य सड़कें—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(—)400.00	0.00	0.00
₹ 400.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(6) 2245—01—800—2389—निर्माण कार्य—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(—)400.00	0.00	0.00
₹ 400.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011—12 से 2018—19 के दौरान इस शीषान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2245—01—800—3819—लघु सिंचाई (कृषि)—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(—)400.00	0.00	0.00
₹ 400.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2245—02—101—2018—नगद दान—			
मूल	2,200.00		
पुनर्वि.	(—)1,589.36	610.64	505.17
			(—)105.47
समर्पण द्वारा ₹ 1,375.86 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 213.50 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,589.36 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2245—02—102—2661—पेयजल आपूर्ति—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(—)200.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा ₹ 127.00 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 73.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2245—02—106—1467—जिला एवं अन्य सड़कें—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(—)1,000.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(11) 2245—02—110—2018—नगद दान—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)152.60	47.40	40.18
			(-)7.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 152.60 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2245—02—111—7352—शोकरत परिवारों को सहायक अनुदान—			
मूल	2,400.00		
पुनर्वि.	(-)408.37	1,991.63	1,752.50
			(-)239.13
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 308.37 लाख की अन्य कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2012—13 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(13) 2245—02—112—5607—बाढ़ नियंत्रण—			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)588.09	211.91	261.37
			+49.46
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 588.09 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2245—02—112—7357—बाढ़ आदि में सहायता—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	4.02
			+4.02
समर्पण द्वारा ₹ 36.65 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 63.65 लाख की अन्य कमी जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने संयुक्त प्रभाव से ₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2245—02—113—7357—बाढ़ आदि में सहायता	1,000.00	953.62	(-)46.38
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2245—02—114—7357—बाढ़ आदि में सहायता—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)353.24	646.76	616.00
			(-)30.76
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 353.24 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2245—02—117—7357—बाढ़ आदि में सहायता—			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(-)656.27	543.73	625.80
			+82.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 656.27 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(18) 2245—02—122—989—क्षतिग्रस्त सिंचाई,			
बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों का			
मरम्मत और उसकी			
पुनःस्थापना—			
मूल 1,000.00			
पुनर्वि. (—)1,000.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 613.00 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 387.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010—11 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(19) 2245—80—001—2304—निर्देशन एवं

प्रशासन—				
मूल 200.49				
पुनर्वि. (—)88.65	111.84	110.84	(—)1.00	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 88.65 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2245—80—001—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

7770—आपदाओं का विश्लेषण एवं				
योजना तैयार करने—				
मूल 61.64				
पुनर्वि. (—)61.64	0.00	0.00	0.00	

₹ 61.64 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 2245—80—101—7354—प्रशिक्षण—

मूल 200.00				
पुनर्वि. (—)179.54	20.46	20.45	(—)0.01	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 179.54 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 2245—80—103—4849—राष्ट्रीय आपदा

आकस्मिकता निधि से आपदा				
राहत निधि में अंतरण—				
मूल 5,000.00				
पुनर्वि. (—)5,000.00	0.00	0.00	0.00	

₹ 5,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(1) 2245—05—101—7427—राज्य आपदा			

मोर्चन निधि—

मूल 29,200.00			
पुनर्वि. 5,000.00	34,200.00	34,200.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,000.00 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
		(₹ लाख में)	

(2) 2245—05—101—2018—नगद दान—

मूल	3,002.00		
पुनर्वि.	(−)2.00	3,000.00	3,420.83

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2.00 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(3) 2245—80—800—7408—राज्य आपदा प्रबंधन

अंतर्गत दक्षता निर्माण—

मूल	2,850.00		
पुनर्वि.	1,109.64	3,959.64	3,960.63

+0.99

पुनर्विनियोजन द्वारा से ₹ 1,387.00 लाख की वृद्धि कोविड 19 की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त निधियों का आबंटन किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 277.36 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 267.36 लाख) के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,109.64 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। ₹ 10.00 लाख की अन्य कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(4) 2245—80—800—747—ओला पीड़ितों

को राहत—

मूल	1,300.00		
पुनर्वि.	3,392.21	4,692.21	(−)31.61

समर्पण द्वारा ₹ 1,607.79 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,000.00 लाख की वृद्धि ओला पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,392.21 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(5) 2245—80—800—7729—दुबने से, खदान धसकने से,

रसोई गैस फटने से, बिजली गिरने से

मृत्यु होने पर राहत—

मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	213.50	3,213.50	6,393.13

+3,179.63

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 213.50 लाख का आवर्धन जिलाधीशों द्वारा निधि की अतिरिक्त मांग के कारण उल्लिखित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(6) 2245—80—800—96—अग्नि पीड़ितों

को राहत—

मूल	1,850.00		
पुनर्वि.	+50.00	1,900.00	2,003.09

+103.09

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन जिलाधीशों द्वारा निधि की अतिरिक्त मांग किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(v) अकाल राहत निधि—

1 अप्रैल 2019 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 861.82 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान ₹ 4.87 लाख जमा की गई एवं भारत सरकार की प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान निरंक की राशि निवेश की गयी। 31 मार्च 2020 को निधि का अंत शेष ₹ 866.69 लाख (जमा) था।

अनुदान संख्या 58—जारी

निधि लेखा का 31 मार्च 2020 को अंतिम शेष निम्नानुसार है :—

विवरण		01 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2020 को अंतशेष
8223 अकाल राहत निधि		₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
	101 निधि लेखा	401.09 (जमा)	0.00	4.87	405.96 (जमा)
	102 निवेश लेखा	460.73 (जमा)	0.00	0.00	460.73 (जमा)
	योग	861.82 (जमा)	0.00	4.87	866.69 (जमा)

निधि के लेन देनों का लेखा राज्य वित्त लेखे वर्ष 2019–20 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या—21 में सम्मिलित किया गया है।

(vi) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) :—

आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 के खण्ड 48 (1) (क) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन करने की स्वीकृति देती है। ‘आपदा प्रबंधन विधेयक—2005 के खंड 48 (1) (क) के उपबंधों में भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन विभाग) के पत्र क्रम संख्या 33—5/2015—एन.डी.एम.—1 दिनांक 30 जुलाई 2015 के अनुसार 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया गया है चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सूनामी, ओला वृष्टि, भू—स्खलन, हिम स्खलन, बादल फटना तथा कीटों के आक्रमण आदि से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का उपयोग किया जावेगा।

राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 2015—16 से 2019—20 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की राशि को 14 वें वित्तीय आयोग की अनुशंसानुसार निर्धारित किया जावेगा। राज्य आपदा मोचन निधि की कुल राशि में 82.68 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा जबकि 17.32 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

वर्ष 2019—20 के लिए कुल प्रावधानित राशि ₹ 29,200.00 लाख में से केन्द्रांश ₹ 34,200.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें केन्द्रांश ₹ 23,565.00 लाख एवं राज्यांश ₹ 10,635.00 लाख था।

केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्राथमिक अवस्था में लेखा शीर्ष “1601—भारत सरकार से सहायक अनुदान—01—आयोजनेतर अनुदान—109—राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान” के अंतर्गत जमा होता है। भारत सरकार के अंशदान सहित सम्पूर्ण अंशदान लेखा शीर्ष “8121—“सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोचन निधि” में अंतरण, अनुदान संख्या 58 के लेखा शीर्ष “2245—दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत—05—राज्य आपदा मोचन निधि—101—आरक्षित निधि में अंतरण” में इस बावत प्रावधान करने के बाद किया गया है। मोचन सहायता पर व्यय आरंभ में इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामें किया जाता है, तथा वर्ष के लेखा बंदी से पूर्व समान मात्रा की राशि अंतरित कर “2245—दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत 05—राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण 901—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुर्नप्राप्तियां में समायोजित किया जाता है।

1 अप्रैल 2019 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 40,069.98 लाख (जमा) था। वित्तीय वर्ष 2019—20 के दौरान लेखा शीर्ष “8121—“सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोचन निधि” में ₹ 34,372.40 लाख जमा किया गया। लेखा शीर्ष “2245—05—101—7427 को नामें किया गया है। ₹ 25,254.00 का व्यय राष्ट्रीय आपदा निधि में किया गया जिसे इस निधि में नामें किया गया। 31 मार्च 2020 को निधि का अंत शेष ₹ 49,188.18 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान निधि में कोई भी निवेश एवं ब्याज जमा नहीं किया गया।

निधि में हुई अभिवृद्धि का पूंजी निवेश भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियां नीलाम किए गए खजाना बिल एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा प्रमाण पत्र में निवेश करना चाहिए। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो, इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनिमय योजना के अन्तर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष “2049—ब्याज आदयी”—05—आरक्षित निधियों पर ब्याज—105—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज को नामे किया जाता है।

आपदा प्रबंधन में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) के गठन को अधिसूचित किया। जब भी राज्य सरकार एस.डी.आर.एफ. में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) से अतिरिक्त अनुदान द्वारा पूर्ति की जाती है तब ऐसी निधि को अन्तरण एवं लेखांकन प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु एस.डी.आर.एफ.निधि के रूप में माना जाता है।

भारत सरकार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रकृति आपदा को गम्भीर प्रकृति के रूप में माना है एवं राज्य सरकार द्वारा उसके स्वयं राज्य आपदा मोचन निधि में उपलब्ध शेष से अधिक व्यय की जरूरत है, तो एन.डी.आर.एफ. से तत्काल राहत सहायता हेतु पात्र होगा।

निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेखे वर्ष 2019—20 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या—21 में दर्शाया गया है।

पूँजीगत :

(vii) ₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अध्यरित किया गया। 2011–12 से 2018–19 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएं
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों
पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	8,000	2,750	(—)5,250 5,250
पूंजीगत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	10,40,000	10,16,064	(—)23,936 23,936

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :**(i) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

3451—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7282—जिला योजनाओं का

सुदृढ़ीकरण—

मूल	80.00		
पुनर्वि.	(—)52.50	27.50	27.50 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 52.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2008—09 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत वृष्टिगत हुई है।

पूंजीगत :**(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

4515—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7493—विधान सभा निर्वाचन

क्षेत्र विकास योजना—

मूल	10,400.00		
पुनर्वि.	(—)239.36	10,160.64	10,160.64 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 239.36 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

मुख्य शीर्ष—

- 2014—न्याय प्रशासन
- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2204—खेलकूद एवं युवा सेवाएं
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2211—परिवार कल्याण
- 2215—जलपूर्ति और सफाई
- 2216—आवास
- 2217—शहरी विकास
- 2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
- 2230—श्रम तथा रोजगार
- 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
- 2236—पोषण
- 2401—फसल कृषि—कर्म
- 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
- 2403—पशु—पालन
- 2405—मछली—पालन
- 2406—वानिकी और वन्य प्राणी
- 2408—खाद्य, भण्डारण तथा भंडागार
- 2425—सहकारिता
- 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
- 2505—ग्रामीण रोजगार
- 2702—लघु सिंचाई
- 2801—बिजली
- 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
- 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
- 2852—उद्योग
- 4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
- 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
- 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
- 4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
- 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
- 4408—खाद्य भण्डारण और भंडागारण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
- 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
- 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
- 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
- 4810—नवीन तथा अक्षय उर्जा पर पूंजीगत परिव्यय
- 5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
- 5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय
- 6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 64—जारी

6408—खाद्य भण्डारण तथा भंडागार के लिए कर्ज

6425—सहकारिता के लिए कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	4,96,96,762			
पूरक	83,62,438	5,80,59,200	4,41,97,927	(-)1,38,61,273
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,42,14,464

प्रभारित

10

00

(-)10

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2020)

10

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	1,14,87,293			
पूरक	6,73,504	1,21,60,797	62,07,179	(-)59,53,618
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				37,57,550
(31 मार्च 2019)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा अगस्त 2019 (₹ 26,833.96 लाख), दिसम्बर 2019 (₹ 38,083.30 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 18,707.12 लाख), में प्राप्त किया गया ₹ 83,624.38 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,38,612.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 1,42,144.64 लाख का अभ्यर्पण की राशि अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 2014—789—103—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

5171—विशेष न्यायालयों

की स्थापना—

मूल	596.10		
पुनर्वि.	(-)169.00	427.10	426.26

(-)0.83

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 169.00 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कोरबा एवं जशपुर में न्यायालय की स्थापना नहीं होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने, अधिकारी एवं कर्मचारियों के दौरों की संख्या में कमी होने, अवकाश यात्रा रियायत की सुविधा, मशीन तथा उपकरणों के अनुरक्षण कार्य की आवश्यकता नहीं होने, एवं गणवेश के साथ कार्यालय फर्नीचर पर कम व्यय के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(2) 2202-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

3491—माध्यमिक शालायें

(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं

के लिए)—

मूल 13,841.80

पूरक 302.02

पुनर्वि. (—)554.23

13,589.59

13,594.09

+4.50

समर्पण द्वारा ₹ 289.23 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 265.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 554.23 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के साथ पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2202-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

495—आश्रम एवं शालाएं—

मूल 2,157.90

पुनर्वि. (—)470.79

1,687.11

1,720.59

+33.48

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 470.79 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2202-01-789-108-0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

5904—निःशुल्क पाठ्य

पुस्तक प्रदाय—

मूल 3,092.00

पूरक 3,377.65

पुनर्वि. (—)295.73

6,173.92

6,173.92

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 295.73 लाख की कमी “पाठ्य पुस्तक निगम” से देयक विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

5169—विद्यालयों में मध्यान्ह

भोजन कार्यक्रम—

मूल 3,956.25

पुनर्वि. (—)918.62

3,037.63

3,037.63

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 918.62 लाख की कमी “पाठ्य पुस्तक निगम” से देयक विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—

मूल 3,125.00

पुनर्वि. (—)697.80

2,427.20

2,427.20

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 697.80 लाख की कमी मानदेय में वृद्धि नहीं होने, छात्रों की उपस्थिति एवं लाभार्थियों की संख्या के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत नियंत्रित बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
(7) 2202-02-789-106-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5904—निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय— मूल 1,000.00 पूरक 1,097.24 पुनर्वि. (—)774.07	1,323.17	1,323.17	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 774.07 लाख की कमी “पाठ्य पुस्तक निगम” से देयक विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(8) 2202-02-789-109-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8050—छात्रवृत्तियां— मूल 1,010.00 पुनर्वि. (—)360.00	650.00	644.73	(—)5.27	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 360.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(9) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1395—छात्रावास— मूल 8,752.00 पुनर्वि. (—)1,312.11	7,439.89	7,444.26	+4.37	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,312.11 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010-11 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(10) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3673—राज्य छात्रवृत्तियां— मूल 11,236.30 पूरक 2,378.75 पुनर्वि. (—)75.52	13,539.53	13,539.53	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.52 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(11) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6140—छात्र भोजन सहाय योजना— मूल 278.00 पूरक 110.23 पुनर्वि. (—)77.70	310.53	310.53	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 77.70 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।				
(12) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7363—युवा कैरियर निर्माण योजना— मूल 227.30 पुनर्वि. (—)86.08	141.22	140.01	(—)1.21	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 86.08 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं कम मांग के कारण उल्लिखित की गई है।				

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(13) 2202—02—789—109—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7592—खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न— मूल 407.00 पुनर्वि. (-)217.03 189.97 189.97 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 217.03 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(14) 2202—02—789—110—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 307—अशासकीय संस्थाओं का अंशदान— मूल 426.00 पूरक 1,011.08 पुनर्वि. (-)27.73 1,409.35 1,409.35 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 27.73 लाख की कमी जिलों से कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(15) 2202—03—789—103—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 798—कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 4,572.40 पुनर्वि. (-)597.39 3,975.01 3,959.65 (-)15.36			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 597.39 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011—12 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(16) 2203—789—105—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2668—पोलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 811.58 पुनर्वि. (-)148.42 663.16 662.53 (-)0.63			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 148.42 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(17) 2204—789—104—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7819—युवा शक्ति योजना— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2210—01—789—110—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6967—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर— मूल 4,133.50 पुनर्वि. (-)653.78 3,479.72 3,468.43 (-)11.29			

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 653.78 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(–) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	---------------------------------

(19) 2210–01–789–110–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7397—छत्तीसगढ़ इमरजेंसी

मेडिकल रिस्पोंस सर्विसेस

योजना—

मूल 528.00

पुनर्वि. (–)396.00

132.00

132.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 396.00 लाख की कमी सरकार से विमुक्त निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2210–01–789–200–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7932—आयुष्मान भारत—

मूल 4,200.00

पुनर्वि. (–)600.00

3,600.00

2,520.00

(–)1,080.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 600.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(21) 2210–02–789–101–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

8951—आयुर्वेदिक चिकित्सा

महाविद्यालय बिलासपुर

426.50

315.68

(–)110.82

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 2210–03–789–103–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

1228—ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र

एवं औषधालय—

मूल 669.40

पुनर्वि. (–)289.63

379.77

366.27

(–)13.50

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 289.63 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011–12 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(23) 2210–03–789–198–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

मूल 5,213.30

पुनर्वि. (–)223.33

4,989.97

3,990.24

(–)999.73

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 223.33 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011–12 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(24) 2210—05—789—105—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6968—चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर— मूल 5,098.00 पुनर्वि. (—)942.56	4,155.44	4,154.41	(—)1.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 942.56 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(25) 2210—06—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7679—टी बी के रोकथाम हेतु पोषण आहार— मूल 200.00 पुनर्वि. (—)129.27	70.73	70.73	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 129.27 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(26) 2211—789—001—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 1508—जिला स्तरीय अमला— मूल 221.25 पुनर्वि. (—)134.69	86.56	85.84	(—)0.72
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.69 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2211—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 2,703.00 पुनर्वि. (—)807.21	1,895.79	1,925.83	+30.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 807.21 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2215—01—789—193—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6863—पलारी जल प्रदाय योजना— मूल 245.67 पुनर्वि. (—)147.40	98.27	98.27	0.00
समर्पण द्वारा ₹ 85.33 लाख की कमी एवं निधि की मांग नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 62.07 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 147.40 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 2215—02—789—107—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 5,400.00 पुनर्वि. (—)1,010.34	4,389.66	4,389.66	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,010.34 लाख की कमी राज्यांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
(₹ लाख में)			
(30) 2216–03–789–105–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7807—प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)— मूल 31,200.00 पुनर्वि. (–)21,406.09	9,793.91	9,793.91	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 21,406.09 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(31) 2217–80–789–191–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7706—अमृत मिशन— मूल 2,772.00 पूरक 9,040.00 पुनर्वि. (–)3,600.00	8,212.00	8,212.00	0.00
(32) 2217–80–789–191–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 3,800.00 पुनर्वि. (–)1,845.10	1,954.90	1,954.90	0.00
(33) 2217–80–789–192–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 1,300.00 पुनर्वि. (–)631.22	668.78	668.78	0.00
(34) 2217–80–789–193–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 900.00 पुनर्वि. (–)437.00	463.00	463.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (31) से (34) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,600.00 लाख, ₹ 1,845.10 लाख, ₹ 631.22 लाख, एवं ₹ 437.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(35) 2225–01–789–102–0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 4,700.00 पुनर्वि. (–)2,335.82	2,364.18	2,497.07	+132.89

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,335.82 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(36) 2225—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5631—अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण— मूल 350.00 पुनर्वि. (—)174.79 175.21 175.21 0.00				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 174.79 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(37) 2225—01—789—190—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3185—अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम की स्थापना— मूल 800.00 पुनर्वि. (—)480.00 320.00 320.00 0.00				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 480.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(38) 2230—03—789—003—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 1,300.00 पुनर्वि. (—)900.00 400.00 400.00 0.00				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 900.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(39) 2235—02—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 79—दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ शालाएं तथा संस्थाएं— मूल 241.15 पुनर्वि. (—)126.87 114.28 114.07 (—)0.21				
समर्पण द्वारा ₹ 111.46 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.41 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 126.87 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण एवं पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।				
(40) 2235—02—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)— मूल 3,144.79 पूरक 184.80 पुनर्वि. (—)2,040.17 1,289.42 1,289.42 0.00				

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
(41) 2235—02—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7884—प्रधानमंत्री मातृ वंदना— मूल 1,040.20 पुनर्वि. (−)447.47	592.73	592.73	0.00	
उपरोक्त क्रम संख्या (40) एवं (41) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,040.17 लाख एवं ₹ 447.47 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (40) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।				
(42) 2235—02—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 6,559.87 पूरक 4,162.35 पुनर्वि. (−)3,920.63	6,801.59	6,802.26	+0.67	
(43) 2235—02—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय— मूल 1,507.00 पूरक 114.00 पुनर्वि. (−)138.05	1,482.95	1,482.95	0.00	
(44) 2235—02—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7680—आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई. घटक— मूल 165.00 पूरक 50.00 पुनर्वि. (−)183.82	31.18	31.18	0.00	
उपरोक्त क्रम संख्या (42) से (44) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,920.63 लाख, ₹ 138.05 लाख एवं ₹ 183.82 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (43) एवं 2015–16 से 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (42) एवं (44) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।				
(45) 2236—02—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7361—सबला योजना— मूल 422.40 पुनर्वि. (−)212.91	209.49	209.49	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 212.91 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(46) 2236—02—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 9,005.50 पुनर्वि. (−)1,794.00	7,211.50	7,211.50	0.00	

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,794.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(47) 2236–02–789–101–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7747—महतारी जतन योजना—

मूल 301.30

पूरक 78.12

पुनर्वि. (–)92.52

286.90

286.90

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.52 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(48) 2236–02–789–101–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7765—मुख्यमंत्री अमृत योजना—

मूल 251.50

पूरक 100.00

पुनर्वि. (–)140.02

211.48

211.48

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 140.02 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(49) 2236–02–789–101–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

9050—न्यूनतम आवश्यकता

कार्यक्रम विशेष पोषण

आहार योजना—

मूल 242.30

पूरक 68.00

पुनर्वि. (–)137.33

172.97

172.97

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.33 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(50) 2401–789–102–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

6366—कृषक सहायता—

पूरक 100.00

पुनर्वि. (–)100.00

0.00

0.00

0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से विमुक्त राशि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(51) 2401–789–103–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

8972—धान उत्पादन पर

प्रोत्साहन योजना—

मूल 60,000.00

पूरक 13,736.00

पुनर्वि. (–)69,250.18

4,485.82

4,485.82

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69,250.18 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(52) 2401—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 1,652.00 पुनर्वि. (—)835.69 816.31 623.16 (—)193.15				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 835.69 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(53) 2401—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7266—एन.एम.एस.ए.रेनफेड एरिया डेवलपमेंटस्कीम— मूल 264.00 पुनर्वि. (—)208.08 55.92 55.92 0.00				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 208.08 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कार्य योजना अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(54) 2401—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7267—एन.एम.एस.ए. स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट योजना— मूल 203.00 पुनर्वि. (—)98.87 104.13 104.13 0.00				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.87 लाख की कमी बीज निगम द्वारा निर्धारित समय में सामग्री का मूल निर्धारण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(55) 2401—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 360.00 पुनर्वि. (—)94.67 265.33 265.33 0.00				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.67 लाख की कमी विमुक्त निधियों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(56) 2401—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7830—परम्परागत कृषि विकास योजना— मूल 347.00 पुनर्वि. (—)130.27 216.73 216.73 0.00				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 130.27 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधियों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(57) 2401—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7832—टारगेटेड राईस फेलो एरिया— मूल 1,140.00 पुनर्वि. (—)473.00 667.00 667.00 0.00				

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 473.00 लाख की कमी भारत सरकार से द्वितीय किश्त की राशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षन्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
(58) 2401–789–108–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—(हरित क्रांति)— मूल 1,920.00 पुनर्वि. (–)1,172.60	747.40	747.40	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,172.60 लाख की कमी भारत सरकार से द्वितीय किश्त की राशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षन्तर्गत बचत हुई थी।			
(59) 2401–789–108–0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7946—सौयाबीन उत्पादन पर प्रोत्साहन— मूल 120.00 पुनर्वि. (–)120.00	0.00	0.00	0.00
₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से विमुक्त निधियों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(60) 2401–789–109–0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7677—फसल दर्शन— मूल 120.00 पुनर्वि. (–)9.76	110.24	110.24	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9.76 लाख की कमी बीज कम्पनी द्वारा सामग्री की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(61) 2401–789–113–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 780.00 पुनर्वि. (–)226.56	553.44	553.44	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 226.56 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्ण लॉकडाउन होने से देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षन्तर्गत बचत हुई थी।			
(62) 2401–789–119–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 732.00 पुनर्वि. (–)367.81	364.19	364.19	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 367.81 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षन्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(63) 2401-789-119-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एन्ड आईलपॉम— मूल 168.00 पुनर्वि. (-)152.40 15.60 15.60 0.00 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 152.40 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(64) 2401-789-119-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाइ योजना— मूल 532.00 पुनर्वि. (-)336.44 195.56 195.56 0.00 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 336.44 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं चेम्पस् से देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(65) 2401-789-119-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन— मूल 2,460.00 पुनर्वि. (-)698.69 1,761.31 1,757.90 (-)3.41 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 698.69 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(66) 2401-789-119-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7874—एन.एम.एस.ए. नेशनल मिशन ऑनएग्रोफारेस्ट्री— मूल 144.00 पुनर्वि. (-)114.83 29.17 29.17 0.00 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 114.83 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(67) 2401-789-119-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7854—नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना— मूल 168.00 पुनर्वि. (-)118.30 49.70 49.70 0.00 पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 38.65 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 79.65 लाख की अन्य कमी नाबार्ड से ऋण राशि प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 118.30 लाख की कमी उल्लिखित की गई है (अगस्त 2020)। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(68) 2401—789—800—0313—नाबाड़ पोषित योजनायें— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7853—नाबाड़ पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00 0.00 0.00 0.00 ₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(69) 2403—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7257—राष्ट्रीय गौवंशीय, भैंसवंशीय परियोजना तथा पशुधन बीमा योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00 0.00 0.00 0.00 ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)				
(70) 2403—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8988—केन्द्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय ब्रुसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)89.98 10.02 0.00 (-)10.02 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 89.98 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।				
(71) 2403—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7621—नेशनल लाइवस्टॉक मिशन— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00 250.00 250.00 0.00 ₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(72) 2403—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1108—गहन पशु विकास परियोजना— मूल 396.74 पुनर्वि. (-)132.12 264.62 264.63 (-)0.01 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 132.12 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(73) 2406—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2533—हरियाली प्रसार योजना— मूल 1,880.00 पुनर्वि. (-)1,240.06 639.94 641.15 +1.21				

अनुदान संख्या 64—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 884.72 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 355.34 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,240.06 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण एवं पुनर्विनियोजन के कारण वनमण्डल से मांग न होने एवं वास्तविक रिकितयों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(74) 2406—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7930—मुख्यमंत्री बांस

विकास योजना—

मूल 144.00

पुनर्वि. (–)139.70

4.30

4.30

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.70 लाख की कमी अधीनस्थ कार्यालय द्वारा निधियों की मांग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(75) 2406—02—789—110—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं

अभ्यारण्यों का विकास—

मूल 132.90

पुनर्वि. (–)105.02

27.88

27.88

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.02 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(76) 2406—04—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7261—राष्ट्रीय वानिकी

कार्यक्रम—

मूल 770.00

पुनर्वि. (–)469.63

300.37

180.22

(–)120.15

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 469.63 लाख की कमी भारत सरकार से निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(77) 2408—01—789—003—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

8919—सार्वजनिक वितरण

प्रणाली का पूर्ण

कम्प्यूटरीकरण—

मूल 357.60

पुनर्वि. (–)357.60

0.00

0.00

0.00

₹ 357.60 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त वर्ष के दौरान योजना पूरी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
(78) 2408—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3229—नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति — मूल 1,216.00 पुनर्वि. (−)1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,216.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।				
(79) 2408—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7894—उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण— मूल 600.00 पुनर्वि. (−)300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.00 लाख की कमी विभाग से निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(80) 2505—60—789—196—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— पूरक 18,400.00 पुनर्वि. (−)6,628.21	11,771.79	11,771.79	11,771.79	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,628.21 लाख की कमी भारत सरकार से निधि के कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(81) 2801—80—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8914—विद्युत कम्पनियों को सहायता— मूल 614.00 पुनर्वि. (−)614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
₹ 614.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोषालय में पूँजीगत योजना का त्रुटिपूर्ण तरीके से राजस्व में वर्गीकृत किए जाने के परिणामतः देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।				
(82) 2851—789—103—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7910—हथकरघा वस्त्र बुनाई रोजगार सृजन— मूल 149.00 पुनर्वि. (−)149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
₹ 149.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा योजना का अनुमोदन नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।				

अनुदान संख्या 64—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)	बचत(—)
(1) 2202—01—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			
मूल 17,816.20			
पूरक 142.76			
पुनर्वि. (—)72.04	17,886.92	19,950.20	+2,063.28

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 72.04 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों द्वारा निधि की मांग के साथ आहरण नहीं किए जाने एवं देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(2) 2202—02—789—109—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

578—उच्चतर माध्यमिक

विद्यालय—

मूल 25,735.50

पूरक 317.60

पुनर्वि. (—)188.12

26,241.22

27,588.27

+1,347.05

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 265.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 76.88 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों द्वारा निधि की मांग एवं आहरण नहीं किए जाने एवं देयक प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 188.12 लाख का आवधन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(3) 2202—01—789—200—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

8645—मुख्यमंत्री स्वास्थ्य

बीमा योजना

2,100.00

2,940.00

+840.00

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(4) 2210—03—789—197—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

5998—सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्र—

मूल 2,319.70

पुनर्वि. (—)273.62

2,046.08

2,102.29

+56.21

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 273.62 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(5) 2210—03—789—198—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

620—उप स्वास्थ्य केन्द्र—

मूल 768.40

पुनर्वि. (—)28.45

739.95

1,704.03

+964.08

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 28.45 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(6) 2210—06—789—200—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6363—मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	0.00	240.00	+240.00
आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(7) 2401—789—109—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन	480.00	494.31	+14.31
आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(8) 2406—04—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7856—ग्रीन इण्डिया मिशन	64.00	184.15	+120.15
आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

प्रभारित—

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2019 (₹ 589.36 लाख), दिसम्बर 2019 (₹ 4,525.68 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 1,620.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,735.04 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 59,536.19 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 37,575.50 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(1) 4202—01—789—202—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 1400—विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना— मूल 1,238.00 पुनर्वि. (-)1,238.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,238.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4202—01—789—202—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1400—विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना— मूल 738.00 पुनर्वि. (-)265.53	472.47	472.47	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 265.53 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
(3) 4202-01-789-203-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5086—महाविद्यालय भवनों का निर्माण	335.00	29.59		(−)305.41
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।				
(4) 4202-02-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 357.00 पुनर्वि. (−)335.48	21.52	21.02		(−)0.49
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 335.48 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2010-11 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(5) 4202-02-789-104-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 100.00 पुनर्वि. (−)98.78	1.22	0.00		(−)1.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.78 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(6) 4202-01-789-104-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 141.00 पुनर्वि. (−)141.00	0.00	0.00		0.00
₹ 141.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं जेम्स में तकनीकी समस्या के कारण क्रय प्रक्रिया विलम्ब से शुरू होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(7) 4202-01-789-104-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8071—पॉलीटेक्निक भवनों का निर्माण	99.70	0.00		(−)99.70
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(8) 4210-01-789-110-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6967—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर— मूल 525.00 पुनर्वि. (−)525.00	0.00	0.00		0.00
₹ 525.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिकार्य+ बचत(—)
(9) 4210—01—789—110—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6968—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर— मूल 346.55 पुनर्वि. (—)346.55 0.00 0.00 0.00				

₹ 346.55 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(10) 4210—02—789—110—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6967—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध अस्पताल बिलासपुर— मूल 600.00 पूरक 50.00 पुनर्वि. (—)639.58 10.42 10.42 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 639.58 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 4210—03—789—105—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6968—चिकित्सा माविद्यालय, बिलासपुर— मूल 440.00 पुनर्वि. (—)440.00 0.00 0.00 0.00

₹ 440.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 4215—01—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7353—राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम— मूल 4,680.00 पुनर्वि. (—)3,122.28 1,557.72 1,552.63 (—)5.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,122.28 लाख की कमी योजना में अंतर एवं पी.एफ.एम.एस. के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 4215—01—789—102—0313—नाबाड़ पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 1,295.00 पूरक 252.00 पुनर्वि. (—)1,070.76 476.24 436.45 (—)39.79

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,070.76 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(14) 4215—01—789—102—0313—नाबाड़ पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7858—सौर उर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00

₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 4215—01—789—102—0313—नाबाड़ पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7961—गिरोदपुरी समूह नल जल योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 4215—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 740.00 पुनर्वि. (-)416.22	323.78	362.15	+38.37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 416.22 लाख की कमी निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 4225—01—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7699—प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना— मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)3,838.99	161.01	158.31	(-)2.70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,838.99 लाख की कमी निधि की कम मांग किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 4225—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5616—गिरोदपुरी एवं भंडारपुरी का समचित विकास— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(19) 4525—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5631—अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण— मूल 3,200.00 पुनर्वि. (—)431.86 2,768.14 2,793.49 +25.35			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 431.86 लाख की कमी निधि की कम मांग किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 4250—789—203—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 976—औ.प्र.स.कार्यालय भवनों निर्माण 218.00 70.89 (—)147.11			
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(21) 4515—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7759—श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन— मूल 1,320.00 पुनर्वि. (—)1,320.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 1,320.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि का उपयोग नहीं किए जाने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 4700—01—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 400.00 पुनर्वि. (—)271.05 128.95 128.95 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 271.05 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 4700—02—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (—)1,242.49 1,257.51 1,247.18 (—)10.33			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,242.49 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 4700—08—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य— मूल 520.00 पुनर्वि. (—)520.00 0.00 0.00 0.00			

अनुदान संख्या 64—जारी

₹ 520.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निविदा कार्य की धीमी प्रगति एवं भूमि अधिग्रहण प्रकरण का निपटारा नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(25) 4700–10–789–800–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

2884—नहर तथा उससे

संबंधित कार्य—

मूल 1,000.00

पुनर्वि. (–)1,000.00

0.00

0.00

0.00

₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(26) 4700–11–789–800–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

2884—नहर तथा उससे

संबंधित कार्य—

मूल 800.00

पुनर्वि. (–)508.69

291.31

291.31

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 508.69 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।

(27) 4700–12–789–800–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

2884—नहर तथा उससे

संबंधित कार्य—

मूल 1,800.00

पुनर्वि. (–)1,627.61

172.39

172.39

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,627.61 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।

(28) 4702–789–101–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

3828—लघु सिंचाई योजना—

मूल 2,550.00

पुनर्वि. (–)496.47

2,053.53

2,044.80

(–)8.73

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 496.47 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(29) 4702–789–102–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

5059—एनिकट/स्टापडेम

का निर्माण—

मूल 3,000.00

पुनर्वि. (–)1,765.79

1,234.21

1,234.21

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,765.79 लाख की कमी नवीन योजना हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने, एजेंसी का निर्धारण नहीं होने तथा निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2008–09 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
(30) 4702-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7422—आधौगिक जल संरचना निर्माण— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (−)1,224.78	1,275.22	1,275.22	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,224.78 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण प्रकरण का निपटारा नहीं होने तथा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(31) 4801-02-789-190-0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7498—पूँजीगत व्यय विद्युत

पारेषण/उत्पादन/

वितरण कम्पनी—

मूल 1,144.80

पुनर्वि. (−)1,144.80

0.00

0.00

0.00

₹ 1,144.80 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(32) 4801-80-789-101-0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

8548—मुख्यमंत्री शहरी

विद्युतीकरण योजना—

मूल 420.00

पुनर्वि. (−)252.00

168.00

168.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 252.00 लाख की कमी योजना हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं विभाग प्रक्रिया में विलम्ब के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(33) 5054-03-789-101-0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7976—जवाहर सेतु योजना—

742.50

0.00

(−)742.50

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(34) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

6590—नाबार्ड ऋण सहायता

के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों

का निर्माण

2,000.00

711.18

(−)1,288.82

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2012-13 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(35) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7475—मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क

एवं विकास योजना—

मूल 5,000.00

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि. (−)3,832.93

1,167.07

843.00

(−)324.07

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,832.93 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(36) 5054—04—789—337—0313—नाबाड़ पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7813—ई पी सी (नाबाड़) के माध्यम से सङ्क निर्माण 100.00 0.00 100.00 बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(37) 5054—04—789—337—0313—नाबाड़ पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (—)720.50 279.50 142.17 (—)137.33				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 720.50 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2012—13 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(38) 5054—04—789—337—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9002—अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सङ्कों का निर्माण— मूल 21,000.00 पुनर्वि. (—)1,000.00 20,000.00 9,959.33 (—)10,040.67				
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2012—13 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(39) 5054—05—789—337—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7818—ई.पी.सी. (इंजीरियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन) बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।	8,240.00	260.51		(—)7,979.49
(40) 6215—01—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2182—नगरीय नई जल प्रदाय योजना— मूल 640.00 पुनर्वि. (—)613.57 26.43 26.43 0.00				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 613.57 लाख की कमी ऋण की स्वीकृति के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(41) 6425—789—108—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5055—सहकारी शक्कर कारखाना— मूल 1,300.00 पुनर्वि. (—)1,300.00 0.00 0.00 0.00				
₹ 1,300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।				

अनुदान संख्या 64—समाप्त

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

4225—01—789—102—0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत

सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित—

7626—विशेष केन्द्रीय सहायता से

पोषित योजनाएँ से स्थानीय

विकास कार्यक्रम—

मूल 5,177.00

पुनर्वि. (—)5,177.00

0.00

63.00

+63.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,177.00 लाख की कमी निधियों के कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।
अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 65—विमानन विभाग

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	(रु हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	------------------	---------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2052—सचिवालय—सामान्य सेवायें

5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	4,78,940			
पूरक	30,000	5,08,940	4,18,647	(—)90,293
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				89,727

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	10	00	(—)10
			10

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	2,00,500			
पूरक	5,00,000	7,00,500	00	(—)7,00,500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				7,00,500

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 300.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 902.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 897.27 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

2052—091—4043—विमान

संचालनालय—

मूल	4,789.40			
पूरक	300.00			
पुनर्वि.	(—)897.27	4,192.13	4,186.47	(—)5.66

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 897.27 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं क्षेत्रीय संयोजन योजना के अन्तर्गत वायु सेवा संचालित नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2004—05 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iv) वर्ष के दौरान ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 से 2018—19 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगतः:

दत्तमत—

(v) वर्ष के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। दिसंबर 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 5,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहा जबकि मार्च 2020 में सांकेतिक प्रावधान किया गया। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) वर्ष के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 30 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 5053—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4727—हवाई पट्टियों का

निर्माण एवं विस्तार—

मूल 2,005.00

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि. (—)2,005.00

0.00

0.00

0.00

₹ 2,005.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जगदलपुर, अम्बिकापुर, एवं बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास कार्य केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से एयरपोर्ट विकास हेतु प्राप्त प्रतिपूर्ति राशि से एवं माना एयरपोर्ट विस्तार हेतु अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा राशि की मांग नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 5053—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4043—विमानन संचालनालय—

मूल 500.00

पुनर्वि. (—)500.00

0.00

0.00

0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन के लिए नवीन शासकीय विमान क्रय किए जाने की प्रशासकीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 66—पिछडा वर्ग कल्याण

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत(-)
---------------	----------------------------------	--------------------

मुख्य शीर्ष-

2202—सामान्य शिक्षा

2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

4202—शिक्षा, खेलकृद, कला तथा संस्कृति पर पुंजीगत परिव्यय

4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पंजीयन परिव्यय

३४८

मूल	24,18,620			
पूरक	40,439	24,59,059	15,32,118	(-)9,26,941
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,30,864
(31 मार्च 2020)				

पूंजीगत 2,47,300 33,800 (**-**)2,13,500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 2,13,500
(31 मार्च 2020)

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्वः

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 21.01 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 383.38 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 404.39 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 9,269.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 9,308.64 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2202-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

5904—पाठ्य पुस्तकों का

निःशुल्क प्रदाय—

मूल	350.00			
पूरक	383.38			
पुनर्वि.	(-)384.03	349.35	349.35	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 384.03 लाख की कमी भुगतान हेतु पाठ्य पुस्तक निगम से देयक विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2202-02-109-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-

8050—छात्रवृत्तियां—

মূল 2,460.00
পুনর্বি. (-) 1,571.74 888.26 883.97 (-) 4.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,571.74 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने (₹ 660.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। समर्पण द्वारा ₹ 911.74 लाख की शेष कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1395—छात्रावास— मूल 460.60 पुनर्वि. (-)106.06 354.54 353.86 (-)0.68			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 106.06 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(4) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3673—राज्य छात्रवृत्तियां— मूल 17,700.00 पुनर्वि. (-)6,720.00 10,980.00 10,980.00 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,720.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014-15 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7363—युवा वाहक विकास योजना— मूल 162.70 पुनर्वि. (-)116.78 45.92 83.52 +37.60			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 116.78 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 979—क्रीड़ा परिसर— मूल 101.50 पुनर्वि. (-)76.97 24.53 24.53 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 76.97 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2225-03-102-6749—राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग— मूल 173.10 पुनर्वि. (-)56.92 116.18 118.05 +1.87			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 56.92 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(8) 2225-04-102-5073—अल्पसंख्यक आयोग— मूल 268.40 पुनर्वि. (-)64.30 204.10 207.74 +3.64			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 64.30 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2225-04-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7605—अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजना— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

पूँजीगतः

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(-) (₹ लाख में)
(1) 4202—01—202—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 1400—विवेकानंद गुरुकूल उन्नयन योजना—	मूल पुनर्वि.	159.00 (-)159.00	0.00	0.00
				₹ 159.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि के प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202—01—202—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—
1395—छात्रावास—

मूल पुनर्वि.	200.00 (-)200.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	---------------------	------	------	------

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4202—01—202—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
1400—विवेकानंद गुरुकूल
उन्नयन योजना—

मूल पुनर्वि.	200.00 (-)200.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	---------------------	------	------	------

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4225—03—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
5096—राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं

विकास निगम को अंशपूँजी—				
मूल पुनर्वि.	150.00 (-)90.00	60.00	60.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4225—04—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—
7605—अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय

विकास योजना—				
मूल पुनर्वि.	1,339.00 (-)1,171.00	168.00	168.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,171.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि के प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4225—04—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
9410—हज कमेटी को

सहायता अनुदान—				
मूल पुनर्वि.	200.00 (-)200.00	0.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(7) 4225—04—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7978— दामाखेड़ा का			
एकीकृत विकास—			
मूल 100.00			
पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

- 2059—लोक निर्माण कार्य
 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं
 2205—कला एवं संस्कृति
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211—परिवार कल्याण
 2216—आवास
 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
 2230—श्रम तथा रोजगार
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2403—पशुपालन
 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
 2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग
 2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
 4059—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 4403—पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय
 4405—मीन उद्योग पर पूंजी परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत	66,37,197	57,62,287	(—)8,74,910
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			3,085
(31 मार्च 2020)			
प्रभारित	4,600	2,745	(—)1,855
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00

पूंजीगत :

दत्तमत—			
मूल	66,83,521		
पूरक	72,301	67,55,822	26,77,330
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)40,78,492
(31 मार्च 2020)			57,209

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 8,749.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 30.85 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 67—जारी

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(1) 2059—01—053—1481—जिला प्रशासन	447.00	381.86	(—)65.14

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई।

(2) 2059—01—053—3125—भू—राजस्व—

मूल	664.00		
पुनर्वि.	(—)200.00	464.00	229.42

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई।

(3) 2059—01—053—3383—विशेष मरम्मत—

भवन—

मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(—)560.00	940.00	781.09

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 560.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई।

(4) 2059—01—053—3387—मरम्मत—

विश्राम गृह—

मूल	841.00		
पुनर्वि.	(—)80.00	761.00	714.37

(5) 2059—01—053—4144—अस्पतालों एवं

चिकित्सालयों का निर्माण—

(मूलभूत सेवाओं हेतु)—			
मूल	1,193.00		
पुनर्वि.	(—)200.00	993.00	884.38

(—)108.62

(6) 2059—01—053—4608—मुद्रांक एवं

पंजीयन—

मूल	144.00		
पुनर्वि.	(—)100.00	44.00	37.49

(—)6.51

उपरोक्त क्रम संख्या (4), (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से कमशः ₹ 80.00 लाख, ₹ 200.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(7) 2059—01—053—7479—छत्तीसगढ़ सदन

नई दिल्ली—

मूल	125.00		
पुनर्वि.	(—)75.00	50.00	38.56

(—)11.44

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 75.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(8) 2059—60—053—3645—राजकीय उच्चतर विद्यालय

एवं महाविद्यालयों भवनों

के रख रखाव	979.00	869.32	
------------	--------	--------	--

(—)109.68

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2059–60–053–3647—राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का रख रखाव—			
मूल	1,242.00		
पुनर्वि.	(-)340.00	902.00	845.92
			(-)56.08
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 340.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई।			
(10) 2059–60–053–4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	555.00	461.84	(-)93.16
(11) 2059–60–053–5056—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	265.00	186.60	(-)78.40
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015–16 से 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं 2016–17 से 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(12) 2059–60–053–794—कला और संस्कृति भवनों का रख रखाव—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)35.00	265.00	141.38
			(-)123.62
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 35.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(13) 2059–80–001–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—2418—कियान्वयन	31,867.05	30,975.71	(-)891.34
(14) 2059–80–001–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—3300—मण्डल रथापना	2,101.51	1,624.80	(-)476.71
उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016–17 से 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(15) 2059–80–052–9269—मशीनों का नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन—			
मूल	470.00		
पुनर्वि.	(-)25.00	445.00	342.20
			(-)102.80
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 25.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014–15 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई।			
(16) 2059–80–799–1051—स्टॉक—			
मूल	552.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	52.00	56.87
			+4.87
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 500.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011–12 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरतं बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(17) 2216—05—053—4095—विशेष

मरम्मतें—

मूल

1,487.00

पुनर्वि.

(-)100.00

1,387.00

1,153.22

(-)233.78

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई।

(18) 2216—80—001—2300—निर्देशन एवं प्रशासन—

(मांग संख्या 67—2059 लोक निर्माण

कार्य से अंतरित रथापना) का

समानुपातिक भाग

3,605.10

327.99

(-)3,277.11

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(19) 2216—80—052—692—औजार एवं संयंत्र प्रभार

(मांग संख्या 67—2059 लोक निर्माण

कार्य से अंतरित औजार एवं संयंत्र

का समानुपातिक भाग)

1,293.30

4.12

(-)1,289.18

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059—01—053—3692—राज्य विधान			

मण्डल—

मूल

120.00

पुनर्वि.

60.00

180.00

342.63

+162.63

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.00 लाख का आवर्धन बकायों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम अधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत अधिक्य हुआ था।

(2) 2059—60—053—7755—अतिविशिष्ट

अतिथियों का भ्रमण—

मूल

5,000.00

पुनर्वि.

1,600.00

6,600.00

6,584.59

(-)15.41

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,600.00 लाख का आवर्धन बकायों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत अधिक्य हुआ था।

(3) 2059—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3566—मुख्यालय रथापना—

मूल

3,059.56

पुनर्वि.

100.00

3,159.56

2,476.57

(-)682.99

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का आवर्धन बकायों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(4) 2216—05—053—4489—सामान्य

मरम्मते—

मूल	1,500.00			
पुनर्वि.	200.00	1,700.00	1,658.69	(—)41.31

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 200.00 लाख का आवर्धन बकायों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(iv) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय को "2059—लोक निर्माण कार्य उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया गया है। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे की टीप (v) में दिए गए हैं।

वर्ष 2019—20 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2019 को नामे (+)/ जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2020 को नामे (+)/ जमा (-)
2059—लोक निर्माण कार्य—	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(—) 2,282.95	0.00	0.00	(—) 2,282.95
(ii) भण्डार	+1,729.29	56.87	0.00	+1,786.16
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 7,289.81	37.39	0.61	+ 7,326.59
योग	+ 6,736.15	94.26	0.61	+6,829.80

प्रभारित—

(v) ₹ 18.55 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2059—80—800—1835—डिक्री धन का भुगतान 35.00 27.45 (—)7.55

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2059—80—800—1836—डिक्री धन का भुगतान 11.00 0.00 (—)11.00

सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

पूँजीगत

दत्तमत—

(vii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा अगस्त 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 723.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(viii) ₹ 40,784.92 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 केवल ₹ 572.09 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 67—जारी

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्षक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(1) 4059—01—051—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6333—भू—राजस्व कार्यालय भवन	161.40	25.27	(—)136.13
(2) 4059—01—051—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2450—न्याय प्रशासन	6,241.40	821.88	(—)5,419.52
(3) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2407—निर्वाचन	184.79	108.10	(—)76.69
(4) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2449—न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)	200.00	1.58	(—)198.42
(5) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2450—न्याय प्रशासन	1,500.00	253.67	(—)1,246.33
(6) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2716—प्रशासनिक अकादमी	475.00	3.96	(—)471.04
(7) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3342—छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली	504.00	0.57	(—)503.43
(8) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3643—राज भवन	95.00	15.13	(—)79.87

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) एवं 2016—17 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(9) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3755—राष्ट्रीय सैन्य दल	1,437.54	0.00	(—)1,437.54
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(10) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3855—लोक निर्माण कार्य—भवन	10,000.00	8,137.60	(—)1,862.40
(11) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4606—स्टॉम्प एवं पंजीयन	1,220.00	104.23	(—)1,115.77
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) से एवं 2016—17 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(12) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5049—राज्य विधान मण्डल— मूल 500.00 पूरक 48.00	548.00	20.72	(—)527.28

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिकय+
बचत(—)

(13) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5600—परिवहन कार्यालय

भवन का निर्माण—

मूल 289.00

पुनर्वि. (—)153.00

136.00

51.53

(—)84.47

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 153.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5651—होम गार्ड परिसर में निर्माण

374.90

138.97

(—)235.93

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5918—सामान्य प्रशासन

विभाग—

मूल 1,200.00

पुनर्वि. (—)10.00

1,190.00

53.53

(—)1,136.47

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई।

(16) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6220—लोक निर्माण विभाग

74.00

0.00

(—)74.00

(17) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6262—राज्य चुनाव आयोग

100.00

0.00

(—)100.00

उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(18) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6333—भू—राजस्व कार्यालय भवन

886.20

438.29

(—)447.91

(19) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7716—मैदानी कार्यालय, अग्निशमन एवं

आपातकालीन सेवाएं

700.00

362.81

(—)337.19

उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7717—प्रशिक्षण केन्द्र, अग्निशमन एवं

आपातकालीन सेवाएं

510.00

0.00

(—)510.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7718—आपातकालीन सेवाएं

113.00

29.90

(—)83.10

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−) (₹ लाख में)
(22) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8040—जेल भवनों का निर्माण— मूल 2,000.01 पूरक 200.00 2,200.01 1,452.52 (−)747.49			
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2008—09 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरतं बचत दृष्टिगत हुई है।			
(23) 4059—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5918—सामान्य प्रशासन विभाग 350.00 0.00 (−)350.00			
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(24) 4059—60—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9262—जिला सैनिक बोर्ड 148.00 0.00 (−)148.00			
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(25) 4059—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2418—निष्पादन 178.00 65.89 (−)112.11			
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 4202—01—202—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1502—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए) 150.00 0.00 (−)150.00			
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 4202—01—202—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3490—माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण— मूल 9,683.00 पूरक 25.00 9,708.00 5,852.54 (−)3,855.46			
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5086—कॉलेज भवन का निर्माण 2,500.00 1,271.57 (−)1,228.43			
(29) 4202—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4402—शासकीय शैक्षणिक महाविद्यालय 279.00 59.04 (−)219.96			
(30) 4202—02—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8071—पॉलीटेक्निक भवनों का निर्माण 1,167.00 983.41 (−)183.59			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
		(₹ लाख में)	
(31) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5226—मूलभूत सुविधाओं का विकास— स्टेडियम इत्यादि	3,600.00	1,433.29	(−)2,166.71

उपरोक्त क्रम संख्या (28) से (31) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018-19 दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (29) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2012-13 से 2018-19 के दौरान क्रम संख्या (30) के शीर्षान्तर्गत निरतं बचत दृष्टिगत हुई है।

(32) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5908—खेल प्रशिक्षण भवन का निर्माण	199.00	0.00	(−)199.00
---------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	-----------

(33) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8984—युवा छात्रावास	90.00	0.00	(−)90.00
----------------------------------------------------------------------	-------	------	----------

उपरोक्त क्रम संख्या (32) एवं (33) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (32) एवं 2015-16 से 2018-19 के दौरान क्रम संख्या (33) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(34) 4210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4144—अस्पताल एवं औषधालय भवनों का निर्माण—मूलभूत सेवाओं के लिये— मूल पुनर्वि.	120.00 (−)60.00	60.00	0.00	(−)60.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------	------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(35) 4210-02-101-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	145.00	0.00	(−)145.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	-----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(36) 4210-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य) — 4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण— मूल पुनर्वि.	140.00 (−)37.49	102.51	56.41	(−)46.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------	-------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 37.49 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(37) 4210-02-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5056—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण— मूल पुनर्वि.	240.00 (−)57.60	182.40	0.00	(−)182.40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------	------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 57.60 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(38) 4210-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	1,057.00	59.03	(−)997.97
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(39) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4220—शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय	3,000.00	1,971.99	(—)1,028.01
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013—14 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(40) 4216—01—106—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6222—न्याय प्रशासन के आवास गृह का निर्माण	10,013.00	1,397.68	(—)8,615.32
(41) 4216—01—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3125—भू राजस्व	110.30	26.25	(—)84.05
(42) 4216—01—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5640—उच्च न्यायालय हेतु आवासीय केम्पस का निर्माण	2,301.00	155.36	(—)2,145.64
उपरोक्त क्रम संख्या (40) से (42) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम (40) एवं 2016—17 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (42) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(43) 4216—01—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5918—सामान्य प्रशासन विभाग	608.33	518.15	(—)90.18
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(44) 4216—01—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6222—न्याय प्रशासन के आवास गृह का निर्माण	254.80	0.00	(—)254.80
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(45) 4235—02—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7446—समाज कल्याण संस्थाओं का एकीकृत परिसर (माना केम्प) / घरौंदा योजना	160.00	80.06	(—)79.94
(46) 4250—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8935—लाइवलीहुड कालेज— मूल 223.20 पूरक 100.00	323.20	159.49	(—)163.71
(47) 4250—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 976—आई. टी. आई. कार्यालय भवनों का निर्माण	329.00	189.04	(—)139.96
उपरोक्त क्रम संख्या (45) से (47) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (46) एवं 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (47) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(48) 4403—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5620—प्राणियों के बीमारियों पर नियंत्रण— मूल 50.00 पुनर्वि. (—)50.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 67—समाप्त

ੴ ਸਤਿਗੁਰ

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(रुपयोग में)

आधिक्य+
बचत(−)

(49) 4403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

6781—पशुपालन विभाग भवन—

मूल 250.00

पुनर्वि. (-)250.00

0.00

0.00

0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (48) एवं (49) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018-19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (49) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)आधिकर्य+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय

4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत	13,22,724	5,34,440	(—) 7,88,284
वर्ष के दौरान अम्यर्पित राशि			15,918
(31 मार्च 2020)			

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) ₹ 7,882.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 159.18 लाख की राशि अम्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकर्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4059—01—796—051—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6333—भू—राजस्व कार्यालय—भवन	1,277.33	248.97	(—) 1,028.36
-----------------------------	----------	--------	--------------

(2) 4059—01—796—051—0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—

6333—भू—राजस्व— कार्यालय भवन	102.00	40.79	(—) 61.21
---------------------------------	--------	-------	-----------

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(3) 4202—01—796—202—0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—

3490—माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण— मूल	1,950.90		
पूनर्वि.	(—) 70.00	1,880.90	604.09
			(—) 1,276.81

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 68—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4202—01—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5086—कॉलेज भवनों का निर्माण	1,466.28	1,065.64	(-)400.64
(5) 4202—02—796—104—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8071—पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण	1,200.00	322.54	(-)877.46
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2012—13 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 4202—02—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 515—इंजीनियरिंग / तकनीकी कालेजों एवं संस्थानों हेतु भवनों का निर्माण	178.00	0.00	(-)178.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(7) 4202—03—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5226—मूलभूत सुविधाओं का विकास— स्टेडियम आदि—	446.00	366.68	(-)79.32
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4210—02—796—104—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5056—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण— मूल 96.00 पुनर्वि. (-)57.60	38.40	0.00	(-)38.40
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 57.60 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(9) 4210—02—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5057—चिकित्सालयों में शयाओं की वृद्धि	170.00	0.00	(-)170.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(10) 4210—03—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4220—शिक्षा—चिकित्सा महाविद्यालय	3,030.90	567.81	(-)2,463.09
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

अनुदान संख्या 68—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(11) 4216—01—796—106—0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—

5918—सामान्य प्रशासन

विभाग

517.00

423.36

(-)93.64

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई।

(12) 4216—01—796—106—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

6333—भू—राजस्व कार्यालय भवन

50.00

0.00

(-)50.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(13) 4225—02—796—277—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

9840—शैक्षणिक संस्थाओं

के भवनों का निर्माण

246.03

64.89

(-)181.14

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई।

(14) 4250—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

8935—लाइवलीहुड

कालेज

743.00

412.33

(-)330.67

(15) 4250—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

976—ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं

कार्यालय भवनों का निर्माण—

750.00

568.66

(-)181.34

उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण
(सभी दत्तमत)

कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—**2049—ब्याज का भुगतान****2217—शहरी विकास****राजस्व:**

मूल	94,62,377			
पूरक	21,66,000	1,16,28,377	38,71,354	(—)77,57,023
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				77,57,023

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 960.00 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 20,700.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 21,660.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2049—60—701—7709—सबके लिए

आवास योजना—

मूल	9,000.00			
पुनर्वि.	(—)7,617.00	1,383.00	1,383.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,617.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2217—80—191—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)—

7610—स्वच्छ भारत

अभियान—

मूल	372.60			
पुनर्वि.	(—)78.50	294.10	294.10	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 78.50 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2217—80—191—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)—

7685—स्मार्ट सिटी—

मूल	39,600.00			
पुनर्वि.	(—)39,600.00	0.00	0.00	0.00

₹ 39,600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2217—80—191—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7706—अमृत अभियान—

मूल	16,208.00			
पूरक	21,660.00			
पुनर्वि.	(—)7,189.60	30,678.40	30,678.40	0.00

अनुदान संख्या 69—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(5) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 16,800.00 पुनर्वि. (-)15,653.24	1,146.76	1,146.76	0.00
(6) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 5,500.00 पुनर्वि. (-)4,904.60	595.40	595.40	0.00
(7) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 2,700.00 पुनर्वि. (-)2,527.29	172.71	172.71	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 7,189.60 लाख, ₹ 15,653.24 लाख, ₹ 4,904.60 लाख एवं ₹ 2,527.29 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं 2016-17 से 2018-19 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 71—सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

3275—अन्य दूरसंचार सेवायें

5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

मूल	12,11,697			
पूरक	81,100	12,92,797	7,13,850	(—)5,78,947
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				5,78,947
(31 मार्च 2020)				

पूँजीगत:

मूल	78,301			
पूरक	15,00,000	15,78,301	15,00,000	(—)78,301
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				78,301
(31 मार्च 2020)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 811.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 3275—800—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

7919—छत्तीसगढ़ पब्लिक फायरेंस मेनेजमेंट—				
मूल	2,543.00			
पुनर्वि.	(—)2,393.00	150.00	150.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,393.00 लाख की कमी निधियों की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 3275—800—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

7937—आधार डाटा वाल्ट परियोजना—				
मूल	50.00			
पुनर्वि.	(—)50.00	0.00	0.00	0.00

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान परियोजना के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना में संविलियन होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(3) 3275—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)—

7900—छत्तीसगढ़ स्टेट स्पेशल डाटा इनफास्ट्रक्चर—				
मूल	86.05			
पुनर्वि.	(—)86.05	0.00	0.00	0.00

₹ 86.05 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 71—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	--------------------

(4) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6894—डिजिटल गर्वनमेंट

की स्थापना—

मूल 500.00

पुनर्वि. (—)464.30

35.70

35.70

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 445.00 लाख की कमी, नीति का निर्णय नहीं होने से परियोजना लंबित होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 19.30 लाख की अन्य कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 464.30 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(5) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6924—सामान्य सेवा

केन्द्र परियोजना—

मूल 300.00

पुनर्वि. (—)300.00

0.00

0.00

0.00

₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने से निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(6) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7270—ई जिला परियोजना—

मूल 700.00

पूरक 811.00

पुनर्वि. (—)249.00

1,262.00

1,262.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 249.00 लाख की कमी तकनीकी कारणों से निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7276—स्टेट डाटा सेंटर

की स्थापना—

मूल 3,138.00

पुनर्वि. (—)2,191.00

947.00

947.00

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 146.84 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,044.16 लाख की अन्य कमी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,191.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7775—नागरिक संबंध केन्द्र

परियोजना—

मूल 300.00

पुनर्वि. (—)180.00

120.00

120.00

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 180.00 लाख की कमी वर्तमान में प्रोजेक्ट कार्यरत नहीं होने एवं राज्य द्वारा परिवर्तित किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7873—आधार परियोजना

(विशिष्ट पहचान)—

पूरक 120.00

पुनर्वि. (—)120.00

0.00

0.00

0.00

₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित मंत्रालय द्वारा विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 71—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(10) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7966—राज्य पोर्टल
परियोजना—
मूल 148.00
पुनर्वि. (—)148.00

0.00 0.00 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 138.00 लाख की कमी राज्य पोर्टल की रूपरेखा का अन्तिम निर्णय नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख की अन्य कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से ₹ 148.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(11) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8546—मुख्यमंत्री डैश
बोर्ड योजना—
पूरक 228.00
पुनर्वि. (—)171.67

56.33 56.33 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी सरकार द्वारा दिनांक 01/06/2019 से परियोजना को बंद किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 71.67 लाख की अन्य कमी आहरण की अनुमति प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 171.67 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8955—राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की योजना—
मूल 1,000.00
पुनर्वि. (—)570.00

430.00 430.00 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 570.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसन्तुलित हुईः—

(1) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6818—स्वान परियोजना—
मूल 1,800.00
पुनर्वि. 286.28

2,086.28 2,086.28 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 290.00 लाख की वृद्धि लंबित दायित्वों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 3.72 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 286.28 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(2) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7612—एकीकृत ई—प्रोक्युरमेंट
परियोजना—
मूल 0.01
पुनर्वि. 237.98

237.99 237.99 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 237.99 लाख की वृद्धि लंबित देयकों का भुगतान किए जाने एवं बजट प्रावधान नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.01 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 237.98 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 71—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(3) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7752—कोर इनक्यूबेटर सह एक्सीलरेटर संस्थान— मूल 244.80 पुनर्वि. 201.58	446.38	446.38	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 259.34 लाख की वृद्धि लंबित देयकों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 57.76 लाख की कमी वित्त विभाग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 201.58 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(4) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7773—सेन्ट्रल मॉनिटरिंग यूनिट फार इन्फास्ट्रक्चर— मूल 136.47 पुनर्वि. 127.06	263.53	263.53	0.00
---------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 133.53 लाख की वृद्धि लंबित देयकों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 6.47 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 127.06 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(5) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8922—मुख्य मंत्री सुशासन फेलोशिप योजना— मूल 0.01 पुनर्वि. 320.99	321.00	321.00	0.00
---------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 328.99 लाख की वृद्धि लंबित देयकों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 8.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 320.99 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

पूँजीगत :

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
5275—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7892—भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु— मूल 783.00 पुनर्वि. (-)783.00	0.00	0.00	0.00

₹ 783.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 75—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

- 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत	70,00,000	20,11,181	(—)49,88,819
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			49,88,504
टीका एवं टिप्पणियां			

पूंजीगत :

(i) ₹ 49,888.19 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 49,885.04 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 4700—02—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—

5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)—			
मूल	14,780.00		
पुनर्वि.	(—)11,630.41	3,149.59	3,149.43

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,630.41 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति के कारण कम भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4700—03—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—

5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)—			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(—)3,902.46	1,097.54	1,097.19

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,902.46 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति के कारण कम भुगतान किए जाने एवं भूमि मुआवजे पर अधिभार का निर्धारण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4700—05—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—

5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)—			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(—)1,490.23	1,009.77	1,009.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,490.23 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4700—07—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—

5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)—			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(—)150.00	0.00	0.00

₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 75—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,157.35 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(11) 4700-12-800-0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)3,123.03 3,876.97 3,876.98 +0.01			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,123.03 लाख की कमी, निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति एवं निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4701-01-800-0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)164.62 35.38 35.36 (-)0.02			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 164.62 लाख की कमी, कार्य की धीमी प्रगति के कारण कम भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4701-05-800-0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)497.17 2.83 2.83 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 497.17 लाख की कमी, नवीन कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4701-08-800-0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)— मूल 490.00 पुनर्वि. (-)490.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 490.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4701-09-800-0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(16) 4702-101-0313—नाबाड़ पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5189—लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबाड़)— मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)3,621.41 378.59 378.59 0.00			

अनुदान संख्या 75—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,621.41 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति के कारण कम भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(17) 4702-101-0312—नाबाड़ पोषित योजनाएं—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5189—लघु सिंचाई योजना

निर्माण कार्य (नाबाड़)—

मूल 7,200.00

पुनर्वि. (-)4,037.44

3,162.56

3,162.56

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,037.44 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति के अनुसार कम भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 4702-101-0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)—

9469—नाबाड़ से ऋण

सहायता अन्तर्गत—

मूल 14,500.00

पुनर्वि. (-)8,955.18

5,544.82

5,542.92

(-)1.90

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,955.18 लाख की कमी वृक्षारोपण प्रकरण प्राप्त नहीं होने एवं निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 76—लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
मुख्य शीर्ष—			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	61,09,200	30,69,918	(—)30,39,282
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00
टीका एवं टिप्पणियां			
पूंजीगत :			
(i) ₹ 30,392.82 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 5054—03—337—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-II—	12,057.00	4,339.03	(—)7,717.97
(2) 5054—03—337—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7922—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-III—	3,600.00	1,263.42	(—)2,336.58
(3) 5054—03—337—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-II—	5,405.00	4,629.57	(—)775.43
(4) 5054—03—337—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7922—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-III—	11,400.00	830.11	(—)10,569.89
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2011—12 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 5054—03—337—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-II—	मूल पुनर्वि. 18,630.00 (—)5,600.00	13,030.00	5,769.10 (—)7,260.90

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 5,600.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 76—समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
5054—03—337—1201—विदेशी सहायता			
प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—			
7922—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-III—			
मूल 10,000.00			
पुनर्वि. 5,600.00	15,600.00	13,867.96	(—)1,732.04

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,600.00 लाख का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 79—चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2071—पेशन और अन्य सेवा निवृति लाभ

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	70,85,175			
पूरक	1,35,983	72,21,158	53,98,808	(—)18,22,350
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				14,05,897
(31 मार्च 2020)				

प्रभारित	420	00	(—)420
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			110
(31 मार्च 2020)			

पूंजीगतः

दत्तमत—

मूल	17,57,420			
पूरक	8,07,000	25,64,420	7,55,916	(—)18,08,504
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				17,97,253
(31 मार्च 2020)				

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व :**

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2019 (₹ 500.01 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 859.82 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,359.83 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 18,223.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 14,058.97 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2071—01—800—5499—सेवा निवृत कर्मचारियों
को चिकित्सा सुविधा—

मूल	390.00		
पुनर्वि.	(—)15.33	374.67	0.00
			(—)374.67

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 15.33 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2008—09 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2071—01—800—8676—सेवानिवृत्त कर्मचारियों

को चिकित्सा सुविधा	60.00	0.00	(—)60.00
--------------------	-------	------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
		(₹ लाख में)	
(3) 2210—01—110—1353—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, रायपुर—			
मूल	9,653.40		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(−)1,736.81	7,916.59	8,404.25
			+487.66
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,776.81 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,736.81 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2006—07 से 2018—19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2210—01—110—7719—सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर—			
मूल	2,372.40		
पुनर्वि.	(−)437.33	1,935.07	1,922.58
			(−)12.49
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 437.33 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2210—01—110—962—कैंसर हॉस्पिटल—			
मूल	1,338.30		
पुनर्वि.	(−)370.41	967.89	966.81
			(−)1.08
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 330.41 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 370.41 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2210—01—110—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7637—राज्य कैंसर संस्थान—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(−)1,000.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1353—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, रायपुर			
	500.00	0.00	(−)500.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(8) 2210—01—110—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6997—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, रायगढ़—			
मूल	4,741.20		
पुनर्वि.	(−)929.90	3,811.30	3,823.81
			+12.51
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 929.90 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8938—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, राजनांदगांव—			
मूल	3,518.50		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(−)1,298.47	2,220.03	2,229.91
			+9.87

अनुदान संख्या 79—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि निधियों के कम आबंटन होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,398.47 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,298.47 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2013–14 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
(10) 2210–02–101–4286—संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन	395.80	315.01	(–)80.79
(11) 2210–02–101–461—आयुर्वेदिक प्रशासन का सुदृढ़ीकरण	1,030.50	852.04	(–)178.46
(12) 2210–02–101–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7730—राष्ट्रीय आयुष मिशन	1,000.00	768.11	(–)231.89
(13) 2210–02–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4194—सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय एवं भंडार	564.80	306.16	(–)258.64
(14) 2210–02–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	1,912.25	1,494.15	(–)418.10
(15) 2210–02–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5683—जिला ऐलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठों की स्थापना	832.10	715.02	(–)117.08
(16) 2210–02–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7511—आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल	595.30	544.41	(–)50.89
(17) 2210–02–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4810—होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवायें)	489.40	400.72	(–)88.68
(18) 2210–04–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	11,480.80	9,631.71	(–)1,849.09
(19) 2210–04–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4810—होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवायें)	509.85	346.97	(–)162.88
(20) 2210–05–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 469—आयुर्वेदिक महाविद्यालय	2,065.90	1,938.28	(–)127.62
उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (20) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं 2017–18 तथा 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (14) (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2012–13 से 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (11) एवं 2007–08 से 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (18) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(21) 2210–05–105–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1352—चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर— मूल 9,494.30 पूरक 114.00 पुनर्वि. (–)1,833.25	7,775.05	7,765.81	(–)9.24

अनुदान संख्या 79—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,833.25 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
(22) 2210–05–105–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1355—चिकित्सा शिक्षा संचालनालय— मूल 293.30 पुनर्वि. (–)90.74	202.56	202.51	(–)0.05
(23) 2210–05–105–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1915—दंत महाविद्यालय— मूल 2,819.70 पुनर्वि. (–)545.96	2,273.74	2,272.95	(–)0.79
(24) 2210–05–105–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6996—चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़— मूल 3,731.70 पुनर्वि. (–)1,376.59	2,355.11	2,355.22	+0.11
उपरोक्त क्रम संख्या (22) से (24) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 90.74 लाख, ₹ 545.96 लाख एवं ₹ 1,376.59 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (22) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007–08 से 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (23) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(25) 2210–05–105–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8939—चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव— मूल 3,542.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (–)1,225.51	2,316.49	2,300.19	(–)16.30
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,125.50 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,225.51 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2007–08 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(26) 2210–06–003–2502—परिचारिकाओं का प्रशिक्षण— मूल 412.80 पुनर्वि. (–)201.25	211.55	211.30	(–)0.25
(27) 2210–06–003–8150—बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना— मूल 1,437.30 पुनर्वि. (–)1,436.73	0.57	0.57	0.00
(28) 2210–06–003–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 2502—परिचारिकाओं का प्रशिक्षण— मूल 208.45 पूरक 745.82 पुनर्वि. (–)104.29	849.98	850.08	+0.10

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(29) 2210—06—003—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 2880—बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना— मूल 220.10 पुनर्वि. (—)126.07 94.03 93.76 (—)0.27			
(30) 2210—06—003—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 336—ऑक्जीलियरी नर्सेस, मिड वाइफ एवं हैल्थ विजीटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण— मूल 308.60 पुनर्वि. (—)142.04 166.56 166.54 (—)0.02			
(31) 2210—06—003—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 3463—महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण— मूल 57.85 पुनर्वि. (—)54.35 3.50 3.49 (—)0.01			
(32) 2210—06—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 1,930.80 पुनर्वि. (—)659.53 1,271.27 1,270.18 (—)1.09			
(33) 2210—06—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3463—महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण— मूल 440.35 पुनर्वि. (—)175.37 264.98 265.01 +0.03			
उपरोक्त क्रम संख्या (26) से (33) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 201.25 लाख, ₹ 1,436.73 लाख, ₹ 104.29 लाख, ₹ 126.07 लाख, ₹ 142.04 लाख, ₹ 54.35 लाख, ₹ 659.53 लाख एवं ₹ 175.37 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(34) 2210—06—112—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7674—चिकित्सा विश्वविद्यालय में फार्मशी महाविद्यालय— मूल 250.00 पुनर्वि. (—)250.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			

प्रभारित—

(iv) ₹ 4.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 1.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

पूंजीगत:

दरमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा। दिसम्बर 2019 को प्राप्त किया गया ₹ 8,070.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या 79—जारी

(vi) ₹ 18,085.04 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 17,972.53 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210—01—110—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 1353—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय रायपुर— पूरक 535.00 पुनर्वि. (-)535.00	0.00	0.00	0.00
₹ 535.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2015—16 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(2) 4210—01—110—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6997—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़— मूल 340.00 पुनर्वि. (-)152.75	187.25	187.25	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 152.75 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(3) 4210—01—110—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 8938—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव— मूल 1,700.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,700.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,700.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1353—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, रायपुर— मूल 90.00 पुनर्वि. (-)54.00	36.00	36.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 54.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(5) 4210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6997—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, रायगढ़— मूल 1,500.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8939—चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव— पूरक 7,650.00 पुनर्वि. (-)7,650.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 79—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 912.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 6,738.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 7,650.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(7) 4210—03—105—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)—

1352—चिकित्सा महाविद्यालय

रायपुर—

मूल 1,309.20

पुनर्वि. (—)1,309.20

0.00

0.00

0.00

₹ 1,309.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8939—चिकित्सा महाविद्यालय,

राजनांदगाँव—

मूल 3,700.00

पुनर्वि. (—)450.00

3,250.00

3,250.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 450.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(9) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1352—चिकित्सा महाविद्यालय,

रायपुर—

मूल 2,100.00

पुनर्वि. (—)2,100.00

0.00

0.00

0.00

₹ 2,100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(10) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1352—चिकित्सा महाविद्यालय,

रायपुर—

मूल 200.00

पूरक 320.00

पुनर्वि. (—)221.75

298.25

298.25

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 221.75 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(11) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8897—सिक्कल सेल इंस्टिट्यूट

की स्थापना—

मूल 200.00

पुनर्वि. (—)200.00

0.00

0.00

0.00

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8939—चिकित्सा महाविद्यालय,

राजनांदगाँव—

मूल 4,400.00

पुनर्वि. (—)2,703.87

1,696.13

1,696.13

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,703.87 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—समाप्त

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7719—सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर— मूल 600.00 पूरक 100.00 पुनर्वि. 612.00	1,312.00	1,132.00	(—)180.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 912.00 लाख की वृद्धि निधियों का कम आबंटन किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 300.00 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 612.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। समर्पण के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(2) 4210—03—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4136—आयुर्वेद भवन का निर्माण	750.00	817.50	+67.50
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			

अनुदान संख्या 80—त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(-)

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2215—जल पूर्ति तथा सफाई

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2236—पोषण

2403—पशु—पालन

2405—मछली पालन

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग

2853—अलौह खनन तथा घातुकर्म उद्योग

3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन

4515—अन्य ग्रामीण कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय

राजस्व:

मूल	3,17,81,333			
पूरक	68,17,626	3,85,98,959	3,45,70,999	(-)40,27,960
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				41,33,263
(31 मार्च 2020)				

पूंजीगतः	12,50,000	12,43,729	(-)6,271
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			6,271
(31 मार्च 2020)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2019 (₹ 4,668.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान पर्याप्त था जबकि दिसम्बर 2019 (₹ 63,508.26 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था।

(ii) ₹ 40,279.60 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 41,332.63 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(-)
	अनुदान	व्यय (₹ लाख में)	

(1) 2202—01—197—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)—

8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए

अनुदान मूलभूत न्यूनतम

सेवाओं के लिए—

मूल	7,900.00		
पुनर्वि.	(-)724.67	7,175.33	7,175.33

0.00

(2) 2202—02—196—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)—

8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए

अनुदान मूलभूत न्यूनतम

सेवाओं के लिए—

मूल	6,516.00		
पुनर्वि.	(-)460.45	6,055.55	6,055.55

0.00

अनुदान संख्या 80—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 724.67 लाख एवं ₹ 460.45 लाख की कमी जिला/जनपद पंचायतों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2014–15 से 2018–2019 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(–)
(3) 2215–01–198–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)—			
1194—ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण—			
मूल 165.00 पुनर्वि. (–)165.00	0.00	0.00	0.00
₹ 165.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2215–01–198–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)—			
2219—नलकूपों का अनुरक्षण—			
मूल 3,300.00 पुनर्वि. (–)157.78	3,142.22	3,144.43	+2.21
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 157.78 लाख की कमी मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2235–60–198–4858—इंदिरा सहारा योजना	7,770.00	7,300.50	(–)469.50
(6) 2235–60–198–9142—समाजिक सुरक्षा और कल्याण	30,096.00	29,248.03	(–)847.97
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2235–60–198–1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—			
5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना—			
मूल 975.00 पुनर्वि. (–)357.53	617.47	612.00	(–)5.47
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 357.53 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।			
(8) 2235–60–198–1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—			
7340—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन—			
मूल 541.50 पुनर्वि. (–)106.74	434.76	434.75	(–)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 106.74 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2405–101–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)—			
3319—मत्स्य पालन प्रसार—			
मूल 377.00 पुनर्वि. (–)121.26	255.74	255.74	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 121.26 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
	(₹ लाख में)		
(10) 2515—101—6981—पंचमन पत्रिका के संपादन—			
मूल	90.45		
पुनर्वि.	(-)90.41	0.04	0.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.41 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2515—197—8879—मनोरंजन कर से प्राप्त राशि से पंचायतों को अनुदान—			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)350.00	0.00	0.00
₹ 350.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2515—198—7675—14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	1,58,894.00		
पूरक	63,508.26		
पुनर्वि.	(-)30,084.38	1,92,317.88	1,92,317.88
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 30,084.38 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण ^{उल्लिखित} की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2515—198—8209—पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएँ—			
मूल	6,400.00		
पुनर्वि.	(-)80.69	6,319.31	6,319.31
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 80.69 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण ^{उल्लिखित} की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2515—198—1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7687—मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना—			
मूल	1,204.00		
पुनर्वि.	(-)1,204.00	0.00	0.00
₹ 1,204.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2515—198—1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7789—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास—			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)147.95	1,852.05	1,852.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 147.95 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण ^{उल्लिखित} की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(16) 2515—198—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज

आभियान—

मूल 2,000.00
पुनर्वि. (-)1,109.07

890.93 890.93 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,109.07 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों के आहरण नहीं किए जाने एवं भारत सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 2853—02—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण—

मूल 12,281.00
पुनर्वि. (-)5,294.51

6,986.49 6,986.49 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,294.51 लाख की कमी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 3604—197—0480—पंचायत, भू—राजस्व

उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि—

4610—स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध पंचायतों को अनुदान—

मूल 7,000.00
पुनर्वि. (-)1,455.70

5,544.30 5,544.30 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,455.70 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(1) 2235—60—198—7921—मुख्यमंत्री

पेंशन योजना

पूरक 4,668.00 4,668.00 5,878.03 +1,210.03

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त—2020)।

(2) 2235—60—198—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7921—मुख्यमंत्री पेंशन

योजना—

मूल 8,200.00
पुनर्वि. 188.37 8,011.63 9,116.40 +1,104.77

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 188.37 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त—2020)।

पूँजीगत :

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
(₹ लाख में)			

4515—198—1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)—

8555—छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा

वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण—

मूल	6,200.00	6,137.29	6,137.29	0.00
पुनर्वि.	(—)62.71			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 62.71 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2215—जल पूर्ति तथा सफाई

2217—शहरी विकास

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2853—अलोह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग

3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं
को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

4215—जल पूर्ति और मल निकासी पर पूंजीगत परिव्यय

4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

6217—शहरी विकास के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत—

मूल 1,30,34,310

पूरक 70,50,650

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2020)

प्रभारित

7,13,450

7,13,450

00

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

00

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल 34,17,054

पूरक 7,80,000

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2020)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 70,506.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2217—05—191—7675—14वें वित्त आयोग की

अनुशंसा के अन्तर्गत

प्राप्त अनुदान—

मूल 29,789.00

पूरक 9,637.66

पुनर्वि. (−)11,331.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,331.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2217—05—191—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—

मूल 200.00

पुनर्वि. (−)200.00

अनुदान संख्या 81—जारी

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
(₹ लाख में)			
(3) 2217–05–191–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)– 7948–ठोस अपशिष्ट प्रबंधन– मूल 540.00 पुनर्वि. (–)540.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 540.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(4) 2217–05–192–7675–14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान– मूल 9,616.00 पूरक 5,601.00 पुनर्वि. (–)3,658.00 11,559.00 11,559.00 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,658.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2217–05–192–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)– 7329–विशिष्ट प्रयोजनार्थ– मूल 50.00 पुनर्वि. (–)50.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2217–05–192–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)– 7948–ठोस अपशिष्ट प्रबंधन– मूल 290.00 पुनर्वि. (–)290.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 290.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(7) 2217–05–193–7675–14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान– मूल 9,184.00 पूरक 5,267.84 पुनर्वि. (–)3,494.00 10,957.84 10,957.84 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,494.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2217–05–193–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)– 7329–विशिष्ट प्रयोजनार्थ– मूल 50.00 पुनर्वि. (–)50.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015–16 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2217–05–193–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)– 7948–ठोस अपशिष्ट प्रबंधन– मूल 170.00 पुनर्वि. (–)170.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 170.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिकर्य+
बचत(-)(10) 2235-60-191-9142—सामाजिक सुरक्षा
और कल्याण—

मूल	2,935.20			0.00
पुनर्वि.	(-)64.11	2,871.09	2,871.09	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 64.11 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2235-60-191-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना—				
मूल	400.00			
पुनर्वि.	(-)35.29	364.71	211.60	(-)153.11

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 35.29 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2235-60-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7589—नगरी बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बायोमेट्रिक पद्धति से भुगतान हेतु अनुदान—				
मूल	100.00			
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2235-60-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7921—मुख्यमंत्री पेंशन योजना—				
पूरक	900.00			
पुनर्वि.	(-)656.54	243.46	243.46	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 656.54 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2235-60-192-9142—सामाजिक सुरक्षा

और कल्याण—				
मूल	1,710.00			
पुनर्वि.	(-)58.24	1,651.76	1,643.08	(-)8.68

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 58.24 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2235-60-193-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना—				
मूल	300.00			
पुनर्वि.	(-)84.55	215.45	187.80	(-)27.65

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 84.55 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(16) 2235-60-193-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

7340—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन—				
मूल	72.00			
पुनर्वि.	(-)25.17	46.83	46.81	(-)0.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 25.17 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्ययआधिकय+
बचत(—)

(₹ लाख में)

(17) 2235—60—192—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7921—मुख्यमंत्री पेंशन

योजना—

पूरक 500.00

पुनर्वि. (—)175.02

324.98

324.97

(-)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.02 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 2235—60—193—4858—सुखद सहारा

योजना—

मूल 588.00

पुनर्वि. (—)66.73

521.27

521.27

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 66.73 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 2235—60—193—9142—सामाजिक सुरक्षा

और कल्याण—

मूल 1,812.00

पुनर्वि. (—)271.01

1,540.99

1,540.99

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 271.01 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2235—60—193—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता

योजना—

मूल 240.00

पुनर्वि. (—)137.40

102.60

102.60

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 2235—60—193—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था

पेंशन—

मूल 576.00

पुनर्वि. (—)82.37

493.63

493.63

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 82.37 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 2235—60—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7921—मुख्यमंत्री पेंशन

योजना—

पूरक 400.00

पुनर्वि. (—)36.84

363.16

363.16

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 36.84 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 81—समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 2235—60—191—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	1,158.00	1,272.07	+114.07
(2) 2235—60—191—1001— अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	468.00	507.03	+39.03

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

पूंजीगतः

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 4217—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7958—जल जांच प्रयोगशाला— मूल 500.00 पुनर्वि. (—)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त वर्ष में कार्य का अनुमोदन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 6217—60—191—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (—)1,000.00	0.00	0.00	0.00
(3) 6217—60—192—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00	0.00	0.00	0.00
(4) 6217—60—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,000.00 लाख, ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 एवं 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2012—13 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (3) एवं 2011—12 से 2018—19 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

**अनुदान संख्या 82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती
राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2215—जलपूर्ति तथा सफाई

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2236—पोषण

2403—पशु—पालन

2405—मछली—पालन

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2853—अलोह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग

4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2020)

63,15,688

49,11,540

(—)14,04,148

13,71,893

पूंजीगत

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

10,50,000

10,50,000

00

00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 14,041.48 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 13,718.93 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

आधिक्य+
बचत(—)

(1) 2202—01—796—196—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए

अनुदान मूलभूत न्यूनतम

सेवाओं के लिए—

मूल 2,000.00

पुनर्वि. (—)1,977.25

22.75

39.83

+17.08

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,977.25 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त—2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202—01—796—197—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5169—विद्यालयों में मध्यान्ह

भोजन कार्यक्रम—

मूल 13,813.00

पुनर्वि. (—)2,563.71

11,249.29

11,249.29

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,563.71 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी, विद्यार्थियों की कम उपस्थिति तथा रसोइयों के मानदेय में वृद्धि नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-01-796-197-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं			
(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-			
6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों			
में मध्यान्ह भोजन			
कार्यक्रम-			
मूल	8,604.76		
पुनर्वि.	(-)1,620.13	6,984.63	6,984.63
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,620.13 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी, विद्यार्थियों की कम उपस्थिति तथा रसोइयों के मानदेय में वृद्धि नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009–10 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षक्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

- (4) 2202-01-796-197-0102-अनुसचित जनजाति उप-योजना-

२९४९—बालिकाओं का गणवेश—

মূল	3,100.00			
পুনর্বি.	(-)388.29	2,711.71	2,711.71	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 388.29 लाख की कमी पंजीकृत विद्यार्थियों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016–17 से 2018–19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (5) 2202-01-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उप-योजना-

8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए

अनुदान मूलभूत न्युनतम

सेवाओं के लिए—

ਮੂਲ	8,204.00			
ਪੁਨਰ्वि.	(-)645.02	7,558.98	7,565.96	+6.98

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 645.02 लाख की कमी जिला/जनपद पंचायतों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त-2020)। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (6) 2202-02-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उप-योजना-

8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मुलभूत

न्यूनतम सेवाओं के लिए—

ਮੂਲ	10,450.00			
ਪੁਨਰ्वि.	(-)2,222.12	8,227.88	7,963.76	(-)264.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,222.12 लाख की कमी जिला/जनपद पंचायतों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने (₹ 522.59 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है एवं शेष ₹ 1,699.54 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2011–12 से 2018–19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

- (7) 2215-01-796-198-0102-अनुसंचित जनजाति उप-योजना-

1194—ग्रामीण जल प्रदाय

योजनाओं का रखरखाव—

মূল	50.00			
পুনর্বি.	(-50.00)	0.00	0.00	0.00

- (8) 2215-01-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उप-योजना-

5497—स्वच्छ पेयजल योजनाएं—

মূল	40.00			
পুনর্বি.	(-)40.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 40.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(9) 2235—60—796—198—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना— मूल 460.00 पुनर्वि. (—)148.60	311.40	311.40	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

(10) 2235—60—796—198—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन— मूल 5,172.00 पुनर्वि. (—)58.40	5,113.60	5,113.60	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

(11) 2235—60—796—198—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7340—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन— मूल 396.00 पुनर्वि. (—)84.13	311.87	312.29	+0.42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-------

उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 148.60 लाख, ₹ 58.40 लाख एवं ₹ 84.13 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(12) 2236—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उप—योजना— 8891—फुलवारी योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (—)200.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2405—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 3319—मत्स्य प्रसार— मूल 468.50 पुनर्वि. (—)91.10	377.40	377.40	0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 91.10 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)।

(14) 2515—796—198—1102—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उप योजना) 7687—मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना— मूल 120.40 पुनर्वि. (—)120.40	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

₹ 120.40 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 82—समाप्त

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(15) 2515—796—198—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज

अभियान—

मूल 1,520.00
पुनर्वि. (-)864.02

655.98

655.98

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 864.02 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने एवं भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2853—02—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उप—योजना—

6299—ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज

से प्राप्त राजस्व का पंचायतों

को अंतरण—

मूल 5,077.00
पुनर्वि. (-)2,635.03

2,441.97

2,359.09

(-)82.88

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,635.03 लाख की कमी राज्य सरकार से पंचायतों को निधियों के हस्तांतरण का स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2020)। 2014—15 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 83—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2217—शहरी विकास

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

4217—शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय

राजस्व	4,77,105	4,50,561	(—)26,544
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			26,542
(31 मार्च 2020)			

पूंजीगत	3,53,100	3,53,100	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 265.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 265.42 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2235—60—796—191—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5397—राष्ट्रीय परिवार

कल्याण योजना—

मूल	60.00	
पुनर्वि.	(—)29.20	30.80
		30.80
		0.00

(2) 2235—60—796—191—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था

पेंशन—

मूल	267.60	
पुनर्वि.	(—)58.79	208.81
		208.81
		0.00

(3) 2235—60—796—191—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय

विधवा पेंशन—

मूल	129.60	
पुनर्वि.	(—)28.15	101.45
		101.45
		0.00

(4) 2235—60—796—192—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5397—राष्ट्रीय परिवार

कल्याण योजना—

मूल	60.00	
पुनर्वि.	(—)30.00	30.00
		30.00
		0.00

अनुदान संख्या 83—समाप्त

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(5) 2235—60—796—193—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5397—राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)23.40	26.60	26.60	0.00
(6) 2235—60—796—193—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)68.75	181.25	181.25	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षन्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 29.20 लाख, ₹ 58.79 लाख, ₹ 28.15 लाख, ₹ 30.00 लाख, ₹ 23.40 लाख एवं ₹ 68.75 लाख की कमी हितग्राहियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (3) एवं (4) एवं 2015–16 से 2018–19 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षन्तर्गत भी बचत हुई थी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 16 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदान वार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े (₹ हजार में)	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+) / कमी(-)
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन राजस्व—			
दत्तमत	2,71,800	998	(-)2,70,802
पूंजीगत—			
दत्तमत	8,60,400	7,39,398	(-)1,21,002
10. वन— राजस्व—			
दत्तमत	2,20,000	50,45,313	+48,25,313
प्रभारित	50,00,000	00	(-)50,00,000
12. ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय— राजस्व—			
दत्तमत	95,500	95,500	00
पूंजीगत—			
दत्तमत	6,85,110	9,10,040	2,24,930
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी— राजस्व—			
दत्तमत	2,00,010	45,403	(-)1,54,607
23. जल संसाधन विभाग— राजस्व—			
दत्तमत	24,65,510	4,308	(-)24,61,202
पूंजीगत—			
दत्तमत	200	00	(-)200
24. लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल पूंजीगत—			
दत्तमत	46,50,000	19,85,470	(-)26,64,530
25. खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय— राजस्व—			
दत्तमत	3,000	00	(-)3,000
पूंजीगत—			
दत्तमत	37,80,442	4,35,507	(-)33,26,935
29. न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन— राजस्व—			
दत्तमत	00	2,00,000	+2,00,000

परिशिष्ट-I—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+) / कमी(-) (₹ हजार में)
------------------------------------	---------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------

41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— राजस्व—	दत्तमत	72,580	72,580
	पूंजीगत—		00
	दत्तमत	5,21,350	6,91,780
55. महिला एवं बाल विकास से संबंधित व्यय			+1,70,430
राजस्व—			
	दत्तमत	00	9,600
56. ग्रामोद्योग— पूंजीगत—			+9,600
	दत्तमत	00	355
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय— राजस्व—			+355
	दत्तमत	29,20,000	25,25,400
	पूंजीगत—		(-)3,94,600
	दत्तमत	2,000	00
			(-)2,000
64. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना— राजस्व—			
	दत्तमत	22,920	22,290
	पूंजीगत—		00
	दत्तमत	1,64,500	2,18,415
67. लोक निर्माण कार्य—भवन— राजस्व—			+53,915
	दत्तमत	24,07,220	10,11,232
	पूंजीगत—		(-)13,95,988
	दत्तमत	7,90,857	00
			(-)7,90,857
80. त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता— राजस्व—			
	दत्तमत	7,00,000	5,54,430
			(-)1,45,570

परिशिष्ट-I—समाप्त

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+) / कमी(-) (₹ हजार में)
------------------------------------	---------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------

(.) भारित विनियोग—ब्याज की अदायगी

और ऋण सेवा

राजस्व—

प्रभारित	00	77,850	+77,850
----------	----	--------	---------

योग—

राजस्व—

दत्तमत	93,78,540	95,87,685	+2,09,145
प्रभारित	50,00,000	77,850	(-)49,22,150

पूंजीगत—

दत्तमत	1,14,54,859	49,98,965	(-)64,55,894
--------	-------------	-----------	--------------

महायोग—

राजस्व	1,43,78,540	96,65,535	(-)47,13,005
पूंजीगत	1,14,54,859	49,98,965	(-)64,55,894

परिशिष्ट-II

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 16 पर संदर्भित)

2019–20 के दौरान आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों का व्यय जो वर्ष के दौरान प्रतिपूरित किया गया।

(₹ हजार में)

संख्या और अनुदान का नाम	लेखे का मुख्य शीर्ष	अग्रिम से खर्च	अग्रिम की मंजूरी की तारीख	अग्रिम की प्रतिपूर्ति की तारीख
01—सामान्य प्रशासन	2070	4,350	04.06.2019	मार्च 2020
	2055	3,750	04.06.2019	
	2012	3,696	05.10.2019	
02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2070	2,300	04.06.2019	मार्च 2020
	2070	1,300	04.06.2019	
	2053	250	04.06.2019	
	2070	250	04.06.2019	
08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	2053	14,000	30.01.2020	मार्च 2020 और 13वें लेखे
10—वन	2406	30,111	27.03.2019	फरवरी 2020
	2406	783	25.10.2019	फरवरी 2020
13—कृषि	4401	28,700	28.12.2019	मार्च 2020
कुल		89,490		

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2021
www.cag.gov.in



agaechhattisgarh@cag.gov.in